पंचम माला, खंड 42, अंक 14 गुरुवार, 8 अगस्त, 1974/17 श्रावण, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XLII, No. 14 Thursday, August 8, 1974/Shravana 17, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 5th LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 42 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contain Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 14—गुरुवार, 8 अगस्त, 1974/17 श्रावण, 1896 (शक)

No. 14—*Thursday, August* 8, 1974/*Sravana* 17, 1896 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
262	मजूरी-आय-मूल्यों संबंधी समेकित नीति — Integrated Wages-Incomes-Prices Policy	1–6
263	इस्पात संयंत्रों के उत्पादन में गिरावट — Fall in Production of Steel Plants	6–9
264	रामगढ़ तथा केड़ला कोयला खानों को चालू करने में रूस की सहायता — Russian Help in Starting Ramgarh and Kedia Coal Mines	9–11
265	कोयले के विकास में सहयोग देने के लिये राज्यों से कहना — States asked to Co-operate in Development of Coal	11–12
266	श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तीसरा मजूरी बोर्ड — Third Wage Board for Working Journalists	12–13

अल्प सूचना प्रश्न/SHORT NOTICE QUESTION

अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.		
3.	परिवार नियोजन के लिए तीव्र कार्यक्रम — Intensified Programme for Family Planning	13–20

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
267	गोआ में कैथोलिक चर्च पर पुर्तगाल का नियंत्रण — Portugese Control over Catholic Church in Goa	20
268	एस्कोर्टस ट्रैक्टर्स लिमिटेड द्वारा आयात नियमो का कथित उल्लंघन — Alleged Violation of Import Rules by Escorts Tractors Limited	20–21
269	ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा आम वास्तविक भारतीय पर्यटकों के साथ भेदभाव — Discrimination by British Authorities against Genuine Common Indian Tourists	21

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—25 L.S.S./74

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
270	उत्तर प्रदेश के इस्पात उत्पादकों द्वारा अपने कारखानों को अन्य राज्यों में स्थानान्तरित करना	U. P. Steel Producers to shift their Units to other States	21–22
271	महानगरों में मिलावट वाले नहाने के साबुनों और सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री की बिक्री	Sale of adulterated Toilet Soaps and Cosmetics in Metropolitan Cities	22
272	केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा खुले बाजार से इस्पात की खरीद	Purchase of Steel from Open Market by Central Government Departments . .	22–23
273	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि० द्वारा टर्बो जेनरेटरों के मूल्य में वृद्धि	Raise in Price of Turbo Generators by B.H.E.L. . .	23
274	डा० कीसिंगर की भारत यात्रा के दौरान बातचीत के लिए विषय	Subjects for Talk with Dr. Kissinger on his visit to India	23
275	पुर्तगाल के साथ राजनयिक संबंध	Diplomatic Relations with Portugal	23–24
276	हिन्दुस्तान एयरोनाट्रिक्स लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश की सरकार को एक हेलीकोप्टर दिया जाना	Turning over a Helicopter to U. P. Government by Hindustan Aeronautics Limited	24
277	खेतडी तांबा परियोजना	Khetri Copper Project . .	24–25
278	गुजरात में श्रमिक अशांति	Labour Unrest in Gujarat .	25
279	योग के लिये एक पृथक बोर्ड तथा केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना	Setting up of a Separate Board and Central Research Institute for Yoga . . .	25
280	राष्ट्रीयकरण से पहले और बाद में कोयले की उत्पादन लागत	Cost of Production of Coal before and after Nationalisation	26
281	धूम्रपान के कारण विभिन्न रोग	Various Diseases due to Smoking	26

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1886	हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड में चार स्तरीय (फोर टायर) ठेका पद्धति	Four Tier Contract System in Hindustan Construction Ltd.	26
1887	गोआ शिपयार्ड का विस्तार	Expansion of Goa Shipyard .	26–27
1888	समाचार एजेन्सियों तथा समाचार पत्रों द्वारा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू न किया जाना	Non Implementation of Wage Board Recommendations by News Agencies and News Papers	27

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1889	कारखानों के क्लर्कों की परिभाषा और लागू होने वाले अवकाश नियम	Definition of Clerks in Factories and Leave Rules Applicable	27–28
1890	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत श्रमिकों के आश्रितों को अस्पताल की सुविधाएं	Hospital Facilities to Workers' Dependents under ESI Scheme	28–29
1891	हड़तालों के कारण जन-दिवसों की हुई हानि	Man Days lost due to Strikes	29–30
1892	केन्द्रीय उपदान निधि	Central Gratuity Fund .	30
1893	उच्च स्तरीय रक्षा टीम द्वारा मास्को यात्रा	Visit by High Level Defence Team to Moscow. . . .	30
1894	कारीगर एवं शिक्षित युवा व्यक्तियों में रोजगार के बारे में सर्वेक्षण	Assessment of Employment among skilled and Educated Young Men	30–31
1895	आल इंडिया इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साइंसेस के डाक्टरों का विदेश जाना	Going Abroad by Doctors of AIIMS	31
1896	उड़ीसा में भूतपूर्व सैनिको को पुन: रोजगार देना	Re-employment of Ex-Army Personnel in Orissa . .	31–32
1897	इस्पात संयंत्रों के लिये स्टील अथारिटि आफ इंडिया द्वारा उत्पादित पुर्जे	Sail produced spares for Steel Plants	32
1898	गुजरात खनिज विकास निगम	Gujarat Mineral Development Corporation . . .	32
1899	पुनर्वास निदेशालय द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को दी गई सहायता	Help given to Ex-servicemen by Directorate of Resettlement	33
1900	भारत में बहु राष्ट्रीय निगमों में औद्योगिक संबंध	Industrial Relations in Multi-National Corporation in India	33
1901	कोककर कोयले के उत्पादन में गिरावट	Decline in Production of Coking Coal	33–34
1902	वर्ष 1973 में औद्योगिक संबंधों का और बिगड़ जाना	Deterioration in Industrial Relations in 1973 . .	34–35
1903	औद्योगिक संबंधो को सुधारने के लिये श्रम मंत्रालय की भूमिका	Role of Labour Ministry for Improvement in Industrial Relations	35
1904	पांचवीं योजना में अल्यूमिनियम के उत्पादन लक्ष्य	Target of Aluminium Production in Fifth Plan . .	35–36

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1905	मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कारपोरेशन Metal Scrap Trading Corporation	36
1906	श्रमिकों संबंधी आंकड़ों का एकत्रण तथा प्रकाशन Collection and Publication of Labour Statistics	36–37
1907	भूतपूर्व सैनिकों के लिये स्वतः नियोजन उद्यम Self Employment Ventures for Ex-Servicemen	37
1908	पांचवीं योजना के दौरान आधुनिक अस्त्रों के निर्माण में आत्म निर्भरता प्राप्त करना Achievement of Self Sufficiency in Manufacture of Sophisticated Weapons during Fifth Plan	37
1909	टेल्को एंड ट्यूब कम्पनी, जमशेदपूर के कर्मचारियों को बहाल करना Reinstatement of Workers of Telco and Tube Company Jamshedpur	37–38
1910	भारी इंजीनियरिंग निगम में उत्पादन Production in Heavy Engineering Corporation	38
1911	वर्ष 1973–74 में माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के उत्पादन में कमी Shortfall in production of MAMC during 1973-74	39
1912	राजधानी के अस्पतालों में हृदय रोग से पीडित रोगियों की सहायता के लिए अपेक्षित उपकरणों से युक्त गाडियां Vans of Capital Hospitals Equipped with Equipment needed for Heart Patients	39–40
1913	भारत में चालक रहित विमानों का उत्पादन् Production of Unmanned Aircraft in India	40
1914	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लखनऊ में श्रमिकों की हड़ताल Strike by workers in Hindustan Aeronautics Lucknow	40
1915	केरल में खनिजों को निकालना Exploitation of Minerals in Kerala	40–41
1917	1973–74 में जस्ता और सीसे का उत्पादन Production of Zinc and lead during 1973-74	41
1918	इस्पात तथा लोहा उत्पादों की चोरबाजारी में बिक्री Blackmarket Sale of Steel and Iron Products	42
1919	विदेशियों को और विदेशों से भारत लोटने वाले भारतीयों को कारों तथा स्कूटरों का आबंटन Allotment of Cars and Scooters to Foreigners and Indians Returning from Abroad	42
1920	1974–75 के लिये इस्पात का लक्ष्य प्राप्त करना Achievement of Steel Target for 1974-75	42

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1921	कार वितरकों के कमीशन में वृद्धि	Increase in Commission of Car Distributors	43
1922	गैस संयंत्रों की स्थापना	Setting up of Gas Plants	43
1923	कलकत्ता में सी० एम० ए० के अधिकारियों की कोयला व्यापारियो के साथ कथित सांठ-गांठ	Alleged Collusion of Coal Dealers with C.M.A. officers in Calcutta	43
1925	स्कूटरों/कारों के उत्पादकों के कोटों का जारी किया जाना	Release of Manufacturers quota for Scooters/Cars	44
1926	राजधानी के सरकारी अस्पतालों के लिये बजट में प्रावधान	Budgetary provision for Government Hospitals of Capital	44–45
1927	बालाघाट जिले में पाया गया ताम्बा	Copper found in Balaghat District	45
1928	सरकारी क्षेत्र में चूना पत्थर का विदोहन	Exploitation of Line Stone in Public Sector	45
1929	सार्वजनिक खनन संस्थाओं द्वारा अधिकार शुल्क (रायल्टी) की अदायगी	Payment of Royalty by Public Mining Institutions	46
1930	शस्त्र उद्योग के लिये संयुक्त अरब गणराज्य को सहायता	Assistance to UAR for Arms Industry.	46
1931	इस्पात का उत्पादन	Steel Production	46–47
1932	निम्न प्राथमिकता वाले उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर कोयले की कमी का प्रभाव	Impact of Coal Shortage on Low priority Consumer Goods Industries	47
1933	देश से क्षय रोग के उन्मूलन के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता	W. H. O. Assistance for Eradication of T. B. from the country	47–48
1934	कोयला खनन मशीनरी	Coal Mining Machinery	48
1935	सरगुजा में अल्युमिनियम संयंत्र	Alumina Plant at Sarguja	49
1936	कोयला खान श्रमिकों के लिये चिकित्सा सुविधाओं का अभाव	Lack of Medical Facilities for Colliery Workers	49
1937	सेलम इस्पात संयंत्र के लिये धनराशि का आवंटन	Allotment of funds for Salem Steel Plant	49
1938	इस्पात उद्योगों में संविदा श्रमिक	Contract Labour in Steel Industries	50
1939	राज्यों द्वारा पूर्ण कालिक औषधि नियंत्रकों की नियुक्ति	Appointment of Full time Controllers by States	50

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1940	संगठित औद्योगिक श्रमिकों के लिये उचित दर की दुकानें	Fair Price Shops for Organised Industrial Workers .	50–51
1941	ट्रकों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of Trucks	51
1942	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन के लिये भारतीय प्रतिनिधि मंडल	Indian Delegation to ILO Conference	51–52
1943	बी० सी० जी० वैक्सीन तथा ट्यूबरक्लोसिस घोल का उत्पादन	Production of B. C. G. Vaccine and Tuberculosis Solution .	52
1944	ट्यूबरक्लोसीस घोल तथा बी० सी० जी० वैक्सीन का पड़ोसी देशों को निर्यात	Export of Tuberculosis Solution and B. C. G. Vaccine to Neighbouring Countries . .	52–53
1945	वर्ष 1973-74 में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर व्यय	Expenditure on Health and Family Planning Schemes in 1973-74	53
1946	भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल के कर्मचारियों का स्थानांतरण	Transfer of Employees of BHEL, Bhopal	53
1947	बिहार में उपयोग किये गये नकली ग्लूकोज के विश्लेषण का परिणाम	Result of Analysis of Spurious Glucose used in Bihar .	53–54
1948	समुद्री कानूनों के बारे में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन	U. N. Conference on Laws of Seas	54
1949	भारतीय प्रधान मंत्री की ईरान की यात्रा	Visit of Prime Minister of India to Iran	54
1950	बिहार क्षेत्र में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारियों का तबादला	Transfer of Staff in E. P. F. O. in Bihar Region . . .	55
1951	बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आनेवाले प्रतिष्ठान	Coverage under E. P. F. and F. P. F. Act, 1962 in Bihar .	55
1952	बिहार में ग्रेड दो के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की नियुक्ति	Posting of Grade II Regional Provident Fund Commissioner in Bihar	56
1953	मैसर्स राम गोपाल पासारी, सिंहभूम से भविष्य निधि की बकाया राशि की वसूली	Realisation of Provident Fund Arrears from M/s. Ram Gopal Pasari, Singhbhum	56
1954	कोयला खान प्राधिकरण द्वारा कोयले का अधिक उत्पादन करने के लिये कार्यवाही	C. M. A. steps to better coal production	56–57

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1955	कपडा मशीन उद्योग में क्षमता का पूरा उपयोग न किया जाना	Under utilisation of Capacity in Textile Machinery Industry	57
1956	कोयले के भंडारों का अनुमान	Assessment of Coal Reserves	57–58
1957	कोयले को तेल में बदलने के लिये बनाई गई योजना	Scheme framed for converting Coal in to Oil . . .	58
1958	प्रत्येक किस्म के ट्रैक्टर का बिक्री मूल्य	Sale price of Each Type of Tractors	58–60
1959	कानपुर अस्पताल में प्रयुक्त नकली ग्लूकोज के बारे में की गई जांच का परिणाम	Result of inquiry regarding Spurious Glucose used in Kanpur Hospital	60
1960	कोयला खानों के विकास के लिये विदेशी जानकारी	Foreign know how for Development of Coal Mines . .	60–61
1961	लद्दाख में अस्पताल की स्थापना	Setting up of a Hospital in Ladakh	61
1962	लद्दाख में अस्पताल, औषधालय, प्रसूती तथा बाल कल्याण केन्द्र	Hospitals, Dispensaries, Maternity and Child Welfare Centres in Ladakh . . .	61
1963	सरकारी उपक्रमों में प्रबंध व्यवस्था में मजदूरों का प्रतिनिधित्व	Labour participation in Management of Public Undertakings	61–62
1964	हैदराबाद में "टुमारोज पेरेंन्टस" के बारे में हुए सम्मेलन पर व्यय	Expenditure on conference on Tomorrows parents, Hyderabad	62
1965	देश में औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का स्थापित किया जाना	Setting up Drug Testing Laboratories in the Country .	62
1966	बोकारो इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Bokaro Steel Plant	62–63
1967	पाकिस्तान में गुरुद्वारों का सैनिक शिवरों में बदला जाना	Conversion of Gurdwaras in Pakistan into Military Camps	63
1968	शत्रु सम्पत्ति अधिनियम के बारे में बंगला देश सरकार द्वारा अध्यादेश जारी किया जाना	Promulgation of Ordinance by Government of Bangladesh in regard to enemy property Act	63–64
1969	नेवेली में लिग्नाइट कोयले से चलने वाले बायलरों को तेल से चलने वाले बायलरों में बदलने पर हुआ व्यय	Expenditure incurred on Conversion of Boilers at Neyveli from Lignite Coal Fired to Oil Fired	64–65
1970	कोयले की चोरी	Pilferage of Coal	65
1971	लोहे और इस्पात की जाली फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against fake iron and Firms	65–66

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1972	गैर सरकारी क्षेत्र की लोह अयस्क खानों का राष्ट्रीयकरण	National of Private Sector Iron Ore Mines. . . .	66
1973	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची में श्रमिको और संसद सदस्यों तथा विधय कों में संघर्ष	Clash between Workers and M.Ps. and M. L. As in H. E. C. Ranchi	66–67
1974	दुर्गापूर मिश्र इस्पात संयंत्र का उत्पादन	Production of Durgapur Alloy Steel Plant . . .	67
1975	सेवा निवृत्त सैनिकों और रिजर्व सैनिको की पेंशन में वृद्धि	Increase in pension of Retired Army Personnel and Reservists	67–68
1977	गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा अलौह धातुओं का खनन	Mining of Non-Ferrous Metals by Private Companies	68–69
1978	औद्योगिक संबंध व्यवस्था और यूनियन को मान्यता देने के संबंध में परिवर्तन का सुझाव	Suggestion regarding Change in Industrial Relations Machinery and Recognition of Union	69
1979	प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण	Production of Ballistic Missiles	69
1980	आदर्श ग्रामों का विकास	Development of Model Villages	69
1981	फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा भारत यात्रा का स्थगित किया जाना	Postponment of visit to India by President of France . .	70
1982	बिहार में नकली ग्लूकोज से बच्चों का मरना	Death of Children due to Spurious Glucose in Bihar .	70
1983	रुरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा डोलोमाइट की खरीद	Purchase of I. M. S. Dolomite by Rourkela Steel Plant.	70–71
1984	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा छर्रे बनाने के संयंत्र (पेलेटाइजेशन प्लांट' की स्थापना	N. M. D. C. Pelictisation Plant	71
1985	कोयला अनुसंधान के संबंध में भारत अमरीकी संयुक्त सहयोग	Indo- USA Collaboration on Coal Research . . .	71–72
1986	एक उद्योग में एक 'यूनियन'	One Union in one Industry .	72
1987	विभिन्न स्थानों पर जमा इस्पात	Steel Pile up at different centres	72
1988	मेघालय इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राइज को स्टैनलेस इस्पात का आबंटन	Allotment of Stainless Steel to Meghalaya Industrial Enterprise	72–73
1989	फर्में और कम्पनियों द्वारा 8.33 प्रतिशत बोनस का भुगतान न करना	Failure of Firms and Companies regarding payment of 8.33 per cent Bonus	73

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1990	संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व जन संख्या वर्ष का घोषित किया जाना	World population Year Designated by U. N. O.	73–74
1991	त्रिवेन्द्रम स्थित कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय के लिए कार्यालय भवन तथा कर्मचारियों के क्वार्टर	Office Building and staff Quarters for E. P. F. office at Trivandrum	74
1992	सिंगरोली में 'ओपन कास्ट' खानें	Open cast Mines in Singrauli	74–75
1994	स्वास्थ्य सेवा के मामले में फिजी द्वीप को सहायता	Assistance to Fiji Island for Health	75–76
1995	अभ्रक खान मजदूरों को क्षय रोग	T. B. among Mica Mine Workers	76
1996	उपभोक्ता मूल्य सूचकांको की नई शृन्खला का संकलन	Compilation of a New Series of Consumer price index numbers	76–77
1997	बंगला देश को सहायता	Assistance to Bangladesh . .	77
1998	पश्चिम क्षेत्र में सीमा पार करके भारत आये पाकिस्तानी राष्ट्रिक	Pakistani Nationals crossed over to India in Western Sector	77–78
1999	अल्यूमिनियम संयंत्र, रत्नागिरी, का चालू होना	Commissioning of Aluminium Plant at Ratnagiri . .	78
2000	रक्षा सेवाओं के कमीशन प्राप्त अधिकारियों का वेतन निर्धारित किया जाना	Pay Fixation of Commissioned Officers of Defence Services	78–79
2001	कैन्सर और ल्यूकेमिया के इलाज के लिए विशेष इन्जेक्शनों और दवाओं की कमी	Scarcity of Special Injections and Medicines for Treatment of Cancer and Leukaemia .	79
2002	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की उष्म सह ईंटों की मांग	Requirement of Refractories by Public Sector Steel Mills .	79
2003	ऊष्म सह ईंटों का आयात	Import of Refractories	79–80
2004	दिल्ली के अस्पतालों में डाक्टरों की हड़ताल के दौरान वरिष्ठ डाक्टरों के साथ मारपीट	Senior Doctors assaulted During Doctors Strike in Delhi Hospitals	80
2005	भारतीय वायुसेना की नं० 25, विंग यूनिट को बाढ से हुई हानि	Loss suffered due to Flood by No. 25 Wing Unit of I. A.	80–81
2006	दंडकारण्य परियोजना में कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त किया जाना	Terminations of Services of work-charged staff in Dandakaranya Project	81

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2007	उत्तर प्रदेश में असंगठित मजदूरों का सर्वेक्षण	Survey of Unorganised Labour in Uttar Pradesh . .	81
2008	भविष्य निधि के बकाया की वसूली	Realisation of Arrears of Provident Fund . . .	82
2009	कोरबा अल्युमिनियम संयंत्र	Korba Aluminium Plant	82
2010	भारत की समुद्री सीमा का विस्तार	Extension of Territorial Waters of India	82
2011	उडीसा में अल्युमिनियम संयंत्र	Aluminium Plant in Orissa .	82–83
2012	डी० जी० ओ० एफ० डी० जी० आई० और आर० एंण्ड डी० संस्थानों के तकनीकी श्रेणियों के कर्मचारियों के संबंध में वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Pay Commission Recommendations in respect of Technical Categories of Employees of D. G. O. F. D. G. I. and R. & D. Organisations	83
2013	उत्तर प्रदेश में संविदा श्रमिकों का असुरक्षित होना	Unprotected Contract Labour in Uttar Pradesh . .	83–84
2014	दिल्ली नगर निगम द्वारा कूडा हटाया जाना	Removing Refuse by the Delhi Municipal Corporation	84
2015	रेल हडताल के समय में मजूरी भुगतान अधिनियम के दायित्वों से रेलवे को छूट	Exemption of Railways from obligations of payment of Wages Act on the Eve of Railway Strike . .	84–85
2016	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किराये पर लिए कार्यालय स्थान के किराये का भुगतान	Rent paid for Hired Office Building by E. P. F. O.	85
2017	खानों का कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत लाया जाना	Coverage of Mines under E. P. F. Act, 1952 . . .	85–87
2018	कोरबा द्वारा उत्पादित अल्युमीना	Quantum of Alumina Porduced by Korba . . .	87
2019	भारतीय तथा विदेशी वाणिज्यिक फर्मों द्वारा किए जाने वाले मानव रक्त के निर्यात पर रोक	Ban on Export of Human Blood by Indian and Foreign Commercial Firms . . .	87
2020	देश में गैर सरकारी रक्त बैंकों की गतिविधियां	Activities of Private Blood Banks in the country	87–89
2021	तेहरान में हुए 'वालंटरी ब्लड डोनेशन' संबंधी रेडक्रास के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशें	Recommendations of International Conference of Red-Cross on Voluntary Blood Donation held in Tehran	89

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	90–91
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha .	91
उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक–राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Industries (Development and Regulation) Amendment Bill As Passed by Rajya Sabha	92
देश की समुद्रीय सीमा में समुद्र के नीचे की भूमि के स्वामित्व के संबंध मे सदस्य द्वारा वक्तव्य—	Statement by Member re. Ownership of land below the sea within territorial waters—	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	93–94
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale . .	94
नियम 377 के अधीन मामला—	Matter under rule 377—	
छात्र-संघ निर्वाचनो के अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ कालेजों में कथित घटनाएं	Reported incidents in certain Delhi University Colleges on the eve of Union elections	95
वित्त (संख्या 2) विधेयक	Finance (No. 2) Bill .	96–99
परमाणु उर्जा आयोग द्वारा हाल में किये गये आणविक विस्फोट पर चर्चा—	Discussion re. recent Atomic Explosion conducted by Atomic Energy Commission—	
श्री समर गूह	Shri Samar Guha . .	99–100
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	Shri Vishwanath Pratap Singh	100–101
श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य	Shri S. P Bhattacharyya	101
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga .	101
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . .	101–103
श्री पी० वी० जी० राजू	Shri P. V. G. Raju	103
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	103–104
श्री हरि किशोर सिंह	Shri Hari Kishore Singh	104
श्री मोहन राज	Shri Mohanraj Kalingarayar	104–105
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh .	105
श्री पी० एम० मेहता	Shri P. M. Mehta .	105–106
श्री पी० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	106
श्री ईराज्मुद सेकेरा	Shri Erasm de Sequeira	106
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo . . .	106–107
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik.	107

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रो मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate	107
श्री राम सहाय पांडे	Shri R. S. Pandey .	107
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	108
श्री मल्लिकार्जुन	Shri Mallikarjun . . .	108
श्री शंकर देव	Shri Shankar Dev . . .	108
डा० कैलाश	Dr. Kailas	108
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Misra . .	108–109
प्रो० नारायण चन्द पराशर	Prof. Narain Chand Parashar.	109
श्री के० सी० पन्त	Shri K. C. Pant . . .	109–112

लोक-सभा
OK SABHA

गुरुवार, 8 अगस्त, 1974/17 श्रावण, 1896 (शक)
Thursday, August 8, 1974/Sravana 17, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मजूरी-आय-मूल्यों संबंधी समेकित नीति

***262. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजूरी-आय-मूल्यों संबंधी समेकित नीति के संबंध में सरकार को कोई नया दृष्टिकोण बना है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या औद्योगिक श्रमिकों तथा सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर वर्तमान स्तर पर रोक लगाने का सरकार का इरादा है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) न्यायानुरूप समेकित मजदूरियों, आमदनियों और मूल्यों की नीति की आवश्यकता को भली भान्ति स्वीकार किया गया है; ऐसी नीति बनाने की ओर सरकार का लगातार ध्यान रहा है ।

(ग) जी नहीं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं माननीय सदस्य को यह याद दिलाना चाहता हूं कि गत मास 26 तारीख को उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर दूसरी सभा में देते हुए यह कहा था, जैसा कि समाचारों में कहा गया है, कि मजूरी नीति समिति या चक्रवर्ती समिति का अनारिम प्रतिवेदन एक 'गुप्त दस्तावेज' है और उसे प्रकाशित नहीं किया जा सकता । 30 तारीख को इस सभा में श्री ज्योतिर्मय बसु ने एक दस्तावेज पेश किया था जिसे वह तथाकथित गुप्त दस्तावेज की प्रति बना रहे थे और जिसे वह सभा पटल पर रखना चाहते थे । किन्तु पीठासन सभापति ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी और उनसे दस्तावेज स्वयं को देने के लिए कहा ताकि मामले पर विचार किया जा सके । 31 तारीख को दस्तावेज का सम्पूर्ण पाठ सार रूप में कई समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ । मैं जानना चाहता हूं कि क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित पाठ चक्रवर्ती समिति के प्रतिवेदन का प्रमाणित पाठ है और यदि है, तो दस्तावेज को सभा पटल पर रखने के मार्ग में बाधा क्या है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जिस प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया है वह श्री चक्रवर्ती की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन है और वह सरकार के आन्तरिक प्रयोजन के लिए है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आन्तरिक प्रयोजन क्या है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : प्रयोजन यह है कि सरकार मजूरी से सम्बन्धित कुछ समस्याओं को लाभ की दृष्टि से समझना चाहती है और इस रिपोर्ट के अनुसरण में आगे जांच करने की सम्भावना है । इसी कारण से उस प्रतिवेदन को फिलहाल सभा पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं समझी गई और उपयुक्त समय पर उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा । जहां तक उक्त रिपोर्ट के समाचार पत्रों मे प्रकाशित होने का प्रश्न है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता । मैं उसी दस्तावेज के बारे में कुछ कह सकता हूं जिसे मैंने सभा-पटल पर रखा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जो जानकारी प्रकाशित हो चुकी है जिसे सम्पूर्ण देश में पढ़ा गया है, उसके बारे में मंत्री महोदय यह क्यों नहीं बता सकते कि समाचार पत्रों में प्रकाशित दस्तावेज प्रमाणित है अथवा नहीं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप मंत्री महोदय को सीधा उत्तर देने का निदेश दें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : संसद के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता । दस्तावेज समाचार पत्रों में छप चुका है । यदि यह गुप्त दस्तावेज था तो इसके पाठ का प्रकाशन कैसे हुआ ? यदि इसका प्रकाशन हो गया है तो इसके सभा पटल पर न रखे जाने के क्या कारण है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या मंत्री महोदय यह कहना चाहते हैं कि इसका सभा पटल पर रखा जाना जनहित में नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि किसी सरकारी फाइल से कोई जानकारी फूट निकलती है तो आप उसे भी सभा पटल पर रखे जाने की मांग करेंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : किन्तु यह फाइल नहीं है । यह तो सरकार द्वारा नियुक्त समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन है । संसद सदस्यो से इसे क्यों छिपाया जा रहा है । संसद सदस्यों को छोड़कर शेष सब व्यक्ति इसके बारे में जानते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह अन्तरिम प्रतिवेदन सरकार को दिया चुका है और यह समाचारपत्रों में प्रकाशित भी हो चुका है । फिर यह संसद के लिए गुप्त क्यों है ?

श्री भागवत झा आजाद : यद्यपि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि प्रधान मंत्री इसे सभा पटल पर रखे । परन्तु मंत्री महोदय यह तो बता ही सकते हैं कि जो प्रेस में छपा है वह ठीक है अथवा गलत ।

श्री एस० एम० बनर्जी : इस रिपोर्ट की एक प्रति सभापति को दी जा चुकी है और वह अब प्रकाश में आ गया है । अत: आप मंत्री को निदेश दें कि वह उक्त दस्तावेज को सभा-पटल पर रखे ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें विनिर्णय देने का कोई प्रश्न नहीं है । यह तो मंत्री की इच्छा है कि वह सभा पटल पर रखना चाहते हैं या नहीं ? मैं उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता । आपने प्रश्न पूछा है और वह उसका उत्तर दे सकते हैं ।

Shri Atal Behari Vajpayee : But the Minister has not so far said that it is not in the public interest to lay the same on the Table of the House. No other consideration can be taken into account.

Mr. Speaker : It is also not in the public interest that the report should leak out from some Government office. If it has leaked out, it should be told whether the report as published in the press is correct or not.

मंत्री महोदय को सतर्क रहना चाहिए कि उसकी फाइल से कोई भी जानकारी बाहर न आने पाये। क्या उन्होंने इस आशय के समाचार पढ़े हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मेरा यह विनम्र निवेदन है कि यह अन्तरिम प्रतिवेदन सरकार के आन्तरिक प्रयोजन के लिए था। सरकार उस पर विभिन्न स्तरों पर विचार कर रही है और कुछ निर्णय ले लिये गये हैं। 'मजूरी सैल' नियुक्त करने का निर्णय भी इसी प्रतिवेदन के आधार पर लिया गया है। इस दस्तावेज के उपयुक्त समय पर प्रकाशन के पूर्व ऐसे ही कई अन्य मामलों पर सरकार निर्णय लेना चाहती है। मैं अनुरोध करता हूं कि विद्यमान स्थिति मे आप मुझे इससे अधिक न बताने के लिए क्षमा करेंगे क्यों कि, मैं इससे अधिक बताने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिए अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि अब तक की परम्परा यह है कि प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है। आप जैसा चाहें, हमे स्वीकार्य है। परन्तु सरकार का यह रवैया उचित नहीं है। अब हम यह मानकर चलते हैं कि समाचारों में मुद्रित पाठ ठीक है। यदि वह ठीक नहीं है, तो मंत्री महोदय उसका खंडन करें। **(अंतर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके जोर से चिल्लाने का कोई ठोस परिणाम निकलेगा ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : समाचारपत्रों में प्रकाशित दस्तावेज के आधार पर जिसे माननीय मंत्री ने भी पढ़ा होगा, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि मजूरी स्थिर रखने की नीति के लिए सम्पूर्ण सिद्धान्त इस रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया है। अब तक चले आ रहे आवश्यकता पर आधारित मजूरी नीति के सिद्धान्त के स्थान पर निर्धन-स्तर पर न्यूनतम मजूरी की नीति लाई जा रही है। जीवन-निर्वाह मूल्य में हुई वृद्धि के लिए निम्नतम स्तर पर शत प्रतिशत मुआवजा महंगाई भत्ते के रूप में लिया जाये और उंचे स्तरों पर यह घटता जाये। इसका परिणाम यह होगा कि निम्नतम स्तर पर श्रमिकों को छोड़कर शेष सभी की वास्तविक मजूरी घटती जायेगी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मजूरी में वृद्धि को रोकने के लिए विवाद के समाधान को कर्मचारियों और मालिकों के बीच सामूहिक सौदेबाजी पर न छोड़ा जाये बल्कि इसमे सरकार हस्तक्षेप करे और यह देखे कि मजूरी की दरों में अवांछनीय स्तर तक वृद्धि न हो। क्या इन बातों के आधार पर ही मजूरी स्थिरीकरण की नीति का सिद्धान्त तैयार किया गया है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मजूरी नीति को माननीय सदस्य ने विचारधारा की समस्या बताया है। मैं उनकी इस व्याख्या से सहमत नहीं हूं। वस्तुतः मजूरी नीति के प्रश्न पर सरकार बहुत लम्बे समय से विचार करती आ रही है। इसके लिए तरीकों और उपायों पर विचार करने के लिए पहले रिजर्व बैंक के स्टियरिंग ग्रुप ने अध्ययन किया और अपनी सिफारिशें दी थीं। यह प्रशासन विक्री के लिए उपलब्ध है। कांग्रेस दल के चुनाव घोषणा पत्र में भी मजूरी नीति विषयक जिज्ञासा का उल्लेख किया गया था। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण पत्र में और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार मूल्य और आय नीति का अलग से उल्लेख किया गया। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण के संदर्भ में यह चक्रवर्ती समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन है और इस अन्तरिम प्रतिवेदन के अनुसरण में एक निर्णय यह भी लिया गया है कि श्रम मंत्रालय में एक 'मजूरी सैल' बनाया जाये जो सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में विद्यमान विषमताओं के बारे में आंकड़े एकत्र करेगा और यह देखेगा कि क्या इस समय कोई सार्थक मजूरी सम्बन्धी नीति बनाई जा सकती है। इस ध्येय को लेकर यह सब किया गया है। इस दस्तावेज को लेकर जो प्रश्न पूछे गये है, उन सब पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने यह पूछा था कि इस नयी अन्तरिम रिपोर्ट में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं, जिनमें 1972 के मूल्य स्तर पर 40 रुपये न्यूनतम मजूरी का उल्लेख है, क्या उनसे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि मजूरी स्थिर करने की नीति का आधार एक विशेष विचारधारा है।

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर नकारात्मक दे रहे हैं ।

श्री बी० वी० नायक : अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय के अनुसार इससे अनुमान लगाने के बाद मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस गोपनीय प्रतिवेदन में यह सिद्धान्त प्रतिपादित है कि उच्च आय वर्ग के लिए मजूरी स्थिर रखी जाये और निम्नतर स्तरों पर मूल्य सूचकांक के अनुरूप मजूरी में वृद्धि या कमी होती रहे ? आप इसे मान क्यों नहीं लेते और यह क्यों नहीं कहते कि यह एक अच्छा सुझाव है ।

श्री रघुनाथरेड्डी : यह सम्पूर्ण प्रश्न मूल्यों, मजूरी-ढांचों आय और लाभ की नीति से सम्बद्ध हैं । एक 'मजूरी सैल' स्थापित किया गया है जो सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में विद्यमान विभिन्न मजूरी-ढांचों का अध्ययन करेगा । मैं इस मत का समर्थन करता हूं कि मजूरी, आय, मूल्यों और लाभों के बारे में एक समन्वित नीति होनी चाहिए ।

श्री बी० वी० नायक : क्या कारण है कि उच्च आय स्तर पर मजूरी स्थिर की जा रही है और निम्न स्तर पर इसे लचीला रखा जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य अंधकार में हैं क्योंकि रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है । फिर भी सदस्य प्रश्न पूछते जा रहे हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : आप यह नहीं कह सकते क्योंकि उसकी एक प्रति सभापति के पास है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सभापति ने इसे आप को क्यों नहीं दिया । वह उसका क्या कर रहे हैं । यह कह चला गया ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह यहां से भी गुम हो गया है ?

श्री नरेंद्र कुमार सोंधी : मजूरी, मूल्य, आय के बारे में एक राष्ट्रीय नीति के आदर्श को दुर मानते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, उद्योग और बैंक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के किसी सूत्र पर विचार कर रही है ताकि ये मामले बिना श्रम न्यायालय या हड़ताल के ही हटा हो जाया करें ।

श्री रघुनाथरेड्डी : यह सब उसी एकीकृत नीति के अन्तर्गत आ जाता है जिस पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री समर मुखर्जी : इस दस्तावेज में पहली बात यह है कि श्रमिकों के स्वास्थ्य और उनकी कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए निर्धन-स्तर पर आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी की व्यवस्था होनी चाहिए । इसका अर्थ है कि न्यूनतम मजूरी निर्धन-स्तर से नीचे नहीं जानी चाहिए । परन्तु तीसरे वेतन आयोग ने 1972 के मूल्य स्तर पर आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मूल्य 314 रुपये माना है । परन्तु चक्रवर्ती समिति ने कहा है कि न्यूनतम मजूरी निर्धन-स्तर पर ही दी जानी चाहिए । निर्धन-स्तर का अर्थ है प्रति व्यक्ति 40 रुपये का उपभोग जिसे तीन से गुना कर दिया जाये । इस समिति की सिफारिश यह है कि न्यूनतम 120 रुमये होनी चाहिए जबकि तीसरे वेतन आयोग ने 196 रुपये की सिफारिश की है । अत: यह सिफारिश न केवल मजूरी स्थिर करने के बारे नें है बल्कि इससे मजूरी मे कटौती का सुझाव दिया गया है । इस दृष्टि से क्या मंत्री महोदय यह मानेंगे कि मजूरी में कटौती की नीति है ?

श्री एस० एम० बनर्जी : माननीय सदस्य ने उक्त दस्तावेज से उद्धरण दिया है । यदि कोई सदस्य किसी दस्तावेज से उदधृत करता है तो अन्य कोई भी सदस्य उसे सभा पटल पर रखे जाने की मांग कर सकता है । आप का इस बारे में क्या मत है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई दस्तावेज सरकारी है या किसी मंत्री के नाम पर है, तो उसे सरकार की ओर से ही सभा पटल पर रखा जा सकता है। उसे सभा पटल पर रखने की अनुमति मैं आपको नहीं दे सकता ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि वह अन्तरिम प्रतिवेदन है, अतः उसे सभा पटल पर रखे जाने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्रियों को सलाह देना चाहता हूं कि जिन समितियों और आयोगों के प्रतिवेदनों को वे सभा पटल पर नहीं रखना चाहते, उनके बारे में कोई संहिता होनी चाहिए, जिसे मंत्री महोदय और आयोग दोनों ही ध्यान में रखें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह प्रथा अच्छी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रथा अच्छी नहीं होगी कि सरकार की ओर से आप कोई दस्तावेज सभा पटल पर रखें । मैं इसे अनुमति नहीं दे सकता । मैं उन्हें पहले ही कह चुका हूं कि वे ऐसे मामलों में सावधानी बरतें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री के० डी० मालवीय यहां उपस्थित है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने की अनुमति दे दी गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह इसे ठीक कहते हैं तो मैं इसमे से उद्धरण देने की अनुमति आपको दे दूंगा, आप अपना दस्तावेज सभा पटल पर रख सकते हैं, सरकार की ओर से नहीं । चूंकि मंत्री इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं तो आप उन पर अहसान करना चाहते हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने सरकार से नहीं पूछा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इसका अर्थ यह है सदन से छुपाना न्यायोचित है ?

अध्यक्ष महोदय : यह अपने अपने विचार की बात है ।

श्री समर मुखर्जी : वह उत्तर देने के लिये तैयार थे ।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्रीमन्, आपकी क्या व्यवस्था है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरी व्यवस्था यह है कि आप सरकार की ओर से उनके कागजात इसे सभा पटल पर नहीं रख सकते ।

श्री एस० एम० बनर्जी : लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का क्या हुआ ? केन्द्रीय जांच ब्यूरो के जांच प्रतिवेदन का क्या हुआ ? बीजू पटनायक के बारे में प्रतिवेदन का क्या हुआ ? वांछू आयोग के प्रतिवेदन की क्या स्थिति है ? इन सब बातों की अनुमति दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति रखिये, आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते ।

श्री एस० एम० बनर्जी : आप श्री मुखर्जी को कागजात सभा पटल पर रखने की अनुमति दे सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि सरकार इन्हें सभा पटल पर रखे । ऐसे कागजात सभा पटल पर रखे जा सकते हैं ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मुझे अनुमति दी गई थी । आप से पहले अध्यक्ष ने श्री होमी दाजी को अनुमति दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने कागजात सभा पटल पर रख सकते है परन्तु सरकार की ओर से नहीं

श्री एस० एम० बनर्जी : वह उन कागजातों को आपको दे दें, आप उनका अध्ययन करके सभा-पटल पर रखने की अनुमति दें ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : उन्होंने वेतन आयोग की सिफारिशों का तथा अन्तरिम प्रतिवेदन का भी संदर्भ दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : जब सब कुछ कहा जा चुका है तब मेरे विचार से इसमें कोई गोपनीयता नहीं रह गई है, इसे सभा पटल पर क्यों नहीं रख दिया जाय ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जब तक सरकार विचार नहीं करती तब तक यह संभव नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आपको इन्हें लाकरों में रखने चाहियें । यदि आप मेज पर रखेंगे तो इनका भेद खुल जायेगा । यदि भेद खुल जाता है तब छुपाने में कोई लाभ नहीं है ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : जब तक सरकार सिफारिशों के सभी पहलुओं पर विचार नहीं कर लेती तब तक इस विषय में कुछ कहना बहुत कठिन है ।. . .

श्री दीनेन भट्टाचार्य : उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । उन्होंने पूछा है कि क्या गरीबी का कोई स्तर बताया गया था ? श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी यह प्रश्न पूछा था । इसका उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है । आधा घन्टा पूरा हो चुका है ।

श्री समर मुखर्जी : उन्हें स्पष्टीकरण करने दो ।

अध्यक्ष महोदय : गरीबी के स्तर का स्पष्टीकरण, कहाँ से गरीबी आरम्भ होती है और कहां समाप्त ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा हो चुकी है और अब यह सार्वजनिक दस्तावेज है । कोई भी संदर्भ दिया जा सकता है । प्रश्न यह है कि जो गरीबी का स्तर निर्धारित किया गया है अर्थात् जो उनके अनुसार 40 रुपये है उसका अनुसरण किया जायेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे अनुसार नहीं, उन्होंने बताया है ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : वे अनुभवी मज़दूर संघ नेता हैं और उन्हें पता है कि द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय बातचीत किस प्रकार होती है और वार्ता के आधार पर ही निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सकता है । और जहाँ तक गरीबी के स्तर का प्रश्न है मैं वार्ता आरम्भ नहीं कर सकता हूं और मज़दूर संघ नेताओं को इस बात का पता है ।

इस्पात संयंत्रों के उत्पादन में गिरावट

*263. **श्री वयालार रवि** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष से पहले के वर्ष की तुलना में गत वर्ष सभी इस्पात संयंत्रों में उत्पादन कम हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस गतिरोध को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, हाँ। वर्ष 1973-74 में पाँच मुख्य इस्पात कारखानों का विक्रेय इस्पात का कुल उत्पादन वर्ष 1972-73 के 47.93 लाख टन के मुकाबिले में 43.53 लाख टन था।

(ख) वर्ष 1973-74 में मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा :—

(1) बिजली में भारी कटौती और बिजली की सप्लाई में रुकावट आने के कारण विशेष रूप से अप्रैल से नवम्बर, 1973 के मध्य की अवधि में इन कारणों से भिलाई को छोड़कर सभी इस्पात कारखानों के उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ा।

(2) इस अवधि में कोयले की अपर्याप्त उपलब्धि ने, जो बिजली की कटौती और बिजली की सप्लाई में रुकावट आने के कारण ही थी, समस्त झरिया कोयला क्षेत्र पर प्रभाव डाला और इसके कारण कोयला शोधनशालाओं और कोयला खानों के परिचालन में कमी करनी पड़ी जिसका सभी इस्पात कारखानों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा।

(3) अगस्त, 1973 और फिर नवम्बर, 1973 के अन्त में धीमी गति से काम करने और रेलवे में, विशेषरूप से दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी रेलवे में श्रमिक अशान्ति के कारण कोयले तथा दूसरे कच्चे माल तथा तैयार इस्पात की ढुलाई पर प्रभाव पड़ा और कच्चे माल की निम्नतम आवक को देखते हुए उत्पादन में भारी कटौती करनी आवश्यक हो गई।

वर्ष 1974-75 के उत्पादन लक्ष्य, वर्ष 1973-74 की तुलना में अधिक है, जो बिजली, अन्य आवश्यक आदानों और रेल यातायात की आवश्यकताओं तथा सम्भाव्य आपूर्ति और उपलब्धि का अनुमान लगाकर सभी सम्बन्धित अभिकरणों से परामर्श करके निर्धारित किए गए हैं। इन अभिकरणों के साथ सतत सम्पर्क बनाए रखा जा रहा है ताकि इनकी आवश्यकताओं की आपूर्ति अथवा उपलब्धि में कमी के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

श्री वयालार रवि : मंत्री महोदय के उत्तर के अनुसार बिजली बन्द होने के कारण इस्पात उत्पादन में कमी आयी है, कोयला उपलब्ध नहीं होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस्पात कारखानों के मजदूरों को दोषी नहीं ठहराया गया है। यह अच्छी बात है।

वर्ष 1974-75 के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा कोयले और रेल वैगनों की अनुपलब्धता सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : वर्ष 1974-75 के लिये बिक्री योग्य इस्पात का लक्ष्य 54 लाख टन है। हम पिछले कुछ महीनों से आपस में बैठकें कर रहे हैं। योजना तयार करने के कार्य से सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रतिनिधि तीन-चार दिन दिल्ली में रहे और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से सम्मुख आने वाली समस्याओं के सभी पहलुओं पर हमने विचार किया। इसके बाद देश में बहुत सी घटनायें हुयीं जैसे रेलवे हड़ताल आदि जिनके बारे में माननीय सदस्य को पता है। यद्यपि कठिनाइयां दूर नहीं हुई हैं फिर भी हम निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति पर दृढ़ रहेंगे। सरकार और हमारा मंत्रालय इस ओर साथ साथ प्रयास करेंगे। हम आपस में मिलते रहते हैं और कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। 54 लाख टन के लक्ष्य पर हम दृढ़ रहेंगे। लक्ष्य प्राप्ति के बारे में यह मेरा व्यक्तिगत इच्छा है।

श्री वयालार रवि : आज देश की मांग को पूरा करने के लिये 54 लाख टन का लक्ष्य पर्याप्त नहीं है। अतः इस्पात की खपत, विशेषकर अनुत्पादक क्षेत्र में, कम करने के लिये सरकार ने क्या प्रस्ताव किये हैं और क्या कदम उठाये हैं और क्या देश में इस्पात की मांग को पूरा करने के लिये इस्पात का आयात करने का भी सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह सच है कि देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 54 लाख टन इस्पात अपर्याप्त है। जसा कि माननीय सदस्य को पता है मांग महत्वपूर्ण हैं। अतः सरकार अनुत्पादक क्षेत्र में इस्पात की खपत कम करने के लिये कदम उठा रही है। इसके साथ साथ कुछ तकनीकी संशोधन किये गये हैं जिससे और इस्पात बनाया जा सके और जिससे खपत में 33 प्रतिशत की कमी आयेगी। गृह निर्माण कार्य में इस्पात कम मात्रा में उपयोग में आने की संभावना है। इसके साथ ही, हमारी नयी नीति के अनुसार हम कुछ प्रशासनात्मक कदम उठाना चाहते हैं जिनसे इस्पात को खपत में कमी आयेगी। हमारा उद्देश्य अधिकाधिक इस्पात निर्यात करने का है जिसस विदेशी मुद्रा प्राप्त को जा सके और यह देश के काम आ सके।

प्रो० मधु दंडवते : बहुत सो आर्थिक पत्रिकाओं में बताया गया है कि इस्पात कारखानों का प्रबन्ध नियंत्रण की सीमा से बाहर प्रयोग करने के कारण इस्पात के उत्पादन में कमी आयी है। यह भी बताया गया है कि सरकार का विचार इस्पात कारखानों में पारी व्यवस्था लागू करने का है। क्या छोटे इस्पात कारखानों में भी पारी व्यवस्था लागु की जायेगी ? यदि हाँ, तो ऐसो पारी व्यवस्था को मुख्य बातें क्या हैं?

श्री के० डी० मालवीय : प्रबन्ध नियंत्रण के बाहर के प्रयोग से माननीय सदस्य का क्या तात्पर्य है। मैंने कठिनाई की बात की है। कठिनाइयां हैं। देश को सम्पूर्ण स्थिति तथा आवश्यकताओं को देखते हुये परिवहन सुविधा उपलब्ध न होने के कारण सामने आने वाली कठिनाइयों, विद्युत उत्पादन को कमी, कोकभट्टो तथा धावन भट्टियों की स्थिति सुधारने में हमारो अक्षमता के संदर्भ में कठिनाइयों को दूर करना आवश्यक है। आज इन सभी कठिनाइयों को जानना बहुत आवश्यक है और हमने एसा किया है। हम स्थिति में सुधार करने के प्रयत्न कर रहे हैं। जहाँ तक छोटे इस्पात कारखानों का प्रश्न है यह लम्बे समय की बात है। पहले से हो ऐसे छोटे इस्पात कारखाने चल रहे हैं। जिनमें थोड़ी पूंजी लगतो है, कम समय लगता है और वे ऐसे उत्पाद देते हैं जो निर्माण तथा अन्य कार्यों के लिए आवश्यक हैं। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हम थोडे समय में बहुत कम पैसा व्यय करके बहुत सीमा तक इस्पात उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इसके लिये हमें बड़े इस्पात कारखानों पर निर्भर न रहने अपितु बड़ी संख्या में छोटे इस्पात कारखानों को भी इस क्षेत्र में सम्मिलित करने, जो विचाराधोन है कि वर्तमान नीति में संशोधन करना होगा।

श्री हरि किशोर सिंह : बिहार में इस्पात उत्पादन में कमी आने के लिये मंत्री महोदय ने बिजली सप्लाई में बाधा एक कारण बताया है। मेरे विचार से झरिया कोयला खनन क्षेत्र में बिजलो की सप्लाई में वृद्धि होने की कोई संभावना नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या अपने मंत्रालय के नियंत्रणाधीन तापोय संयंत्र लगाकर अथवा तापोय बिजलो घर को स्थापना के लिये राज्य सरकार को विशेष सहायता देकर बिजलो को सप्लाई में वृद्धि करने पर विचार किया जायेगा जिससे कि इस्पात कारखानों को बिजलो की सप्लाई उपलब्ध हो सके।

श्री के० डी० मालवीय : इसमें कोई संदेह नहीं है कि झरिया कोयला खनन क्षेत्र में बिजलो को सप्लाई की कमी है। हम इस बात के लिये मंत्रालयों के संयुक्त प्रयास कर रहे हैं कि पर्याप्त कोयला मिले और विद्युत उत्पादन पर्याप्त हो। हम बड़े बिजलो घर बनाने के लिये प्रत्येक संभव प्रयत्न करेंगे। परन्तु 50 मैगावाट अथवा 30 मैगावाट के बिजलो घर को स्थापना में कम से कम दो वर्ष का समय लगता है क्योंकि इसे बनाना पड़ता है, उपलब्ध करना होता है, आयात करना होता है तथा रुपये को व्यवस्था करनी होती है।

Shri Ramavatar Shastri : May I know whether it has been brought to the notice of the Government time and again that the top Officers of the Steel Plants are trying to sabotage the production programme in collaboration with private industrialists dealing in steel, so, the action taken by the Government in this regard? I want to know about it as we have made complaints in this regard?

Shri K. D. Malviya : I have no information of any sabotage from within which affects steel production programme. There are certain constraints and we are trying to improve the position and we hope to increase production. I may assure the House that if there is any such attempt that will be failed.

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : हम 45 मिनट में दो प्रश्न कर पाये हैं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : मैं कई बार खड़ा हुआ हूं फिर भी आप हमारा नाम नहीं पुकारते हैं ।

श्री डी० एन० तिवारी : सामान्यतया नां ही मैं प्रश्न पूछता हूं और नां ही खड़ा होता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं फाइल मंगाता हूं, आपको दिखाऊंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप सदैव इधर-उधर देखते रहते हैं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : यदि आप नियम पर बल देंगे तो आप नियमों का उल्लंघन कर रहे ह । कल समिति में यह निर्णय किया गया था कि केवल तीन अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दी जायेगी । आज आप कल के निर्णय के उल्लंघन में इतने अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति क्यों दे रहे हैं ?

श्री पी० वेंकटासुब्बया : अध्यक्ष पीठ पर इस प्रकार आक्षेप नहीं लगाये जाने चाहियें । हम भी कई बार खड़े होते हैं और हमारा नाम नहीं पुकारा जाता . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : 45 मिनट में हम केवल दो प्रश्न कर पाये हैं, हमें और अधिक प्रश्न करने चाहियें ।

रामगढ़ तथा केडला कोयला खानों को चालू करने में रूस की सहायता

*264. **श्री प्रबोध चन्द्र :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला के सोवियत विशेषज्ञों के नेताओं ने गत मई में भारतीय पत्रकारों को बताया था कि रामगढ़ और केडला क्षेत्रों में विशाल कोयला खानें चालू करने की योजना बनाई जा रही है जिस के लिए कुछ मशीनरी रूस में तैयार होगी और डिजाइन की तैयारी में भाग लेने के लिये भारतीय विशेषज्ञों को लेनिनग्राड भेजा जायेगा ;

(ख) योजना की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) भारतीय विशेषज्ञों के नाम क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) रामगढ़ क्षेत्र में रूसी सहायता से 35 लाख टन की वार्षिक क्षमता की एक 'ओपन कास्ट' खान विकसित करने और इस उत्पादित कोयले के लिए एक प्रक्षालनशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है । कोयला खान प्राधिकरण और संबद्ध रूसी संगठन स्वेत्मेओमेक्सपोर्त के बीच 2-8-74 को एक करार किया गया है जिसमें केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान, रांची में साध्यता रिपोर्ट तैयार करने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए प्रारंभिक आंकड़े एकत्र करने तथा पहली प्रारंभिक रूपरेखा तैयार करने में रूस की तकनीकी सहायता का प्रावधान है । ऐसा अनुमान है कि व्यापक परियोजना रिपोर्ट की प्रारंभिक रूपरेखा तैयार करने हेतु कुछ भारतीय विशेषज्ञों को कुछ समय के लिए रूस भेजना होगा ।

श्री प्रबोध चन्द्र : प्रश्न के (ग) भाग में मैंने भारतीय विशेषज्ञों के नाम पूछे हैं। मंत्री महोदय ने नाम नहीं बताये हैं। क्या यह सच नहीं है कि भारतीय विशेषज्ञों ने इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि वे सभी मशीनें भारत में बनायी जा सकती हैं जिनको रूस में बनवाने का विचार है।

श्री सुबोध हंसदा : समझौते पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं और यह विचार किया गया है कि कुछ अधिकारियों को भेजा जाये परन्तु अधिकारियों के नामों के बारे में निर्णय अभी तक नहीं किया गया है।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या यह सच है कि सरकार ने मशीनों के भारत में बने एक भाग को लेना चाहा था परन्तु भारतीय विशेषज्ञों ने इसका विरोध करते हुये कहा कि हम सारी मशीनें भारत में बना सकते हैं, इन्हें रूस से आयात करके विदेशी मुद्रा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सुबोध हंसदा : मुझे इस बात का पता नहीं है कि भारतीय विशेषज्ञों ने विरोध किया था। परन्तु क्योंकि समझौता हाल ही में 2 अगस्त, 1974 को हुआ है, इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है कि ये मशीनें भारत में ही बनेगी अथवा रूस से आयेंगी।

श्री प्रबोध चन्द्र : मुझे इसी बात की आपत्ति है। मंत्री महोदय ने केवल इतना बताया है कि समझौता हुआ है। मैं यह बात जानना चाहता हूं कि ऐसा समझौता किया ही क्यों गया जो देश के हित में नहीं है।

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : यह सच नहीं है। यह कहना बिल्कुल गलत है कि जो समझौता किया गया है वह देश के हित में नहीं है। यदि किसी का ऐसा विचार हो तो वे उन्हें दूर कर दें... **(व्यवधान)** इस प्रकार चिल्लाने से मुझे विचलित नहीं किया जा सकता। जो कुछ मैंने किया है उसका मुझे पता है। मैं बताता हूं कि क्या किया गया है। **(व्यवधान)** यदि वे नहीं चाहते तो मैं इस प्रश्न का उत्तर देने का बहुत इच्छुक नहीं हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यदि इसका उत्तर आपके पास नहीं है तो कृपया चुप रहें।

श्री के० डी० मालवीय : कुछ प्रकार की मशीनें भारत में नहीं बनाई जा सकतीं। हम कोयला-उत्पादन बढ़ाने के बहुत इच्छुक हैं और ऐसा करने में अधिक समय लगेगा यदि हम वे मशीनें देश में ही बनाएं, अतः जो मशीनें यहां नहीं बन सकतीं, वही आयात की जाएंगी। ऐसी मशीनें जिनके बिना कोई चारा ही नहीं है, वे कहीं से मिलें मंगाई जाएंगी। अभी तो सोवियत संघ ने उन्हें देने का वचन दिया है, इस लिए हम रूस से मंगा रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कुछ ही समय पूर्व माननीय मंत्री ने कहा था कि सोवियत संघ के साथ हुए करार में यह बात स्पष्ट नहीं है कि उक्त मशीनरी वहां से मंगाई जायेगी या भारतीय मशीनें उपयोग में लाई जाएंगी। इन दोनों परस्पर-विरोधी बातों में कौन सी ठीक है ?

श्री के० डी० मालवीय : विरोधी होने की तो कोई बात ही नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने अभी उप-मंत्री महोदय का वक्तव्य सुना था और उन्होंने कहा था कि उसमें केवल आयात की ही व्यवस्था नहीं है।

श्री पीलू मोदी : वास्तव में वे मशीनें पश्चिम जर्मनी से आ रही हैं।

श्री के० डी० मालवीय : यदि जनसंघ के नेता इसमें अन्तर्ग्रस्त समस्याएं नहीं समझ सकते तो...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमें भाषण नहीं चाहिये।

श्री के० डी० मालवीय : उप-मंत्री ने जो कहा है उसे सदस्य महोदय बिलकुल नहीं समझ सके हैं... **(व्यवधान)** आप क्यों क्रोध करते हैं जब मैं क्रोध नहीं कर रहा हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : This is a very wrong way of saying things and Shri Malviya cannot treat hon. Members like this. Is he the repository of all knowledge?

श्री के० डी० मालवीय : मैं सदस्यों के क्रुद्ध चेहरों से डरने वाला नहीं हूं। मेरी बात तो आपको सुननी पड़ेगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमें आपकी कथा नहीं सुननी। श्रीमन्, क्या आप एक ही प्रश्न में दो मंत्रियों द्वारा परस्पर-विरोधी उत्तर चलने देंगे? कृपया रिकार्ड देखें।

अध्यक्ष महोदय : एक दूसरे पर क्रोध करने का कोई लाभ नहीं है। प्रक्रिया के अनुसार मामला अध्यक्ष के ध्यान में लाया जाना चाहिये न कि आपस में झगड़ना चाहिये। 55 मिनट में हम तीन ही प्रश्न निपटा पाये हैं।

Shri Damodar Pandey : According to the reply, agreement has been signed with Russia regarding Kedala. But it is already giving production and what is being done in respect of stocks accummulated there?

Secondly production is proposed to be started in Ramgarh also but there is no railway siding there. I want to know when it will start production and what arrangements are being made to provide sidings at there two places so as to lift lakhs of tonnes of coal there?

Shri K. D. Malviya : We are expecting receipt of Feasibility report from the Soviet team. Then only we shall know which machines we shall be able to fabricate here and which shall have to be imported. We shall propose to open new collieries only when we have got this machinery. This will take some time and we shall be able to solve the problem of moving the stocks in the meantime. I, therefore submit that no contradictory statement has been made by us.

कोयले के विकास में सहयोग देने के लिये राज्यों से कहना

*265. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
श्री अनादि चरण दास :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे कोयले के उत्पादन और विकास में लगी हुई केन्द्रीय एजेंसियों को अपना सहयोग दें ; और

(ख) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) कोयला खानों की राष्ट्रीयकरण की नीति को लागू करने, कोयला-खान क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने, खानों और प्रक्षालनशालाओं को बिजली की पर्याप्त और लगातार पूर्ति तथा खान-कामगारों को आवश्यक वस्तुएं मुहैय्या करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता ली गई है। बिहार सरकार से भी झरिया कोयला क्षेत्र में सड़क, जल प्रदाय आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं के लिए एक संयुक्त विकास प्राधिकरण की स्थापना के प्रश्न पर विशेष रूप से परामर्श किया गया है।

(ख) राज्य सरकार ने इस संबंध में हमें सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : श्री मालवीय ने 4 जुलाई को खनिज निगम को संबोधित करते हुए राज्य सरकारों से 950 लाख टन कोयला-उत्पादन करने के लिए सहायता मांगी थी और उत्तर के अनुसार राज्य सरकारों से खान-क्षेत्रों में शान्ति-व्यवस्था तथा सड़कों आदि जैसी मूल-ढांचे संबंधी सुविधाएं

जुटाने के लिए सहायता मांगी गई है। जैसा कि हमें ज्ञात है, राज्यों के पास साधन सीमित हैं और उनकी अपनी वरीयताएं हैं। क्या हम उक्त क्षेत्र में अपनी ओर से ये सुविधाएं नहीं जुटा सकते ताकि हमें राज्यों पर निर्भर न रहना पड़े ?

श्री सुबोध हंसदा : उत्तरी खण्ड में पहली बार विधि और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी और इसीलिए राज्य सरकारों से सहयोग मांगा गया है। विशेषकर पश्चिम बंगाल में मुख्य मंत्री ने शान्ति बनाए रखने के लिए कदम उठाए हैं और डी० आई० जी० से शरारत करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। सड़कों के निर्माण तथा अन्य बातों के बारे में यह ठीक है कि कोयला खानों के सरकारीकरण से पूर्व वे क्षेत्र विकसित नहीं थे परन्तु अब यह कोयला खान प्राधिकरण का ही कर्तव्य है कि वे क्षेत्र विकसित किए जाएं। झरिया कोयला क्षेत्र के बारे में झरिया विकास बोर्ड कोयला खानों से इस कार्य के लिए उपकर वसूल करना है। यह एक बहुत पुराने अधिनियम के अनुसार किया जाया है परन्तु उक्त बोर्ड काफी समय से कार्य नहीं करता रहा है परन्तु अब राज्य सरकार को सड़कों आदि के निर्माणार्थ इस बोर्ड को पुनः सक्रिय बनाने के लिए कहा गया है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस क्षेत्र में पाये जाने वाले अनेक निक्षेपों को गैर-सरकारी क्षेत्र को दे देने का सुझाव दिया है और यदि हां, तो क्या सरकारी नीति के अनुसार ऐसा किया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : कदापि नहीं। इन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र को देना सरकार की नीति नहीं है।

श्री पी० वेंकटा सुब्बैया : क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने सिंगरेनी कोयला खानों के विकास के लिए सहायता मांगी है क्योंकि इनका उत्पादन अन्य खानों की अपेक्षा काफी संतोषजनक है ?

श्री के० डी० मालवीय : वे खानें अच्छी तरह चल रही हैं और उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए यदि कोई सहायता मांगी जाएगी तो हम अवश्य यथासंभव सहायता देंगे।

Third Wage Board For Working Journalists

+

***266. Shri Madhavrao Scindia :**
Shri G. P. Yadav :

Will the Minister of **Labour** be pleased to state the decision taken by Government in regard to the views expressed in the Parliament during April last regarding the representtion of the National Union of Journalists on the Third Wage Board for Working Journalists and the action taken thereon?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : 25 अप्रैल, 1974 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 831 से सम्बन्धित पूरक प्रश्नों के दौरान व्यक्त किए गए विचारों को सरकार ने नोट कर लिया है। तथापि श्रमिकों के प्रतिनिधियों और अन्य सदस्यों तथा वेतन बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में अभी निर्णय लिए जाने हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : इस अप्रैल में ऐसे ही एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि प्रस्तावित तीसरे मजूरी बोर्ड में श्रमजीवी पत्रकारों के अभ्यावेदनों पर फैसला प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर कुछ प्रकाश डालें और बताएं कि प्रत्येक मामले में गुण-दोष परखने की कसौटी क्या होगी; दूसरे, इस प्रकार के पत्रकारों के महंगाई भत्ते और वेतन में पांच वर्ष से अधिक समय से कोई वृद्धि नहीं की गई है और आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि श्रमजीवी पत्रकार का न्यूनतम वेतन तीसरे वेतन आयोग द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन से भी कम है। इसी कारण ही तीसरे मजूरी बोर्ड की स्थापना करना आवश्यक हो जाता है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि तीसरा वेतन बोर्ड कब तक गठित कर दिया जाएगा ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं बता ही चुका हूं कि मजूरी बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्यों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि आदि के बारे में फैसला अभी किया जाना है। अत: श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में फैसला भी अभी होना शेष है ।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं आपकी सहायता चाहता हूं । उत्तर ठोस नहीं है। सरकार के पास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए दो वर्ष का समय था ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

श्री माधवराव सिंधिया : मंत्री महोदय टाल रहे हैं । मैं कसौटियों और मजूरी बोर्ड बनाए जाने की तिथि के बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो चुका है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने सदस्य को प्रश्न पूछने दिया । अब आप यह भी तो देखें कि मंत्री उसका उचित उत्तर देते हैं या नहीं ?

श्री पी० जी० मावलंकर : उन्होंने तो उत्तर ही नहीं दिया, उचित का तो कहना ही क्या ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो चुका है। उन्हें एक पूरक प्रश्न पूछने का अवसर मिला था ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : परन्तु उत्तर क्या मिला ?

श्री पी० जी० मावलंकर : अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं क्या दिए गए उत्तर से संतुष्ट हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न । श्री समर गुह ।

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT-NOTICE QUESTION

परिवार नियोजन के लिए तीव्र कार्यक्रम

अ० सू० प्र० संख्या 3. श्री समर गुह : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवार नियोजन सम्बन्धी परियोजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या कोई तीव्र कार्यक्रम अपनाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । किये गये अध्ययनों से यह पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 60-70 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्रों में 70-80 प्रतिशत लोगों में परिवार नियोजन की जानकारी है । कार्यक्रम के आरम्भ से 1 करोड़ 49 लाख दम्पत्तियों को, जिनकी पत्नियां प्रजननशील आयु वर्ग में हैं, परिवार नियोजन के किसी एक या दूसरे तरीके से सुरक्षित किया जा चुका है। अनुमान है कि मई, 1974 तक 1 करोड़ 72 लाख जन्म रोके गये हैं। 1973-74 के अन्त तक जन्म दर घट कर लगभग 35.6 प्रति हजार जनसंख्या हो गई है ।

(ग) और (घ) जी, हां । परिवार नियोजन कार्यक्रम को तेज करने के लिए अपनाये गये उपायों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

परिवार नियोजन कार्यक्रम को तेज करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं :—

(1) यह निर्णय किया गया है कि परिवार नियोजन को एक बड़े विकास समूह विशेषतया स्वास्थ्य, पोषण तथा मातृ और शिशु कल्याण के साथ, क्रमिक रूप से मिला दिया जाए। ऐसे समेकित विकास के लिए सेवा और संचार दोनों ही प्रकार के प्रयत्नों को लगाया जाएगा।

(2) **न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम** के जरिये लोगों को उत्तम स्वास्थ्य और अन्य सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था की गई है तथा यह परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता के लिए अधिक प्रभावकारी ढांचा प्रदान करेगा।

(3) इस समय **बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता,** मलेरिया **निरीक्षण कार्यकर्ता,** वैक्सीनेटर, स्वास्थ्य शिक्षा सहायक (रोहे) परिवार नियोजन सहायक आदि के पदनाम वाले एक उद्देश्यीय **कार्यकर्ता केवल** अपने अपने कार्यक्रमों के लिए ही कार्य कर रहे हैं। इन सभी **कार्यकर्ताओं** को अब धीरे धीरे बहुद्देश्यीय कार्यकर्ताओं के रूप में परिवर्ति कर दिया जाएगा और इस तरह स्वास्थ्य **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य** और परिवार नियोजन के लिये अधिक संख्या में लोग उपलब्ध होंगे। परिवार नियोजन कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) फिलहाल नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम की क्रियान्विति का एक समान प्रतिमान अपनाया जा रहा है। चूंकि ग्रामों और नगरों में रहने वाली जनसंख्या की सामाजिक आर्थिक विशेषताओं में काफी बड़ा अन्तर होता है अतः ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रो में कार्यक्रम की नीति अलग अलग होनी चाहिए। तदनुसार यह निर्णय किया गया है कि गहन प्रयत्नों के लिए जहां तक नगरीय क्षेत्रों का संबंध है, नई नीति नगरीयकरण, महिला साक्षरता तथा जनसंख्या के घनत्व जैसी विशेषताओं पर आधारित होनी चाहिए और जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का संबंध है, यह वृद्धि दर और जनसंख्या के घनत्व पर आधारित होनी चाहिए।

(5) एक ऐसी नई प्रोत्साहन नीति अपनाने का प्रस्ताव है जिसके अनुसार अलग अलग लोगो पर व्यक्तिगत तौर पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। विभिन्न जन प्रचार के साधनों का पूरा उपयोग किया जाएगा तथा दूरदर्शन तथा रेडिओ पर किए जाने वाले प्रचार का विस्तार किया जाएगा। नई संचार नीति उस **सामूहिक सेवा** का एक अंग होगी जिसे परिवार नियोजन, शिशु स्वास्थ्य पोषण, महिलाओं की हैसियत और अधिकार, आर्थिक अवसरों की समानता तथा अधिक रोगी बच्चे पैदा करने की तुलना में कम और स्वस्थ बच्चे पैदा करने आदि जैसे संबंधित कार्यक्रमों को साथ साथ चलाना और हल करना होगा। नए परिवार नियोजन संचार का स्वरूप अन्तर्विषयक, अन्तर्मन्त्रालयीय तथा बहुव्यावसायिक होगा।

(6) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे जनता के चुने हुये, प्रतिनिधियों जैसे संसद् सदस्यों, विधायकों, जिला परिषदों/पंचायतों/पंचायत संघों के सदस्यों, श्रमिक संघों, अध्यापक/छात्र संघों जैसे संगठनों तथा व्यावसायिक संघों आदि का सहयोग प्राप्त करके परिवार नियोजन कार्यक्रम को एक जन आन्दोलन बनाएं।

(7) राज्य सरकारों को बता दिया गया है कि पांचवीं योजना के अन्त तक जन्म दर को 30 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करने के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वे 1974-75 के दौरान निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सभी प्रयास करें :—

नसबन्दी	20 लाख
लूप	6 लाख
प्रचलित गर्भनिरोधक उपयोगकर्ता . . .	35 लाख

प्रतिरक्षण योजनाएं

(1)	(1) स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चे .	50 लाख
	(2) स्कूली बच्चे	57 लाख
	(3) गर्भवती महिलाएं .	30 लाख

पौषणिक रक्तक्षीणता से रोकथाम

(1)	माताएं . . .	25 लाख
(2)	बच्चे	25 लाख
	अन्धेपन से रोकथाम	87.50 लाख

(8) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर एक सप्ताह या 10 दिन की अवधि के लिए छोटे नसबन्दी शिबिरों को चलाए जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कर्मचारियों द्वारा अपने सामान्य कार्य में अधिक बाधा डाले बिना 150-200 नसबंदियां की जा सकती हैं। मामलों के उचित चयन और उनकी अनुवर्ती देखभाल में अधिक सावधानी रखी जाएगी ।

(9) परिवार नियोजन अपनाने वाले व्यक्तियों की पसंद के अनुसार परिवार नियोजन के सभी तरीकों के अपनाने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ।

(10) गर्भनिरोधक के सुधरे हुए और स्वीकार्य तरीकों का विकास करने के उद्देश्य से प्रजनन जीव विज्ञान में अनुसंधान को तेज करने का प्रस्ताव है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस विषय पर अल्प सूचना प्रश्न कैसे स्वीकार कर लिया गया ?

श्री पीलू मोदी : क्या अचानक बच्चों का जन्म रोक लिया गया है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बच्चे अल्प सूचना में ही पैदा हो जाते हैं !

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि प्रो० समर गुह तथा मंत्री महोदय एक दूसरे को समझते हैं तभी तो यह प्रश्न आ सका ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे अनेक अल्प सूचना प्रश्न अस्वीकार कर दिये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप यह समझने का प्रयास कीजिये कि सरकार से कैसे काम करवाया जाता है ।

श्री समर गुह : जनसंख्या वृद्धि काफी गंभीर समस्या है । हमें इसे साधारण समस्या नहीं समझना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री समर गुह जी, मैं समझता हूं इन सब का आपत्ति करना उचित है । मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें तत्कालीन वाली क्या बात थी परन्तु वह कार्यावली में है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है...

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि कोई सदस्य सरकार से कठिन स्थिति में डालने वाला प्रश्न पूछता है, तो क्या मंत्री महोदय उसका उत्तर देते हैं ? क्या यह मंत्री महोदय पर निर्भर करता है कि वह किस प्रश्न का उत्तर दें और किस प्रश्न का न दें ? यदि ऐसी बात है तो फिर सम्पूर्ण संसदीय प्रणाली ही बेकार है । इसके बारे में उन्हें संदेह नहीं होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ही संसदीय प्रणाली के संरक्षक हैं, तो फिर तो भगवान् ही हमारी रक्षा कर सकता है ।

श्री समर गुह : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न स्वीकार कर मंत्री महोदय ने न्याय किया है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : जी हां, श्रीमान, यह ठीक ही कह रहे हैं ।

श्री समर गुह : वर्ष 1938 में जब कि संयुक्त भारत की जनसंख्या केवल 30 करोड़ थी उस समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि यदि जनसंख्या में इसी प्रकार दिन दुगनी और रात चौगुनी वृद्धि होती रही तो देश की सभी भावी योजनायें विफल हो जायेंगी . . .

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह बिलकुल गलत बात है । मैं आपको बताता हूं । चीन की जनसंख्या भारत से अधिक है । परन्तु फिर भी उनके समक्ष इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है । हमारे यहां सभी प्रकार की समस्याओं का कारण जनसंख्या वृद्धि कही जाती है ।

श्री पीलू मोदी : यदि माननीय सदस्य चाहें तो वह पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या बात है, आप चुप क्यों नही बैठ सकते ? मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं सम्बद्ध नियम को पढ़ता हूं । नियम 54(2) में कहा गया है :

"यदि अध्यक्ष यह समझें कि प्रश्न तत्कालीन महत्व का है तो लोक महत्व के विषय से सम्बद्ध प्रश्न 10 दिन के नोटिस से भी थोड़े समय में पूछा जा सकता है . . ."

अत: श्रीमान जी, आपने यह समझा कि यह प्रश्न तत्कालीन महत्व का है और मंत्री महोदय को उत्तर नेने का निदेश दिया । . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं यह सब सुनने के लिए यहां नहीं बैठा हूं । यह सब कुछ मंत्री महोदय द्वारा स्वीकार किया गया था ।

श्री पीलू मोदी : उन्होंने 9 महीने का नोटिस दिया है ।

श्री समर गुह : श्रीमान जी, जनसंख्या की समस्या निश्चय ही देश की एक गंभीर समस्या है । यदि जनसंख्या वृद्धि को न रोका गया तो एक शताब्दी के बाद मानवजाति हो समाप्त हो जायेगी । कुछ सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं है . . .

श्री ज्योतिर्मय बसु : अब हम एक शताब्दी बाद आने वाली बात कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री समर गुह : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये ।

श्री समर गुह : मैं चीन की क्रान्ति को समझता हूं और चीन की समस्याओं को भी समझता हूं । . . .

अध्यक्ष महोदय : चीन की सांस्कृतिक क्रांति के बारे में आपको लड़ने की जरूरत नहीं है।

श्री समर गुह : इन्हें मुझे यह चीजें नहीं सिखानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री पीलू मोदी : चीनी छिपकली खाते हैं। क्या आप भी खायेंगे ?

श्री समर गुह : कृपया मेरी बात सुनिये।

श्रीमानजी, हमारी सम्पूर्ण पांचवीं योजना इस गणना पर आधारित है कि आज जो जनसंख्या वृद्धि की दर 2.5 प्रतिशत है उसे घटाकर 1.7 प्रतिशत तक लाया जाना चाहिये। अन्यथा सम्पूर्ण योजना ही अस्त-व्यस्त हो जायेगी। यदि यह ठीक है तो मैं परिवार नियोजन मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या आगामी 5 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि की दर को 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1.7 प्रतिशत तक लाना सम्भव होगा ? क्या यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न नहीं है ?

डा० कर्ण सिंह : पांचवीं योजना के दौरान वर्तमान जनसंख्या को 35 प्रति हजार से घटाकर 30 प्रति हजार करने का हमारा लक्ष्य है। निश्चय ही इस लक्ष्य को पूरा करना काफी कठिन होगा परन्तु यदि सदन के सभी वर्गों का सहयोग हमें प्राप्त हो तो निश्चय ही हम इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे और इसके साथ ही मैं अपने मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु से निवेदन करूंगा कि उन्हें इसे साधारण महत्त्व का मामला नहीं समझना चाहिये। यह निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण मामला है और पांचवीं योजना के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम अपने सभी प्रकार के वित्तीय, संगठनीय तथा उत्प्रेरक संसाधनों को जुटाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री समर गुह : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि क्या यह सच है कि गंदी बस्तियों, पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों और बहुपरिवारिय क्षेत्रों में जन्म दर सामान्य जन्म दर की तुलना में अधिक है यदि यह ठीक है तो क्या इन क्षेत्रों के लिए कोई द्रुत परिवार नियोजन कार्यक्रम बनाया जायेगा क्योंकि आपको यह तो मालूम हो ही गया होगा कि ऐसे क्षेत्रो में जन्म दर अधिक है ? हमारे देश के ऐसे क्षेत्रों की 93 प्रतिशत जनसंख्या अशिक्षित है। परिवार नियोजन के विज्ञापन 200 समाचारपत्रों में देने का क्या औचित्य है ? क्या हमारे श्रव्य-दृश्य प्रचार साधनों यथा रेडियो, फिल्मों तथा फील्ड यूनिटों द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किये जायेंगे ताकि इस कार्यक्रम को अधिक कारगर बनाया जा सके ?

डा० कर्ण सिंह : यह ठीक है कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये क्षेत्रों तथा गंदी बस्तियों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि की दर अन्य क्षेत्रों की तुलना म अधिक है। यह एक विश्व-व्यापी प्रक्रिया है। इसीलिए यह हमारे देश में भी है। हमारे कार्यक्रम की एक त्रुटि यह है कि हम जनसंख्या की बहुत सीमित प्रतिशतता तक पहुंच पाते हैं। पांचवीं योजना के दौरान हम उन क्षेत्रों तक पहुंचने का भरसक प्रयत्न करेंगे जिनका माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया है। मैं माननीय सदस्य के साथ इस बात पर सहमत हूं कि अंग्रेजी के समाचारपत्रों ने विज्ञापन देना अपने सीमित संसाधनों को व्यर्थ करना ही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ विचारविमर्श करके हमने परिवार नियोजन प्रसारण बोर्ड का गठन किया है और इस प्रकार हम इन सम्पूर्ण संसाधनों अर्थात् रेडियो, टेलीविजन तथा इश्तहारों आदि का उपयोग कर रहे हैं...

[**डा० हेनरी आस्टिन** पीठासीन हुए
DR. HENRY AUSTIN *in the Chair*]

अतः इस प्रकार हम इन क्षेत्रों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं।

Shri R. S. Pandey: Whatever has been stated about family planning by Dr. Karan Singh deserves all appreciation. It is a matter of pleasure that ever since he took over as the Minister of Family Planning, the population growth has been arrested. But the

people are being subjected to a big joke in the name of Family Planning. You will recollect that loop was advertised to be an effective contraceptive and it became very popular but later on doctors said that loop is harmful. There is no doubt in it that population explosion is a serious problem and if we fail to arrest population growth all our plans will shatter. It is therefore, necessary that utmost care should be taken while implementing our Family Planning programme whether it is looping or operating, this all should be done in a sympathetic and systematic way so as to popularise Family Planning. One reason for not satisfactory progress of Family l nning programme may be some fundamental wrong with it.

Dr. Karan Singh : As far as Family Planning is concerned, operation, loop and Nirodh facilities are provided under it. The loop is not that much unpopular as hon. Member is claiming it to be. I have come to know that an improved version of "Copper T" of loop has been developed and our specialists are of the opinion that it can be of good use. So we should not defame loop. I will present the improved version of loop to hon. Member.

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं भारत सरकार की सराहना करता हूं कि परिवार नियोजन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में वह संसार के अन्य देशों से आगे रही है । मुझे मालूम है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ सहयोग करके भारत सरकार ने अनेक परिवार नियोजन परियोजनायें बनाई हैं । भारत सरकार द्वारा जन्मदर कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किये गये हैं और केवलमात्र विज्ञापन देने तथा प्रचार करने के अतिरिक्त कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं और उनके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है । मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है : क्या यह सच है कि परिवार नियोजन के नाम पर अनेक अशिक्षित गरीब तथा भोलेभाले लोगों को गलत जानकारी देकर उन्हें गुमराह किया जा रहा है ? इसके कारण इन परिवारों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । यही कारण है कि कार्यक्रम सफल नहीं हो पा रहा है । इनके बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डा० कर्ण सिंह : मैं उत्तर में पहले ही बता चुका हूं कि हमारा लक्ष्य जन्म को रोकना है और परिवार नियोजन कार्यक्रम के परिणामस्वरूप 1 करोड़ 72 लाख जन्मों को रोका जा चुका है । उनके दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे श्री ज्योतिर्मय बसु के सहयोग की आवश्यकता है ये बात मैं पूर्ण गंभीरता के साथ कह रहा हूं । परिवार नियोजन ऐसा कार्यक्रम है जो केवल सरकारी कार्यक्रम के रूप में सफल नही हो सकता । अन्ततः यह कार्यक्रम देश की आम जनता को स्वीकार करना होगा । यही हमारे मित्र की बात आ जाती है । जनसंख्या को कम करने के विचार हमें अपनी शिक्षा के माध्यम से जनसाधारण तक पहुंचाने होंगे । हम ने ऐसा करने का प्रयत्न भी किया है । इसके लिए हम शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के साथ भी सम्बध बनाये हुये हैं । परिवार नियोजन अन्ततः हमारा सभी प्रकार के आर्थिक विकास का ही एक अंग है । गरीबी तथा पिछड़ेपन के विरुद्ध संघर्ष करने का हमारा यही एक शस्त्र है । जब तक हम इसके सभी पहलुओं अर्थात् शिक्षा, चिकित्सीय सुविधायें, पौषणिकता आदि की ओर उचित ध्यान नहीं देते, तब तक हम इसमें सफल नहीं हो सकते । इसीलिए हमने पांचवीं योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम को इन सभी प्रयत्नों के समग्र रूप में देखने का प्रयास किया है । लोगों को गुमराह करने अथवा उनका शोषण करने का कोई प्रश्न नहीं उठता । हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी सीमित संसाधन हमारे पास हैं उनका इस प्रकार उपयोग किया जा सके कि शोषण कम से कम हो और उससे अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त हो सके ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जो पहले ही जन्म ले चुके हैं परन्तु उनको रोटी का टुकड़ा भी नसीब नहीं होता उनके बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

डा० कर्ण सिंह : उन्हें रोटी का टुकड़ा दिलाने के लिए ही तो यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है ।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

श्री वसंत साठे : इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से गरीबी के कारण गरीब लोगों के पास न तो उपयुक्त एकान्तवास होता है और न ही ऐसी जानकारी कि वह परिवार नियोजन के तरीकों का उपयुक्त उपयोग कर सके अतः क्या आप परिवार नियोजन के कार्यक्रम को आर्थिक विनियोजन का ही एक अंग बनाने पर विचार करेंगे और क्या आप इसे प्रोत्साहक तथा निरुत्साहक योजना में शामिल करेंगे ताकि लोग परिवार नियोजन कार्यक्रम अधिक उसाह के साथ अपना सके ?

डा० कर्ण सिंह : पांचवीं योजना के दौरान हम परिवार नियोजन को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के साथ मिलाने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए लोगों की आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हम परिवार नियोजन, स्वास्थ्य सेवाओं और पोषणिकता कार्यक्रम के लिए एक समेकित योजना भी बना रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : माननीय मंत्री महोदय को अनुदानों की मांगों के समय चर्चा में बोलने का अवसर नहीं मिला था परन्तु अब प्रश्नों का उत्तर देते समय उन्होंने अपनी परिवार नियोजन सम्बन्धी सम्पूर्ण योजना हमें बता दी है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के ओपरेशनों के लिए भी कोई कार्यवाही की गई है ताकि वह देश की जनता के पास जाने से पूर्व उनके ओपरेशन हुये हो ? कितने संसद सदस्य ऐसे हैं प्रजननशील अवस्था में है और उनके ओपरेशन किये जा चुके हैं ?

डा० कर्ण सिंह : मैं मानता हूं कि संसद सदस्यों की प्रजननशील क्षमता सम्बन्धी ब्यौरा मेरे पास नहीं है परन्तु उन्हें इस मामले में बिना किसी प्रकार के दल भेद के या बिना इस ओर ध्यान दिये कि पहले उनके कितने बच्चे हैं, स्पष्टतया और स्वेच्छापूर्वक मेरी सहायता करनी चाहिये। वह पहले जो कुछ भी कर चुके हैं, हम उन्हें नियमित करने के लिए तैयार हैं। संसद अन्ततः लोगों का ही मंच है और यहीं उन की समस्याओं पर चर्चा की जाती है।

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि जनसंख्या विस्फोट से हमारे समाज को भारी खतरा है। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि अभी का हमारा सम्पूर्ण परिवार नियोजन कार्यक्रम समाज के समृद्ध वर्ग तक ही सीमित रहा है तथा हमारा ग्रामीण समाज पूर्णतया उससे अछूता रहा है। जो सुविज्ञता ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची भी है, तो वह घटिया किस्म की रही है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले समाज के कमजोर वर्ग को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कर रहे ह ताकि परिवार नियोजन कार्यक्रम उन तक कारगर रूप से पहुंच सके ?

डा० कर्ण सिंह : सदस्य महोदय ने निश्चय ही काफी अच्छा प्रश्न उठाया है। हमारी योजना अभी तक समाज के सीमित वर्ग तक ही पहुंच पाई है और समाज का वह वर्ग जिसे वास्तव में परिवार नियोजन की आवश्यकता है, इससे अछूता रह गया है। पांचवीं योजना के दौरान इस ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और प्रथमतः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य संगठनों के माध्यम से यह संदेश ग्रामीण क्षत्रों तक पहुंचाया जायेगा। हम पंचायतों को भी इस कार्य में लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि स्थानीय स्वशासन को वह सबसे छोटी ईकाई है। हम इन सभी को इस कार्य से सम्बद्ध करने के लिए प्रयत्नशील हैं। अखिल भारतीय पंचायत परिषद तथा अन्य विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मेरे पास हैं। औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों तक यह संदेश पहुंचाने के लिए मैंने श्रमिकों तथा प्रबन्धों के प्रतिनिधियों को एक उप समिति बनाई हुई है। हम इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं। यह संदेश औरतों तक विशेष रूप से पहुंचाने का प्रयत्न भी किया जा रहा है क्योंकि मेरी यह धारणा है कि इस कार्य का वास्तविक दायित्व भारतीय नारी पर ही है। तभी मैं समझता हूं इस कार्य को अपेक्षित महत्व मिल पायेगा।

Shri Shiv Kumar Shastri : Mr. Speaker, Sir, in view of the fact that it is a Ministry of vital importance, I would like to know from hon. Minister if it is a fact that most of the employees of this department are temporary and they have not been confirmed despite their eight to ten years service? May I know if hon. Minister will assure us that those who have completed five years service, will be confirmed?

Dr. Karan Singh : I think the position is not such that all of them are temporary. It may be that the employees in a particular state be temporary. We are looking into it. It has already been stated by me that for another ten years it is going to be a Central Project and it will be financed by Centre.

Shri Atal Bihari Vajpayee : On one hand we are stressing upon the need of Family Planning but on the other there are such enactments under which people are allowed to undergo four marriages, are not these two things contradictory? May I know if Government will come forward with such a legislation under which every Indian irrespective of religious affiliations, should be not allowed to undergo more than one marriage.

Dr. Karan Singh : My submssion is that main question is confined to the birth of children only and the question of wives does not come in its purview.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, may I know if children come from heaven?

Dr. Karan Singh : A single marriage can lead to the birth a dozen children and a number of marriages can lead to a limited number of children. It is a different issue that there should be only one marriage. I do not want to discuss it. But my submission is that Family Planning is our policy and we want that people of all sections of society and religions should have its benefit. We want that our programme should be adopted by those also who have not adopted it so far. We are trying to reach to them. It is a voluntary programme but we want that people should make use of it.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Portuguese Control over Catholic Church in Goa

*267. **Shrimati Roza Vidyadhar Deshpande :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Portugal exercises its control through Vatican over the Catholic Church in Goa even after the liberation of Goa;

(b) whether recently Members of Parliament made a representation to the Prime Minister about it;

(c) if so, Government's reaction on it; and

(d) whether Government have taken any step to protest against it?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Under the Concordat of 1886 the Government of Portugal has the right of patronage in the appointment of Archbishops and Bishops. At present, however, there is only an Apostolic Administrator running the affairs of the Church in Goa.

(b) Yes, Sir.

(c) & (d) We have taken up the matter with the Vatican.

एस्कोर्टस ट्रैक्टर्स लिमिटेड द्वारा आयात नियमों का कथित उल्लंघन

*268. **श्री एस० एन० मिश्र :**

श्री हरि किशोर सिंह :

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि एस्कोर्टस ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने आयात नियमों का उल्लंघन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) ऐसे उल्लंघनों के लिये इस कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) तथा (ख) मे० एस्कोर्ट ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने फोर्ड ट्रैक्टरों के 300 सी० के० डी० पैकों के आयात हेतु उन्हें नवम्बर, 1970 में दिए गए आयात लाइसेंस का उल्लंघन करके पूर्ण रूप से खुली सी० के० डी० हालत के बजाय आंशिक रूप से खुली पी० के० डी० हालत में फोर्ड ट्रैक्टरों के 1,800 पैकों का आयात किया था।

(ग) चूंकि इस समय फोर्ड ट्रैक्टरों का विक्रय मूल्य ट्रैक्टर (मूल्य नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत निर्धारित नहीं किया गया था इसलिए यह समझा गया था कि आयात लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के लिए यदि कोई अर्थदण्ड लगाया जाय तो उसका असर निर्माताओं की अपेक्षा खरीदारों पर अधिक पड़ेगा क्योंकि निर्माताओं द्वारा ट्रैक्टरों के विक्रय मूल्यों में वृद्धि करके अर्थदण्ड की राशि वसूल करने की सम्भावना थी। इसलिए सरकार ने निर्णय किया कि उपर्युक्त पैकों को राज्य व्यापार निगम द्वारा पहले आयात किए गए इसी प्रकार के पैकों के समान समझा जाना चाहिए और राज्य कृषि उद्योग निगमों के जरिये वितरण करने हेतु मे० एस्कोर्ट ट्रैक्टर्स से पुर्जे जुड़वाये। इस प्रकार कंपनी को इस लाभ से वंचित किया गया था जो उसे आयात लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करके उपर्युक्त पैकों का आयात कर के होता।

ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा आम वास्तविक भारतीय पर्यटकों के साथ भेदभाव

***269. श्री महेंद्र सिंह गिल :**

श्री देवेंद्र सिंह गरचा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश अधिकारी उचित जमानती दस्तावेज दिखाये जाने तथा हवाई अड्डे पर पर्यटक के जमानती व्यक्ति के उपस्थित रहने पर भी आम वास्तविक भारतीय पर्यटकों को लन्दन में प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं; और

(ख) क्या राष्ट्रमंडलीय पर्यटकों और विशेषकर भारतीय पर्यटकों के विरुद्ध किये जा रहे ऐसे भेदभाव के मामलों में कुछ पारस्परिक उपाय किये जा रहे है, अथवा कोई समझौता किया जा रहा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) इस संबंध में कुछ शिकायतें हुई हैं।

(ख) वास्तविक पर्यटकों को आमतौर पर यू० के० में प्रवेश की अनुमति दे दी जाती है। फिर भी, इनमें से कुछ को असुविधा हुई है। सरकार ने विभिन्न स्तरों पर इस मामले को ब्रिटिश सरकार के साथ अनेक अवसरों पर उठाया है। ब्रिटिश प्राधिकारियों ने इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कदम उठाये हैं कि वास्तविक यात्रियों को ऐसी असुविधा न हो।

उत्तर प्रदेश के इस्पात उत्पादकों द्वारा अपने कारखानों को अन्य राज्यों में स्थानान्तरित करना

***270. श्री राम कंवर :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अधिकांश इस्पात उत्पादकों ने अपने कारखानों को राज्य से बाहर स्थानान्तरित करने की अनुमति मांगी है ;

(ख) कितने इस्पात कारखानों के मामलों में कारखाने स्थानान्तरित करने की अनुमति मांगी गई और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) सम्भवतः अभिप्राय इस्पात पिण्ड का उत्पादन करने वाली विद्युत चाप भट्टी इकाइयों से है। यदि हां, तो उत्तर प्रदेश की सरकार से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार केवल सात विद्युत भट्टी इकाइयों ने, जिनमें वे तीन इकाइयां भी शामिल हैं जिन्होंने अभी उत्पादन करना आरम्भ नहीं किया है, बिजली की लगातार कमी के कारण अपनी इकाइयां दूसरे राज्यों में ले जाने की अनुमति मांगी है।

(ग) उत्तर प्रदेश की सरकार बिजली की उपलब्धि में सुधार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

महानगरों में मिलावट वाले नहाने के साबुनों और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री की बिक्री

*271. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सबसे बड़े चार महानगरों में अत्यन्त प्रचलित नहाने के मिलावट वाले साबुनों और सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री से बाजार भरे पड़े हैं जिनसे जनता को बहुत से चर्म रोग हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन मिलावट वाली वस्तुओं के क्रयविक्रय को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है तथा इन वस्तुओं के उत्पादन के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) प्राप्त रिपोर्ट से पता चलता है कि नकली प्रसाधन सामग्री के निर्माण और बिक्री में काफी वृद्धि हुई है। राज्य औषधि नियंत्रण अधिकारियों से कह दिया गया है कि वे नकली प्रसाधन सामग्री का पता लगाने के लिए एक ठोस कार्यक्रम चलायें। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन नहाने के साबुनों को प्रसाधन सामग्री की परिभाषा की परिसीमा से अलग रखा गया है।

केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा खुले बाजार से इस्पात की खरीद

*272. **श्री के० लकपा** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय ने कुछ केन्द्रीय विभागों से इस्पात के फरनीचर की अपनी आवश्यकताओं के लिये, ठेके की दर से भिन्न दर पर खुले बाजार से इस्पात खरीदने के लिये कहा था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण थे जब कि खुले बाजार में इस्पात का मूल्य बहुत अधिक है; और

(ग) क्या सरकार को पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय तथा कुछ मंत्रालयों के कुछ अधिकारियों की इस संबंध में अनुचित कार्यवाही का पता है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) इस्पात के किसी क्रय को प्राधिकृत नहीं किया गया था। फिर भी 24-2-73 से 31-7-74 तक की अवधि में कुछ मांगकर्ताओं को दर ठेकों के अतिरिक्त खुले बजार से स्टील-फरनीचर की सीधी खरीद करने की अनुमति दे दी गई थी।

(ख) कुछ मांगकर्त्ताओं को स्टील फरनीचर की अति आवश्यकता थी और दर ठेके वाली फर्म कच्चे माल के अभाव के कारण अदायगी की अवधि में माल सप्लाई करने की स्थिति में नहीं थी।

(ग) जी, नहीं।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा टर्बो जनरेटर के मूल्य में वृद्धि

*273. **श्री के० मालव्य** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड ने नये ठेकों के लिए अपने 110 मैगावाट और 200 मैगावाट टर्बो जनरेटरों की कीमतों में वृद्धि करने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) तथा (ख) भारत हेवी इलैक्ट्रिक्स लिमिटेड ने नये ठेकों के लिए बनाये गये जनरेटरों की कीमतों में वृद्धि करने की अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। नये ठेकों पर सम्भरित किए जाने वाले उपकरणों की कीमतें कच्चे माल और मजूरी जैसी अन्तर्वस्तुओं की लागत में प्रचलित वृद्धि को ध्यान में रखने के पश्चात्, यदि आवश्यक हुआ तो आपसी बातचीत से तय की जाती हैं।

डा० किसिंगर की भारत यात्रा के दौरान बातचीत के लिए विषय

*274. **श्री एच० एन० मुकर्जी** :

श्री पी० जी० मावलंकर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विचार डा० किसिंगर की भारत-यात्रा के दौरान उनके साथ डिएगो गार्सिया में अमीरीकी नौसैनिक अड्डे के प्रश्न पर वार्ता करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत और अन्य तटवर्ती देशों के विरोध की उपेक्षा करते हुए हिन्द महासागर में अमरीकी नौसैनिक दस्तों द्वारा बार-बार गश्त लगाने के प्रश्न पर भी उनसे भारत सरकार बातचीत करेगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) हमारे निमंत्रण पर अमरीका के विदेश मंत्री डा० हेनरी किसिंजर ने भारत आने की सहमति दे दी है, लेकिन उसका विवरण अभी तैयार नहीं हुआ है। सच तो यह है कि यात्रा की तारीखें भी अभी तय होनी हैं। इसलिए, उस समय जिन विषयों पर बातचीत होगी, उनका पूर्वानुमान लगाना ठीक न होगा।

जैसा कि ऐसे अवसरों पर होता है, विचार-विमर्श के दौरान, द्विपक्षीय प्रश्नों और आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा होने की सम्भावना है। लेकिन यात्रा को अंतिम रूप दिए जाने से पहले ही सार्वजनिक हित में यह कहना उचित न होगा कि वार्ता में कौन-कौन से विषय रहेंगे।

पुर्तगाल के साथ राजनयिक सम्बन्ध

*275. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने सेनेगल के राष्ट्रपति के माध्यम से पूर्तगाल की नई सरकार को एक संदेश भेजा था;

(ख) क्या पुर्तगाल के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए पुर्तगाल की नई सरकार के साथ अन्य प्रकार से कोई सम्पर्क स्थापित किया गया है; और

(ग) पुर्तगाल के साथ राजनयिक सम्बन्ध पुन: स्थापित होने की क्या संभावनाएं हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत सरकार ने पुर्तगाल सरकार को संदेश नहीं भेजा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) पूर्तगाल के साथ भारत के संबंध गोवा और आफ्रिकी कालेनियों के संदर्भ में पहले पुर्तगाली शासन की नीतियों के आधार पर संचालित होते रहे हैं। संबंधों में सुधार की संभावना इन नीतियों में कोई ठोस परिवर्तन होने पर निर्भर करती है। लेकिन अफ्रीकी कालेनियों के बारे में पूर्तगाल सरकार की हाल की घोषणाओं से सरकार को संतोष हुआ है और वह मामले पर गौर कर रही है।

हिन्दुस्तान एयरोनेटिक्स लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश की सरकार को एक हेलीकाप्टर दिया जाना

***276. श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने दिसम्बर 1973 में उत्तर प्रदेश सरकार को एक हेलिकाप्टर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय वायु सेना के कर्मचारियों द्वारा उसे चलाया जा रहा है तथा उसका रख-रखाव किया जा रहा है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवम्बर, 1973 में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड से एक एलाउत -iii हेलीकाप्टर खरीदा गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर उनके अपने विमान चालक को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय वायुसेना के दो विमान चालकों (उनमें से एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर) को प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर पहली दिसम्बर, 1973 से उत्तर प्रदेश सरकार में प्रतिनियुक्त किया गया है।

खेतड़ी तांबा परियोजना

***277. श्री मूल चन्द डागा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में खेतड़ी तांबा परियोजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है और वहां पर उत्पादन कब आरम्भ होगा और कितने तांबे का उत्पादन होने की सम्भावना है ; यह तांबा कब से मिलने लगेगा; और

(ख) वहां पर उत्पादन निर्धारित समय से पीछे पड़ जाने का क्या कारण है और इस में कितना अतिरिक्त समय लगेगा और कितना अतिरिक्त धन व्यय किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) खेतड़ी तांबा परियोजना पर 31 मार्च 1974 तक लगभग 103 करोड़ रुपये कुल व्यय हुए। खेतड़ी में तांबा सांद्रकों का उत्पादन जुलाई 1973 में शुरू हुआ था। तांबा धातु का उत्पादन चालू वर्ष में शुरु हो जाने की आशा है। यदि कोई अनहोनी बात न हुई तो आशा है कि 1974-75 में 3,600 टन तांबा धातु का उत्पादन होगा।

(ख) खेतड़ी में उत्पादन शुरू होने में विलम्ब का कारण अप्रैल-जून, 1973 के दौरान बिजली पूर्ति में भारी कटौती तथा सीमेंट और एसोटीलीन गैस की अत्याधिक कमी का था, जिसके कारण संयंत्र के निर्माण की प्रगति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 1970 में तैयार की गई समय अनुसूची के अनुसार खेतड़ी तांबा परियोजना 1973-74 की अंतिम तिमाही में पूरी हो जानी थी। वर्तमान अनुमानों के अनुसार प्रद्रावक को सितम्बर, 1974 में परीक्षण के रूप में चालू किया जाएगा। अम्ल-व-उर्वरक संयंत्र के दिसम्बर, 1974 तक बन जाने की आशा है।

खेतड़ी तांबा परियोजना के व्यापक लागत अनुमान 1971 के अन्त में तैयार किए गए थे, जो लगभग 115 करोड़ रुपए के थे। तब से देश में मूल्य स्तर में काफी वृद्धि हुई है तथा आयात शुल्क में भी वृद्धि हुई है। पुनः फ्रैंक और रुपये की मुद्रा-दर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन कारकों से परियोजना के पूंजीगत लागत अनुमानों में कुछ वृद्धि हो सकती है। ये वृद्धि कितनी होगी इसके बारे में अभी सही अनुमान लगाए जाने हैं।

गुजरात में श्रमिक अशांति

*278. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में श्रमिक अशांति बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका मुख्य कारण यह है कि पिछले आन्दोलन में बड़े पैमाने पर श्रमिकों की छंटनी कर दी गई थी;

(ग) क्या राज्य में बिजली की कमी होने से श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं; और

(घ) राज्य में श्रमिक अशांति दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(घ) औद्योगिक संबंध तन्त्र वर्तमान कानूनी उपबन्धों और स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार अनौपचारिक मध्यस्थता, संराधन, न्यायनिर्णयन या विवाचन के द्वारा कामरोधों को कम करने के प्रयास करता रहता है।

योग के लिए एक पृथक बोर्ड तथा केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना

*279. **श्री जी० वाई० कृष्णन** :
श्री एन० ई० होरो :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विचार योग के लिये एक पृथक बोर्ड तथा केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार योग के लिए अलग से एक परिषद् और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान खोलने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

राष्ट्रीयकरण से पहले और बाद में कोयले की उत्पादन लागत

*280. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकरण से पहले कोयले की उत्पादन लागत क्या थी और राष्ट्रीयकरण के पश्चात कितनी है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : राष्ट्रीयकरण से पूर्व कोयले का उत्पादन अनेक गैर-सरकारी कोयला खानों द्वारा किया जा रहा था जिनके उत्पादन लागत आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड के अधीन 1972-73 के दौरान औसत उत्पादन लागत 34.95 रुपये प्रति टन थी। कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड के वर्ष 1973-74 अर्थात् राष्ट्रीयकरण के बाद के प्रथम वर्ष के खाते अभी अंतिम रूप से तैयार नहीं हो पाए हैं।

धूम्रपान के कारण विभिन्न रोग

*281. **श्री लालजी भाई :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक्टरों द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया है कि सिगरेट पीने से विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं;

(ख) क्या विश्व के बहुत से देश सिगरेट के पैकटों पर इस प्रकार की चेतावनी प्रकाशित करवाते हैं कि जिससे कि धुम्रपान करने वालों के ध्यान में यह बात आ जाये;

(ग) क्या सरकार का भारत में यह प्रथा चालू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रुपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) इस प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान कन्ट्रक्शन लिमिटेड में चार स्तरीय (फोर टायर) ठेका पद्धति

1886. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में विद्यमान चार स्तरीय ठेका पद्धति को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० में कोई चार स्तरीय ठेका पद्धति नहीं है।

गोआ शिपयार्ड का विस्तार

1887. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये जलयानों के निर्माण एवं जहाजों तथा वजरों की मरम्मत करने की गोआ शिपयार्ड की क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से इसका विस्तार करने की योजना बनायी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना पर कितना खर्च होने का अनुमान है और इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) नये जलयानों के निर्माण तथा जहाजों और वजरों की मरम्मत करने की क्षमता बढ़ाने के विचार से गोआ शिपयार्ड लिमिटेड ने अपनी सुविधाओं के दो चरणों में विस्तार के लिए एक योजना बनाई है। कम्पनी के निदेशक बोर्ड ने योजना के प्रथमतः कार्यान्वियन के लिए योजना के प्रथम चरण का अनुमोदन कर दिया और इस समय यह सरकार के विचाराधीन है।

(ख) योजना के इस चरण में जिन सुविधाओं की व्यवस्था का प्रस्ताव है उनमें उत्पादन खाड़ी अवतरण–मंच और क्रेन सुविधाएं और मशीन आदि के साथ जुड़नारशाला (फिटिन्ग–आउट–शाप) सम्मिलित हैं। प्रथम चरण का अनुमानित परिव्यय 86 लाख रुपए हैं।

Non-Implementation of Wage Board Recommendations by News Agencies and Newspapers

1888. Shri Jagannath Rao Joshi :

Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) the names of the news agencies and newspapers having a circulation of more than 10,000 that have not yet implemented the recommendations of the First and Second Wage Boards for Journalists, indicating the recommendations which have not been implemented by them; and

(b) the action taken by Government in each case?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) & (b) State Governments are incharge of securing implementation of the Wage Board's recommendations and they have been requested to furnish the relevant information.

कारखानों के क्लर्कों की परिभाषा और लागू होने वाले अवकाश नियम

1889. श्री हुकुम चन्द कछवाय : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक श्रमिक की परिभाषा में कारखाने में काम करने वाले क्लर्क भी शामिल हैं ;

(ख) वर्ष 1961 से पहले की नियुक्ति वाले स्थायी क्लर्कों के मामलों में कौन से अवकाश नियम लागू होते हैं, यदि 1961 के बाद उनकी सेवाओं का स्थानान्तरण उसी कारखाने में किसी औद्योगिक पद पर किया जाता है और जब कि ऐसा स्थानान्तरण लोक हित में होता है, क्योंकि औद्योगिक पदों को भरने के लिए भर्ती नियमों के अन्तर्गत उसमें केवल क्लर्कों की ही सेवाएं अपेक्षित हैं ; और

(ग) क्या पुनरीक्षित अवकाश नियम, 1972 के नियम 39(7) और 40(7) के उपबन्ध औद्योगिक पदों पर इस प्रकार स्थानान्तरित कर्मचारियों पर कतई लागू नहीं होते हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) कारखाना अधिनियम, 1948 लिपिकों सहित ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है जो प्रत्यक्षत: या किसी अभिकरण की मार्फत चाहे मजदूरी के लिए या उसके बिना किसी अभिनिर्माण प्रक्रिया में, या अभिनिर्माण प्रक्रिया के लिए प्रयोग होने वाले यन्त्र या परिसर के किसी भाग को साफ करने में, या अभिनिर्माण प्रक्रिया या अभिनिर्माण प्रक्रिया की विषय वस्तु से अनुषंगिक और ससक्त किसी अन्य प्रकार के काम में नियोजित है ।

(ख) और (ग) आम केन्द्रीय असैनिक सरकारी कर्मचारी उन कुछ वर्गों के सिवाय, जो कि केन्द्रीय असैनिक सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 2 के (क) से (ट) में उल्लीखित है—इस नियमावली से शासित होते हैं । इस प्रकार, जो कर्मकार औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोजित हैं, वे, नियम 39(7) और नियम 40(7) सहित, इन नियमों की परिधि के अन्तर्गत नहीं आते । यदि लिपिक 'कर्मकार' की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं तो कारखाना अधिनियम उन पर लागू होगा । तथापि, यदि केन्द्रीय असैनिक सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 द्वारा शासित होने वाले किसी सरकारी कर्मचारी को किसी ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियुक्त किया जाए, जिसमें उसकी अवकाश सम्बन्धी शर्तें कारखाना अधिनियम, 1948 द्वारा शासित होती हो तो ऐसी नियुक्ति की तारीख को जमा पड़ी उसकी बकाया छुट्टी को सेवान्त छुट्टी के रूप में प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है अथवा, यदि उसे प्राप्त नहीं किया जाता तो, वह व्यपगत हो जायेगी परन्तु यदि वह ऐसी सेवा या पद पर जिस पर कि ये नियम लागू होते हैं, जब और जैसे ही वापस स्थानान्तरित किया जायेगा यह पुन: प्रवर्तन में आ जायेगी (वही नियम 6 देखिए) ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत श्रमिकों के आश्रितों की अस्पताल की सुविधाएं

1890. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत श्रमिकों के आश्रितों को अब अस्पताल में भर्ती होने की सुविधाएं उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या अन्य नगरों में भी श्रमिकों को इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई हैं और कितने और श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को उससे लाभ प्राप्त होगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है —

(क) जी, हां ।

(ख) बीमाशुदा व्यक्तियों के परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने की सुविधाएं 300 पलंगों वाले कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, दिल्ली में दी जा रही है और अन्य अस्पतालों में 160 पलंग आरक्षित दिये गए हैं । इसमें बाहरी मरीज़ देख-भाल, विशेषज्ञ परामर्श, सभी दवाइयों की आपूर्ति और मरहम-पट्टी, रोगक्षमता-करण, सेवा में परिवार कल्याण नियोजन सेवायें, विकिरण-चिकित्सा और रोग-विज्ञानीय जांच सुविधायें, मरीज-गाड़ी सुविधाएं, भीतरी मरीज इलाज आदि शामिल हैं ।

(ग) जी, हां ।

परिवारों को अस्पताल में भर्ती की सुविधाएं निम्नलिखित स्थानों में दी गई हैं :—

आन्ध्र प्रदेश

अदोनी, इलुरू, चिराला, गुन्तुर, हैदराबाद, सिकन्दराबाद, कुर्नूल, माचर्ला, ताडेपल्ली बाहरी सीमाओं समेत, मार्कापुरम, मसुलिपटनम, पेड्डाकाकानी, रामागुंडा, सिरपुर, कागजनगर, विजयवाड़ा और उसकी बाहरी सीमाएं, वारंगल और महबूब नगर ।

गुजरात

अहमदाबाद ।

मध्य प्रदेश

इन्दौर और उज्जैन ।

कर्नाटक

बंगलोर और उसके उप-शहरी क्षेत्र, व्हाइट फील्डस् और के० जी० एफ० ।

तामिल नाडु

कोइम्बैटूर, कोविलपट्टी और मद्रास शहर ।

हरियाणा

यमुना नगर जिसमें जोरियां और जगाधारी शामिल हैं ।

केरल (समस्त राज्य)

पंजाब

अमृतसर जिसमें वेर्का, छेहराता और खासा, लुधियाना तथा जालन्धर शामिल हैं ।

राजस्थान

जयपुर जिसमें दुर्गापुर, किशनगढ़, लखेरी और सवाएमाधोपुर शामिल हैं ।

उत्तर प्रदेश

कानपुर और मोदी नगर ।

पश्चिम बंगाल

हावड़ा जिसमें शामपूर और हुगली शामिल हैं ।

महाराष्ट्र

पूना ।

16,82,350 कर्मचारियों के परिवारों को जिनमें दिल्ली के कर्मचारियों (1,20,000) के परिवार भी शामिल हैं, अस्पताल में भर्ती की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ।

हड़तालों के कारण जन-दिवसों की हुई हानि

1891. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अब तक सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में, अलग-अलग, कुल कितनी हड़तालें हुई और हड़तालों के कारण कितने जन-दिवसों की हानि हुई ;

(ख) वर्ष 1972–73 और 1973–74 में कुल कितनी हड़तालें हुई और हड़तालों के कारण कितने जन-दिवसों की हानि हुई ; और

(ग) उक्त अवधियों में उत्पादन में कितनी और कितने मूल्य की हानि हुई ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने के पश्चात् सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय उपदान निधि

1892. श्री सी० क० चन्द्रप्पन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कम्पनियों के बन्द होने अथवा परिसमापन के दौरान कर्मचारियों के उपदान के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक केन्द्रीय उपदान निधि बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इस मामले पर नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(घ) उक्त योजना कब से लागू की जाएगी ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) से (घ) मामले की जांच एक समिति द्वारा की गई है जिसने जून, 1974 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी । समिति ने कतिपय सिफारिशें की हैं जिनमें बंदी और परिसमापन के मामलों में श्रमिकों को उपदान का भुगतान सुरक्षित करने के लिए एक केन्द्रीय गारंटी निधि प्रस्थापित किया जाना शामिल है । समिति की रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

उच्च स्तरीय रक्षा टीम द्वारा मास्को यात्रा

1893. श्री इसहाक सम्भली :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1974 में एक उच्च स्तरीय रक्षा टीम ने मास्को की यात्रा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां श्रीमन ।

(ख) सोवियत रूस की सरकार के साथ विचार विमर्श के परिणामस्वरूप दोनों देशों के सामान्य हित की समस्याओं को पूरी तरह से समझा गया है ।

कारीगर एवं शिक्षित युवा व्यक्तियों में रोजगार के बारे में सर्वेक्षण

1894. श्री पी० गंगादेव :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कारीगर एवं शिक्षित युवा व्यक्तियों में रोजगार की मात्रा का सर्वेक्षण करने के लिए द्रुत कार्यक्रम आरम्भ किया है ;

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत तकनीकी स्नातक भी आते हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(घ) सर्वेक्षण कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (घ) कुशल तथा शिक्षित युवा व्यक्तियों में रोजगार की मात्रा का मूल्यांकन करने के लिए सरकार ने कोई क्रैश प्रोग्राम आरम्भ नहीं किया है। तथापि, विश्वविद्यालय शिक्षा और रोजगार में सम्बन्ध का अध्ययन करने के उद्देश्य से स्नातकों का रोजगार पैटर्न मालूम करने के लिए 1972 में अखिल भारतीय नमूना सर्वेक्षण शुरू किया गया। इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत सामान्य तथा व्यावसायिक/तकनीकी क्षेत्रों के स्नातकों (स्नातकोत्तरों तथा अधिक योग्यता प्राप्त व्यक्तियों सहित) और वर्ष 1968 के दौरान देश के सभी विश्वविद्यालयों/पोलिटेकनिकों से पास हुए इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में डिप्लोमाधारी भी सम्मिलित हैं। रिपोर्ट का मसौदा 1974 के अन्त-तक तैयार होने की आशा है।

आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस के डाक्टरों का विदेश जाना

1895. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि आल इण्डिया इंस्टीटच्यूट आफ मेडिकल साइन्सेस के अन्तिम वर्ष 50 छात्रों के प्रत्येक बैच में से 35 छात्र विदेश चले जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) इस प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) यह सही है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से एम० बी०बी०एस० की अन्तिम परीक्षा में उत्तीर्ण काफी छात्र या तो आगे अध्ययन के लिए या नौकरी के लिए विदेश चले जाते हैं ;

(ग) सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले चिकित्सा शिक्षा आयोग के विचारार्थ विषयों में प्रतिभा प्रवास को रोकने सम्बन्धी एक प्रस्ताव को भी शामिल करने का विचार है।

उड़ीसा में भूतपूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार देना

1896. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में इस समय कितने भूतपूर्व सैनिक बिना रोजगार के हैं ;

(ख) क्या उनके जीवन निर्वाह के लिए उन्हें फिर से रोजगार देने के लिए राज्य सरकार ने कोई उपाय किए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) 31 मार्च, 1974 को 1,554।

(ख) जी हां, श्रीमन्।

(ग) उड़ीसा सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए विभिन्न सेवाओं में रिक्त स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की है। आयु और शैक्षणिक अर्हताओं में छूट, प्रारम्भिक वेतन, वरिष्ठता और पेन्शन निश्चित करने के लिए सैनिक सेवा का लाभ भी दिया गया है।

इस्पात संयंत्रों के लिये स्टील अथारिटी आफ इंडिया द्वारा उत्पादित पूर्जे

1897. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इण्डिया ने इस्पात संयंत्रों के लिए विशेष पूर्जे बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन पूर्जों को रांची स्थित भारी उद्योग समूह में बनाने की तुलना में ऐसा वर्कशाप स्थापित करने के क्या लाभ है ;

(ग) क्या यह वर्कशाप इस्पात संयंत्रों के लिए आयातित वस्तुओं को और कम कर देगा ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० द्वारा नियुक्त की गई समिति ने इस्पात कारखानों में काम आने वाले कुछ मध्यम और भारी रेंज के फालतू पूर्जों के निर्माण के लिए एक कर्मशाला की स्थापना की सिफारिश की है। इस सिफारिश पर अन्तिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है। स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० इस बारे में शक्यता प्रतिवेदन तैयार करवाने के लिए कार्यवाही कर रही है।

गुजरात खनिज विकास निगम

1898. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात खनिज विकास निगम को फ्लुअरसपार यूनिट में केवल 30 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :(क) इस संयंत्र में 38% की क्षमता से काम हो रहा है।

(ख) इस संयंत्र से धातु ग्रेड फ्लोराइट (फ्लूआरस्पार) को, जो इस संयंत्र का मुख्य उत्पादन है, प्रत्याशित मात्रा में नहीं उठाया जा रहा है और वर्तमान क्षमता के उपयोग पर भी संयंत्र के पास भारी स्टाक जमा है।

पुनर्वास निदेशालय द्वारा भूतपुर्व सैनिकों को दी गई सहायता

1899. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के प्रथम छः महीनों में पुनर्वास निदेशालय द्वारा कितने भूनपूर्व सैनिकों को सहायता दी गई, उनकी संख्या का माहवार ब्योरा क्या है; और

(ख) 30 जून, 1974 को निदेशालय में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या कितनी है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक): (क) अपेक्षित सूचना मासानुसार निम्नांकित है :—

जनवरी, 1974	487
फरवरी, 1974	608
मार्च, 1974	514
अप्रैल, 1974 . .	626
मई, 1974 .	560
जून, 1974 . . .	529

(ख) 29,405

भारत में बहूराष्ट्रीय निगमों में औद्योगिक संबंध

1900. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चल रहे बहु-राष्ट्रीय निगमों की औद्योगिक सम्बन्धी नीतियों के कार्यकरण की जांच करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या किसी मजदूर संघ ने इस विषय पर त्रिपक्षीय संमेलन आयोजित करने का प्रयास किया है ; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या निर्णय है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा): (क) इस प्रकार के अध्ययन को हाथ में लेने हेतु प्रस्तावों को रूप दिया जा रहा है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मामले की जांचपड़ताल की जा रही है ।

कोककर कोयले के उत्पादन में गिरावट

1901. **श्री मधु लिमये** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला धोने के कारखानों में कोककर कोयलों का उत्पादन कम हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973–74 में कारखाना-वार उत्पादन में कितनी कमी हुई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) कोक्कर कोयले के उत्पादन में कमी हुई लेकिन शोधनशालाओं के उत्पादन में वृद्धि हुई है कोक्कर कोयले के वर्ष 1972–73 में 166.2 लाख टन उत्पादन की तुलना में वर्ष 1973–74 में उत्पादन 157.7 लाख टन (अस्थायी)

हुआ । दो वर्षों अर्थात 1972–73 और 1973–74 में विभिन्न कोयला शोधनशालाओं का शोधित कोयले का उत्पादन नीचे दिया गया है :–

(आंकड़े लाख टनों में हैं और अस्थायी हैं)

शोधन शाला का नाम	शोधित कोयल का उत्पादन	
	1972–73	1973–74
दुगदा-I . . .	0.610	0.613
दुगदा-II	0.779	0.717
भौजुडीह	1.305	1.270
पाथरडीह	0.758	0.756
दुर्गापुर (हिन्दुस्तान स्टील लि०) . .	0.407	0.516
दुर्गापुर (डी० पी० एल०) . .	0.111	0.172
जामादोबा . . .	0.831	0.900
चुसनाला	0.541	0.740
लोडना	0.212	0.179
करगली . .	1.489	1.376
कठारा . . .	0.577	0.652
सवांग	0.182	0.223
पश्चिम बोकारो	0.338	0.339
	8.140	8.453

वर्ष 1973 में औद्योगिक संबंधों का और बिगड़ जाना

1902. श्री मधु लिमये : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर सरकारी क्षेत्र में गत तीन बर्षों की तुलना में वर्ष 1973 में औद्योगिक सम्बन्ध और बिगड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल कितने जनदिवसों की हानि हुई ; और

(ग) औद्योगिक सम्बन्धों के इस प्रकार बिगड़ने के मुख्य कारण क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1970, 1971, 1972 और 1973 (आन्तिम) के दौरान, गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक विवादों, अन्तर्गत श्रमिकों और नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार थी :—

वर्ष	विवादों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त श्रमिक	नष्ट हुए श्रम दिन
1970	2,443	1,389,190	18,501,167
1971 . .	2,367	1,251,580	14;292,226
1972 . .	2,705	1,320,894	17,198,298
1973(अ) . .	2,251	1,319,415	15,059,904

(ग) उपर्युक्त आंकड़ों से यह विदित होगा कि वर्ष 1973 में औद्योगिक सम्बन्धों में थोड़ासा सुधार हुआ ।

औद्योगिक संबंधों को सुधारने के लिए श्रम मंत्रालय की भूमिका

1903. श्री मधु लिमये : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मंत्रालय ने वर्ष 1973–74 में औद्योगिक सम्बन्ध को सुधारने के मामले में पूर्णतया निष्क्रीय तथा नकारात्मक भूमिका अदा की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके बाद मंत्रालय की नीति में परिवर्तन किया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पांचवी योजना में अल्युमिनियम के उत्पादन का लक्ष्य

1904. श्री मधु लिमये : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना में अल्यूमिनियम उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) कुल कितना परिव्यय प्रस्तावित है ;

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में अल्यूमिनियम के बढ़े हुए उत्पादन का प्रमुख भाग एकाधिकारी गृहों को मिलेगा ;

(घ) क्या सरकार समस्त अतिरिक्त उत्पादन गैरसरकारी उत्पादकों से नियंत्रित मूल्यों पर वितरण के लिए प्राप्त करेगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष तक 370,000 टन ।

(ख) पांचवीं योजना के अन्तर्गत, सरकारी क्षेत्र की अल्यूमिनियम परियोजनाओं के लिए 151.68 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

(ग) इस समय अल्यूमिनियम का समस्त उत्पादन गैर सरकारी क्षेत्र में है। ऐसा अनुमान है कि यदि पर्याप्त बिजली मिली तो पांचवीं योजना के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र में 70,000 टन वार्षिक की अतिरिक्त क्षमता विकसित की जाएगी। इस समय चालू तीन कम्पनियों के बीच इस अतिरिक्त क्षमता का बंटवारा उस प्रकार है : इण्डियन अल्यूमिनियम कम्पनी लि० (20,000 टन), हिन्दुस्तान अल्यूमिनियम निगम लि० (40,000 टन) और मद्रास अल्यूमिनियम निगम लि० (10,000 टन)। सरकारी क्षेत्र में भारत अल्यूमिनियम कम्पनी द्वारा कोरबा अल्यूमिनियम प्रद्रावक में 100,000 टन की क्षमता चालू की जाएगी।

(घ) और (ङ) वर्तमान समय में भी, अल्यूमिनियम और उससे बनने वाली चीजों के बिक्री मूल्य, कतरनों और पन्नियों को छोड़ कर अल्यूमिनियम नियंत्रण आदेश, 1970 के अधीन नियंत्रित किए जाते हैं।

मेटल स्क्रेप ट्रेडिंग कारपोरेशन

1905. श्री महेंद्र सिंह गिल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि मेटल स्क्रेप ट्रेडिंग कारपोरेशन को जो सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है कोई विशेष काम नहीं सौंपा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) भूत में कारपोरेशन की गतिविधियां मुख्यत: निर्यातोन्मुख थी। निर्यात नीति में अनुवर्ती परिवर्तनों से घरेलु मांग बढ़ जाने से स्क्रेप का निर्यात काफी कम हो गया है इसलिए कारपोरेशन के कार्य पुन: निर्धारित करने तथा इसके कार्य में विविधता लाने के लिए विभिन्न उपाय किए गये हैं।

इस कारपोरेशन का पुनर्गठन किया गया है और इसे स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० की सहायक कम्पनी बना दिया गया है इसे स्क्रेप के आयात तथा "पुराने जहाजों" का आयात करने और उन्हें स्क्रैप के काम में लाने के लिए माध्यम अधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है। कारपोरेशन को सौंपे जाने वाले दूसरे कार्यों में स्क्रेप इकट्ठा करने की व्यवस्था करने और देश में उसे प्रोसेस करने की सुविधाओं की व्यवस्था करने, जहाज तोड़ने के उद्योग का विकास करने, इस्पात भट्टी उद्योग के मूल आदानों के आयात में समन्वयन करने, डेटा बैंक खोलने, स्क्रैप की मांग और उपलब्धि के बारे में सर्वेक्षण करने और स्क्रेप के निबटान के मामले में सरकारी क्षेत्र के दूसरे उपक्रमों का कार्य करना शामिल है।

[श्रमिकों संबंधी आंकड़ों का एकत्रण तथा प्रकाशन

1906. श्री महेंद सिंह गिल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग पांच वर्षीय पूर्व राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के बावजूद, श्रमिकों के सम्बन्ध में विश्वसनीय, विस्तृत एवं अद्यतन आंकडों के एकत्रण तथा उनका प्रकाशन करने के सम्बन्ध में कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई है ;

(ख) क्या उक्त उल्लिखित आंकड़ों के न होने के कारण कई सर्वेक्षण तथा अनुसंधान अध्ययन कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरे नहीं हो रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या श्रमिकों के बारे में आंकड़े तैयार करने के लिए कुछ तुरन्त कार्यवाही की जायेगी ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) से (ग) श्रम सम्बन्धी आंकड़ों में सुधार लाने सम्बन्धी राष्ट्रीय श्रम आयोग की सरकार द्वारा यथा स्वीकृत सिफारिशों की सक्रिय रूप से पैरवी की जा रही है और उन्हें सम्भव सीमा तक कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि श्रम सम्बन्धी आंकड़ों के गुण और उपलब्धता में सुधार हो जाय ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वतः नियोजन उद्यम

1907. श्री महेंद्र सिंह गिल :
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों को स्वतः नियोजन उद्यमों में सहायता देने के लिए सरकारी क्षेत्रों जैसे एक निगम की स्थापना का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० वी० पटनायक) : (क) और (ख) लघु उद्योग तथा अन्य स्व-नियोजन उद्यम स्थापित करने में भूतपूर्व सैनिकों को आर्थिक सहायता देने तथा तकनीकी मार्गदर्शन करने के लिए एक निगम बनाने के प्रस्ताव का अभी अध्ययन किया जा रहा है । अन्तिम निर्णय लेने में अभी कुछ और समय लगेगा ।

पांचवीं योजना के दौरान आधुनिक अस्त्रों के निर्माण में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना

1908. श्री० एस० एम० बनर्जी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों में अधिक आधुनिक अस्त्रों का निर्माण किए जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पांचवीं योजना के दौरान ऐसे अस्त्रों के निर्माण में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ला) : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) पांचवीं योजना के दौरान इन हथियारों के निर्माण में यथा सम्भव आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जायेगा । तथापि, तकनीकी और आर्थिक दोनों ही तरह के बहुत से नियन्त्रण होने के कारण यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा ।

टेल्को एण्ड ट्यूब कम्पनी जमशेदपुर के कर्मचारियों को बहाल करना

1909. श्री भोगेंद्र झा : क्या **श्रम** मंत्री टेल्को एण्ड ट्यूब कम्पनी जमशेदपुर के कर्मचारियों को बहाल करने से सम्बन्धित 25 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8194 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच बिहार सरकार से अपेक्षित जानकारी मिल गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा): (क) और (ख) बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार इन एककों में 1969 में हुई हड़तालों के परिणामस्वरूप, प्रबन्ध-तन्त्रोंने इण्डियन ट्यूब कम्पनियों में 15 श्रमिकों और टेल्को में 57 श्रमिकों को बर्खास्त/सेवा मुक्त किया था। इस मामले के सम्बन्ध में समझौते की कार्यवाही से हुए निर्णय की शर्तों के अनुसार, इन मामलों में दिए गए दण्डों को पुनरीक्षण श्री० के० अब्राहम, सदस्य राजस्व बोर्ड, बिहार सरकार द्वारा की जानी थी और उनका निर्णय पक्षों पर बन्धन कारक था। अभिसंविदित पुनरीक्षण के पश्चात, श्री अब्राहम ने इण्डियन ट्यूब कम्पनी के 13 श्रमिकों और टेल्को के 12 श्रमिकों के मामले में बर्खास्तगी/सेवा मुक्ति को पुष्टि कर दी और शेष कर्मचारी आखिरकार काम पर वापस ले लिए गए। चूंकि इस मामलों पर श्रमिकों ने आन्दोलन करना जारी रखा, इसलिए बिहार सरकार ने इस विषय से सम्बन्धित विवाद को मई, 1971 में न्याय-निर्णयन के लिए भज दिया। प्रबन्ध-तन्त्र ने पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर दी जिसमें उपर्युक्त निर्देश का प्रतिवाद इस आधार पर किया गया कि श्रमिकों को दिए गए दण्ड, समझौते की कार्यवाही से हुए निर्णय में पूर्णतः समाविष्ट थे। केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के एक सुझाव के अनुसरण में राज्य सरकार ने इस मामले में न्यायालय के बाहर समझौता करने की कोशिश की। परन्तु उसके प्रयास सफल नहीं हुए हैं। राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट, दिनांक 22 जून, 1974 में यह परामर्श दिया है कि इस मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतिक्षा की जाय।

भारी इंजीनियरिंग निगम में उत्पादन

1910. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **भारी उद्योग** मंत्री 14 मार्च, 1974 के अतारान्कित प्रश्न संख्या 3055 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरिंग निगम ने 1973–74 में अपनी निर्धारित क्षमता का 41 प्रतिशत उत्पादन किया है ;

(ख) भारी इंजीनियरिंग निगम कब तक लगभग अपनी पूरी उत्पादन क्षमता प्राप्त कर लेगा ; और

(ग) उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध व्यवस्था में कर्मचारियों के भाग लेने सहित क्या कार्यवाही की जा रही है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी नहीं। वर्ष 1973–74 की अवधि में निगम ने अपनी निर्धारित क्षमता के लगभग 35 प्रतिशत का उपयोग किया। यह प्रतिशत कम है, क्योंकि यह मूल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित क्षमता के सन्दर्भ में है, जिसमें उत्पाद-मिश्र और कार्य संचालन की स्थिति के कारण अनेक परिवर्तन आये हैं। बदली हुई स्थितियों को देखते हुए उचित निर्धारित क्षमता की स्थापना के लिए अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) उचित तथा पर्याप्त बिजली उपलब्ध होने तथा अन्य कारणों के अनुकूल होने पर आशा है कि आगामी 2-3 वर्षों में भारी इंजीनियरी निगम अपनी निर्धारित क्षमता का पूर्ण उपयोग कर लेगा।

(ग) उत्पादक और श्रमिक कल्याण से सम्बन्धित कठिनाइओं के निपटने के लिए तथा प्रबन्ध में कर्मचारियों की सहभागिता हेतु कई द्वि-पक्षीय समितियों, जिसमें मान्यता प्राप्त युनियनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन योजना और नियंत्रण पद्धति को सरल बनाने के प्रबन्ध किए गए है, सामग्री, वित्तीय और वाणिज्यिक प्रबन्ध में सुधार किया गया है, प्रोत्साहन योजनाओं में धीरे-धीरे वृद्धि की गई है, और एक प्रभावी सुरक्षात्मक रख-रखाव पद्धति को लाग किया गया है।

वर्ष 1973-74 में माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के उत्पादन में कमी

1911. **श्री वेकारिया :**

श्री अरविन्द एम्० पटेल :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973–74 में माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : वर्ष 1973-74 के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों में से माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड ने लगभग 80% वास्तविक रूप में और लगभग 89% मूल्य का उत्पादन किया है। उत्पादन में कमी बिजली की कमी और उप-संविदाकारों और सहायक उद्योगों द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का कम-संभरण करने के कारण आई।

किन्तु उपक्रम के उत्पादन में 1973–74 में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जैसा निम्नलिखित सारणी से पता चलेगा :—

वर्ष	उत्पादन	
	वास्तविक रूप में (मी० टन)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1971–72 . .	11,991	10.20
1972–73	15,456	14.50
1973–74 . .	17,732	17.75

राजधानी के अस्पतालों में हृदय रोग से पीड़ित रोगियों की सहायता के लिए अपेक्षित उपकरणों से युक्त गाडियां

1912. **श्री विश्वनाथन झनझनवाला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में केन्द्र द्वारा संचालित तीन अस्पतालों में अपेक्षित उपकरणों से युक्त गाड़ियां है जो दिल के दौरे से ग्रस्त रोगियों को उन्हें घर से अस्पताल ले जाते समय तत्काल सहायता दे सके ;

(ख) उनकी संख्या क्या है और क्या उनकी संख्या आवश्यकता को देखते हुए पर्याप्त है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी गाड़ियां प्राप्त न करने के क्या कारण हैं जबकि दिल्ली के कुछ गैरसरकारी अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री० ए० के० किस्कू) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह आवश्यक नहीं समझा जाता है क्योंकि यदि समय पर पता लग जाय तो आक्सिजन की सुविधा तथा अनिवार्य दवाइयों से लैस एक एम्बुलैन्स गाड़ी सदा उपलब्ध की जा सकती है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य की समुचित रूप से जांच कराये बगैर तथा प्रयोगशाला जांच आदि कराये बगैर यह कहना कठिन है कि रोगी हृदय रोग से ग्रस्त है या नहीं।

Production of unmanned aircraft in India

1913. Shri Shrikrishna Agrawal: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether India has acquired sufficient know-how regarding manufacture of unmanned aircraft and its production is likely to be taken in hand in the near future; and

(b) if so, the progress made in this regard?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence(Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No Sir. However we are experimenting with unmanned missile target.

(b) Does not arise.

हिंदुस्थान एरोनाटिक्स लखनऊ में श्रमिकों की हड़ताल

1914. श्री डी० के० पण्डा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लखनऊ के श्रमिकों ने 30 मई, 1974 को एक दिन की हड़ताल की थी और कुछ अन्य श्रमिकों ने भूक हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की मांगें क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) म राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमन्।

(ख) और (ग) एक अधिकारी के द्वारा एक छोटासा ट्रान्सफारमर (जिसका मूल्य लगभग 25 रुपये है) जो उसकी नीजी सम्पति थी, फैक्टरी से बिना गेटपास के बाहर लाने की एक छोटी सी घटना के कारण, कर्मचारियों के संघ ने कम्पनी की सम्पति की चोरी के सन्देह में उक्त अफसर तथा उसके वरिष्ठ अधिकारी के साथ-साथ सुरक्षा अधिकारी को निलम्बित करने की मांग करते हुए आन्दोलन किया था। जांच करने पर यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में वह ट्रान्सफार्मर उक्त अधिकारी का ही था। इसके अतिरिक्त संघ कुछ समय तक आन्दोलन को चलाती रही किन्तु प्रबन्धकों के साथ और आगे चर्चा करने के उपरान्त 31 मई को संघ ने आश्वासन वापस ले लिया था।

केरल में खनिजों को निकालना

1915. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा केरल में पता लगाए गए खनिजों को निकालने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में की गई कार्यवाही की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) इस समय केरल में अग्निसह मिट्टी, भट्टा मिट्टी, चूना शैल, सिलिमेनाइट, सिलिकारेत तथा अन्य रेत के कुछ निक्षेपों

का सम्पयोजन किया जा रहा है। केरल राज्य सरकार ने खनिज के सम्पयोजन के लिए निम्नलिखित योजना बनाई है जो उक्त सरकार द्वारा खनन हेतु गठित कार्यकारी दल की अनुशंसाओं पर आधारित हैं :—

(1) राज्य के विभिन्न भागों में खनिज अन्वेषण, जिसमें-लोह-अयस्क, बाक्साइट, ग्रैफाइट, चीनी मिट्टी और सीसा-रेत के लिए अग्रस्तमी खनन कार्य और व्यापक नमूने एकत्र करना भी शामिल है ।

(2) पालघाट जिले में बालयार के निकट पंडारेठ के ज्ञात चूना-पत्थर निक्षेपों का व्यापक अध्ययन ।

(3) रासायनिक प्रयोगशाला का विस्तार ताकि उसमें व्यापक रसायनिक जांच और अयस्क परिष्करण परीक्षण किया जा सके ।

(4) राज्य के बन-क्षेत्रों में आर्थिक खनिजों की व्यापक खोज ।

(5) खनिज निक्षेपों के अन्वेषण, पूर्वेक्षण, खनन और परिष्करण के क्षेत्र में तकनीकी कर्मचारियों को उच्च प्रशिक्षण दिया जाना ।

(6) राज्य के खनन और भूतत्व विभाग तथा विश्वविद्यालय के भूतत्व विभाग में किए जा रहे खोज और विकास कार्यों का समन्वित कार्यक्रम के अधीन विस्तार ।

1973-74 में जस्ता और सीसे का उत्पादन

1917. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1973-74 में जस्ते और सीसेका कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या वर्ष 1974-75 में जस्ते और सीसे के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार नयी खानों का विकास किए जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप बढ़े हुए उत्पादन की रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) 1973-74 के दौरान जस्ता तथा सीसा का उत्पादन इस प्रकार हुआ :—

	जस्ता	सीसा
	(टनों में)	
(i) हिन्दुस्तान जिंक लि० . . . (सरकारी क्षेत्र का प्रतिष्ठान है और राजस्थान में जावर क्षेत्रों की खानों से जस्ता तथा सीसा उत्पादित करता है)	11,393 (कैथोड)	2,700
(ii) कोमिन्को बिनानी जिंक लि० . . (निजी क्षेत्र की कम्पनी है और आयातित जस्ता सान्द्रों से जस्ता तैयार करती है)	9,953 (पिण्ड)	

(ख) तथा (ग) हिन्दुस्तान जिंक लि० को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बलारिया (जावर क्षेत्र में) तथा राजपुरा-दरीबा जस्ता-सीसा खानों के विकास कार्य के लिए पहले ही प्राधिकृत किया जा चुका है। इन खानों के विकास पर 3 से 5 वर्ष का समय लगेगा अतः 1974-75 के दौरान सीसा-जस्त धातुओं के उत्पादन में कोई खास वृद्धियां नहीं होगी ।

इस्पात तथा लोहा उत्पादों की चोर बाजारी में बिक्री

1918. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के जानकारी में आई है कि इस्पात और लोहा-उत्पाद खुले बाजार में सामान्य मूल्य से दुगुनी से तिगुनी कीमत पर बिक रहे है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे व्यापार गृहों के विरुद्ध जनवरी से जून, 1974 तक क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) और (ख) खुले बाजार में बेचे जा रहे कुछ प्रकार के इस्पात के मूल्य संयुक्त संयन्त्र समिति द्वारा घोषित किए गए मूल्यों से अधिक हैं। इस समय लोहे और इस्पात के मूल्यों और वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। फिर भी वर्तमान वितरण नीति उपभोक्ता-प्रधान है और उपलब्ध इस्पात का अधिकांश वास्तविक उपभोक्ताओं को सप्लाई कर दिया जाता है। वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा इस्पात के दुरुपयोग तथा उसकी खुले बाजार में बिक्री को रोकने के लिए आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं। दुरुपयोग के जिन मामलों का पता चलता है उनकी विधिवत जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है ऐसा करने वाली इकायियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है।

विदेशियों की और विदेशों से भारत लौटनेवाले भारतीयों को कारों तथा स्कूटरों का आबंटन

1919. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी से वापस लौटने वाले भारतीय नागरिकों और विदेशी राष्ट्रिकों को कारों और स्कूटरों का आबंटन करने कों योजना को उदार बना दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातों का ब्योरा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालयमें उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी हां, लेकिन केवल भारतीय राष्ट्रिकों के मामलें में।

(ख) यह शर्त की विदेश से वापिस आने वाले भारतीय राष्ट्रिक दो साल तक वहां रहे हो, हटा दी गई है।

1974-75 के लिए इस्पात का लक्ष्य प्राप्त करना

1920. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 1974-75 के लिए सब समेकित इस्पात संयंत्रों द्वारा इस्पात उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने की सम्भावना नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और लक्ष्य में कितनी कमी रहने का अनुमान है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) अप्रैल-जुलाई, 1974 के महीनों के दौरान, पांच मुख्य इस्पात कारखानों में विक्रय इस्पात का कुल वास्तविक उत्पादन, इस अवधि के लक्ष्यों से कुछ अधिक रहा है। इस वर्ष के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर कोशिश की जाएगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कार वितरकों के कमिशन में वृद्धि

1921. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर कारों के निर्माताओं को अपने उत्पादन के मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति दे दी गई है किन्तु वितरकों को कमीशन में लगभग 10 वर्षों से कोई वृद्धि नहीं की गई है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप मोटरकारों की बिक्री में पर्याप्त कमी हुई है और वितरकों को भारी हानि हो रही है क्योंकि उन्हें ताले में बन्द माल पर ब्याज देना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार वितरकों के कमीशन में वृद्धि करने तथा ऐसा सूत्र बनाये जाने पर विचार किया है जिससे प्रत्येक वृद्धि के साथ-साथ कमीशन में वृद्धि हो जाये ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) कारों के मूल्य में हुई वृद्धि के समरुप वितरकों के कमीशन में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) सरकार बिक्री के रुप पर कड़ी निगरानी रख रही है । कुछ विशेष मेकों की बिक्री में कमी का संकेत मिला है । इसके परिणामस्वरूप हो रही हानि और अपने पुंजीगत संसाधनों पर पड़ रहे प्रभाव के बारे में वितरकों ने सरकार को एक अभ्यावेदन दिया है । कारों के मूल्यों के साथ-साथ वितरकों के कमीशन में वृद्धि करने के प्रश्न पर भी विचार करना पड़ेगा । वितरकों द्वारा बताई गई कठिनाइयों के बारे में उचित ध्यान दिया जा रहा है ।

गैस संयंत्रों की स्थापना

1922. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाणिज्य मण्डल की वार्षिक आम सभा का उद्घाटन करते समय उन्होंने उद्योगपतियों से गैस संयंत्र स्थापित करने का अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर इस उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है तथा शीघ्र ही इस योजना की क्रियान्विती के लिए सरकार क्या सुविधाएं दे रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कलकत्ता में सी० एम० ए० के अधिकारियों की कोयला व्यापारियों के साथ कथित सांठ-गांठ

1923. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कलकत्ता में सी० एम० ए० के अधिकारियों के साथ साठ-गांठ कर के कोयला व्यापारी पश्चिम बंगाल में प्रयोग के लिए आबंटित तदर्थ कोयले को उत्तरी भारत में भेज रहे हैं और बढ़िया किस्म के कोयले के स्थान पर घटिया किस्म का कोयला रख कर उपभोक्ताओं को धोखा भी दे रहे हैं ;

(ख) क्या रानीगंज उनके कारनामों का मुख्य केन्द्र है ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच करवाने का विचार है ; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Release of Manufacturers quota for Scooters/Cars

1925. Shri Chandra Shekhar Singh :
Dr. Laxminarayan Pandeya :

Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 629 on the 15th November, 1973 and to state the steps being taken by Government to release the manufacturers' special quota of scooters/cars and the time by which Government propose to start giving this quota?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh): No such proposal is, at present, under consideration.

राजधानी के सरकारी अस्पतालों के लिए बजट में प्रावधान

1926. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में से प्रत्येक अस्पताल के लिए किये गये बजट प्रावधान का पिछले तीन वर्षों के लिए वर्षवार ब्योरा क्या है ;

(ख) इस अवधि के दौरान इन अस्पतालों द्वारा वस्तुतः कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक अस्पताल ने, पृथक-पृथक वर्ष वार कितने बहिरंग रोगियों और अन्तरंग रोगियों का इलाज किया ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) :

(क) (i) विलिंगडन अस्पताल :

	लाख रुपये
1971-72	91.85
1972-73	100.00
1973-74	99.43

(ii) सफदरजंग अस्पताल :

1971-72	181.00
1972-73	187.00
1973-74	194.41

(ख) (i) विलिंग्डन अस्पताल

1971-72	91.40
1972-73	105.50
1973-74	115.13

(ii) सफदरजंग अस्पताल :

1971-72	187.00
1972-73	197.00
1973-74	201.46

(ग) (i) विलिंग्डन अस्पताल :

	बहिरंग रोगी	अन्तरंग रोगी
1971	6,04,222	19,674
1972	6,20,755	24,049
1973	6,63,664	28,154

(ii) सफदरजंग अस्पताल :

1971	8,03,539	65,729
1972	9,30,217	70,365
1973	9,94,571	71,316

Copper Found in Balaghat District

1927. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether large deposits of copper have been found in Balaghat District, and

(b) if so, the time by which mining work and setting up of refining plants are likely to be started there?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) Yes, Sir.

(b) An Agreement for the preparation of a Detailed Project Report for the development of Malanjkhand Copper Deposits in Balaghat District assigned by the Hindustan Copper Ltd., with a Soviet Agency in October, 1973. As the detailed project report is still under preparation, it is not possible at this stage to indicate the time phasing and other details regarding develop ment of the mines.

Exploitation of lime stone in public sector

1928. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether large areas bearing lime-stone and sphodiz have been kept secure for exploitation in the public sector;

(b) whether mining work is going on in these areas at present; and

(c) if not, the reasons for which these areas should not be declared open for mining by private mining lessees?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) to (c) An area comprising of about 72 villages in Madhya Pradesh containing limestone stands declared as Reserved. Exploration work in some of the reserved areas has been carried out and the question of exploiting these reserves is under active consideration. The question of de-reserving some of the areas containing limestone will be examined on receipt of recommendations of the State Government.

Information on sphodiz is being collected.

Payment of Royalty by Public Mining Institutions

1929. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether regular payment of royalty, taxes and ground tax is made to the State Government by the public mining institutions engaged in mining in the mining areas and;

(b) if not, the steps taken to realise the arrears?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) No such cases of default have come to notice in respect of Central Government Public Sector Undertakings.

(b) Does not arise.

शस्त्र उद्योग के लिए संयुक्त अरब गणराज्य को सहायता

1930. श्री जगन्नाथ मिश्र :

डा० कर्णी सिंह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य ने शस्त्र उद्योग बनाने में उसकी सहायता करने के लिए भारत से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी गई है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं श्रीमन् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

इस्पात का उत्पादन

1931. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1974 से सरकारी क्षेत्र के चार इस्पात संयंत्रों-दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, और बोकारो में कुल कितनी मात्रा में इस्पात का उत्पादन हुआ;

(ख) गत वर्ष की तुलना में कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और

(ग) चालू वर्ष की शेष अवधि में कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और

(घ) उत्पादन की गति में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जनवरी-जुलाई, 1974 की अवधि में सरकारी क्षेत्र के भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो के इस्पात कारखानों का इस्पात पिण्ड का कुल उत्पादन लगभग 21.17 लाख टन था और भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के कारखानों का विक्रेय इस्पात का कुल उत्पादन लगभग 16.47 लाख टन था ।

(ख) जनवरी-जुलाई, 1974 की अवधि में इन कारखानों का इस्पात पिण्ड और विक्रेय इस्पात का कुल उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम था ।

(ग) अनुमान है कि चालू वर्ष के शेष महीनों अर्थात् अगस्त-दिसम्बर, 1974 में इस कारखानों का इस्पात पिण्ड का कुल उत्पादन 19.7 लाख टन और विक्रेय इस्पात का कुल उत्पादन 14.70 लाख टन होगा।

(घ) वर्ष 1974-75 के लिए उत्पादन लक्ष्य सभी सम्बन्धित अभिकरणों से परामर्श करके तथा बिजली अन्य कच्चे माल रेल यातायात आदि की आवश्यकताओं तथा उपलब्धि को ध्यान में रखकर निश्चित किये गये हैं। इन अभिकरणों से निकट तथा सतत सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन आवश्यकताओं की आपूर्ति अथवा उपलब्धि के कारण उत्पादन पर प्रभाव न पड़ने पाये।

निम्न प्राथमिकता वाले उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर कोयले की कमी का प्रभाव

1932. **श्री नरेंद्र सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1974 की रेलवे हड़ताल के दौरान निम्न प्राथमिकता वाले उपभोक्ता वस्तु उत्पादन उद्योगों पर कोयले की कमी का क्या प्रभाव पड़ा;

(ख) क्या इन उद्योगों के लिये आगामी कुछ महीनों में भी कोयले की कमी रहने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) मई, 1974 में हुई रेल हड़ताल के दौरान कम महत्व की उपभोक्ता वस्तुए बनाने वाले कारखानों पर कोयले की कमी के प्रभाव के बारे में कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। फिर भी मई, 1974 के दौरान तथा बाद के दो महीनों में कोयले का कुल लदान पिछले महीनों की तुलना में अधिक हुआ, जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ो से स्पष्ट है :

	बी० जी० चार पहिएदार डिब्बों में दैनिक औसत लदान
मार्च, 74	6944
अप्रैल, 74	7405
मई, 74	7566
जून, 74	8059
जुलाई, 74	8100

(ग) कोयला खानों द्वारा उत्पादन बढ़ाने तथा रेलवे द्वारा उद्योगों व अन्य उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक कोयला पहुचाने के लिए समन्वित प्रयास किया जा रहा है।

दश से क्षय रोग के उन्मूलन के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता

1933. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लगभग 80 लाख क्षय रोग के रोगी है जिनमें 20 लाख पहले संक्रामक हो चुके है;

(ख) यदि हां, तो देश में क्षय रोग पर नियंत्रण करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) इस सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन से आर्थिक सहायता और विषेषज्ञ सेवाओं के रुपमें क्या सहायता प्राप्त हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां ।

(ख) देश में क्षय रोग के प्रकोप पर काबू पाने के लिए राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया है । यह निम्नलिखित दो उद्देश्यों पर आधारित है;

(i) रोग रहित स्वस्थ व्यक्तियों में विशेषकर 20 वर्ष से कम आयु के लोगों में, क्षय रोग को रोखने के लिए उन्हें बी० सी० जी० का टीका लगाना; और

(ii) जहां तक सम्भव हो सके अधिक से अधिक संख्या में रोगियों का पता लगाना और उनका क्षय रोग निरोधी दवाइयों की सहायता से कारगार इलाज करना ।

रोगियों का पता लगाने और बी० सी० जी० का टीका लगाने के कार्यक्रम चलाने के लिए देश में चौथी योजना की अवधि के अन्त तक 284 जिला क्षय रोग केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं । पांचवी योजना के दौरान शेष 75 जिलों में ऐसे केन्द्र खोलने का विचार है ।

चौथी योजना की अवधि के अन्त तक 39,500 क्षय रोग पलंगों की व्यवस्था कर दी गई है । पांचवीं योजना में और 3,500 क्षय रोग पलंगों की व्यवस्था करने का विचार है । उपर्युक्त योजनाओं को राज्य योजना क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है जिन पर 931.60 लाख रुपये का खर्च होने का अनुमान है। भारत सरकार 825 लाख रुपये के कुल अनुमानित खर्च पर क्षय रोगी रोधी दवाइयां और बी०सी०जी० वैक्सिन देगी । सुखाकर जमाई गई बी० सी० जी० वैक्सिन के उत्पादन को प्रतिवर्ष 6 करोड़ खुराकें तक बढाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं ।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन से राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है । फिर भी, विश्व स्वास्थ संगठन 1950-51 से तकनीकी विशेषज्ञों और शिक्षा वृत्तियां देकर इस कार्यक्रम की सहायता कर रहा है ।

कोयला खनन मशीनरी

1931 : **श्री एस० ए० मुरगनन्तम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में कोयले के उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति के लिये वर्ष 1976 तक 229 करोड़ रुपये के मूल्य की कोयला खनन मशीनरी की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह देश में ही उपलब्ध है अथवा इसका आयात किया जायेगा ; और

(ग) तत्सम्बन्धी रुपरेखा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) कोयला खान प्राधिकरण को अपने पांचवी योजना कार्यक्रम के संबंध में, 1974-76 के दौरान 219.19 करोड़ रुपये मूल्य के संयंत्र और मशीनों की खरीद के लिए अग्रिम कार्यवाही की अनुमति दे दी गई है ।

(ख) और (ग) बहुत कुछ अपेक्षित मशीनरी देश में ही उपलब्ध है तथा शेष मशीनरी आयात की जाएगी । अनुमान है कि 60.63 करोड़ रुपये मूल्य के संयंत्र और मशीनों का 1974-75 तथा 1975-76 के दौरान आयात करना पड़ेगा जिसमें 38 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च भी शामिल है ।

सरगुजा में अल्युमिनियम संयंत्र

1935. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सरगुजा में प्रस्तावित अल्यूमिनियम संयंत्र का प्रारम्भिक कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में राज्य के निम्न ग्रेड अयस्क सहित बाक्साइट निक्षेपों पर आधारित 500,000 टन एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना के लिए एक सोवियत एजेंसी मैसर्स स्वेत्मेत्प्रोमेक्सपोर्त द्वारा साध्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस रिपोर्ट के 1975 के मध्य तक प्राप्त हो जाने की आशा है।

कोयला खान श्रमिकों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का अभाव

1936. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोयला खान श्रमिकों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का अभाव हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा): (क) और (ख) कोयला खान श्रमिकों को चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने का मूल दायित्व नियोजकों और राज्य सरकारों का है। तथापि, कोयला खान श्रम कल्याण संगठन धनबाद उन के प्रयासों को अनुपूरित करता है और उसने अपने अनुमत स्रोतों के भीतर चिकित्सीय सुविधाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। ये सुविधाएं उन कोयला खान श्रमिकों को जो कि 730 रु० प्रतिमास तक मूल वेतन पाते हैं और उनके आश्रितों को संगठन द्वारा जो कि इस समय सामान्य कल्याण लेखे की अपनी कुल आय का 60% से अधिक केवल चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था पर खर्च कर रहा है, व्यापक रुपसे मुफ्त प्रदान की जा रही हैं। केन्द्रीय और क्षेत्रीय अस्पतालों, तपेदिक क्लिनिकों, तपेदिक अस्पतालों, प्रसूति और बाल कल्याण केन्द्रों का जाल बिछा हुआ है। उन बिमारियों के इलाज हेतु, जिन के लिए संगठन के चिकित्सीय संस्थानों में कोई व्यवस्था नहीं है, राज्य सरकारों और निजि अभिकरणों के अस्पतालों में पलंग भी आरक्षित किए जाते हैं। कोयला खान मालिकों द्वारा जारी रखे गये औषधालयों को निर्धारित विशिष्ट विवरणों के अनुसार उपदान दिए जाते हैं।

सेलम में इस्पात संयंत्र के लिए धनराशि का आबंटन

1937. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में सेलम इस्पात संयंत्र की धनराशी के आबंटन के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) उसकी रुपरेषा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) वर्ष 1974-75 में सलेम इस्पात कारखाने के लिए 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था कि गई है। चालू वर्ष में इस प्रायोजना के लिए अतिरिक्त धन के आबंटन का प्रश्न अभी विचाराधिन है।

इस्पात उद्योगों में संविदा श्रमिक

1938. **श्री कृष्ण चन्द हाल्दर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी तथा सरकारी क्षेत्र में वर्ष 1972 तथा वर्ष 1973 में इस्पात उद्योगों में कुल कितने संविदा श्रमिक कार्य कर रहे हैं; और

(ख) विभिन्न इस्पात संयंत्रों में संविधा श्रमिकों की मजूरी क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोद हंसदा): (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राज्यों द्वारा पूर्ण कालिक नियंत्रकों की नियुक्ति

1939. **श्री समा मुखर्जी** : क्या **स्वास्थ और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या अनेक राज्यों ने औषध मिर्माण और परीक्षण में तकनीकी रूप से सक्षमपूर्ण कालिक औषधि नियंत्रकों और पर्याप्त संख्या में औषधि निरिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालया में उपमंत्री (श्री ए०के० किस्कु): (क) और (ख) केवल सात राज्यों ने ही पूर्णकालिक औषधि नियंत्रण नियुक्त किये हैं। जिन शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने औषधि निर्माण और उनके परीक्षण में तकनीकी रुप से संक्षम पूर्ण कालिक औषधि नियंत्रक अभी तक नियुक्त नहों किये हैं उनके नाम इस प्रकार हैं:—

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, उडीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और त्रिपुरा तथा चण्डीगढ़, दिल्ली, दादरनगर हवेली, गोवा और पांडिचरी के संघ शासित क्षेत्र ।

भारत सरकार द्वारा नियुक्त औषधि नियंत्रण समिति के अनुसार प्रत्येक 25 निर्माता-एककों के लिए एक निरीक्षक तथा 200 औषधि विक्रेताओं के लिए एक निरीक्षक होना चाहिए । इस मानक के आधार पर जिन राज्यों में औषधि निरीक्षकों की संख्या काफी कम बैठती है उनके नाम इस प्रकार हैं:—

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उडीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल एवं दिल्ली संघ शासित क्षेत्र ।

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन को सुदृढ बनायें तथा इस अधिनियम को लागू करने की कार्य प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाये । खासकर सभी राज्यों में एक-एक पूर्णकालीक औषधी नियंत्रक और पर्याप्त संख्या में औषधि निरीक्षक होने की बात पर जोर दिया गया है । कुछ राज्य इस पर पहले से ही आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।

संगठित औद्योगिक श्रमिकों के लिए उचित दर की दुकानें

1940. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान, पटसन, लोहा तथा इस्पात, चाय-बागान, इंजीनियरिंग, पत्तन तथा गोदी, रेलवे, फार्मास्युटिकल्स तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमा में संगठित औद्योगिक श्रमिको के लिए आवश्यक वस्तुओं के लिए उचित दर की कितनी दुकाने हैं ;

(ख) ये दुकाने किन-किन स्थानों नें स्थित है और ये कौन-कौन सी वस्तुएँ वेचते हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

ट्रकों के मुल्य में वृद्धि

1941. श्री इन्द्रजीत गुप्त :क्या भारी **उद्योग** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्रकों के मूल्य में वृद्धि किये जाने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, उसके क्या कारण है तथा क्या तथ्य हैं?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) तीन मी० टन और इससे अधिक की वाणिज्यक गाड़ियों के निर्माताओं को 15-5-1974 से अपनी गाड़ियों की कीमतो में 3.25 % से 750% तक की वृद्धि करने की अनुमति दी गई है । उत्पादन-लागत को ध्यान में रख कर वृद्धि की अनुमति दी गई है ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधि मण्डल

1942. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस भारतीय प्रतिनिधि मंडल को कौन-कौन से मार्गदर्शक निर्देश लिए गए जो जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में शामिल होने के लिए गया ा ;

(ख) उस प्रतिनिधि मण्डल में मजदूर संघ के प्रतिनिधि कौन-कौन थे और उनका चयन करने के लिए क्या मापदण्ड अपनाया गया था; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में हमारे प्रतिनिधिमण्डल की कैसी भूमिका रही ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) भारत सरकार के शिष्टमण्डल को, जिसने जून, 1974 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 59 वें सत्र में भाग लिया, सरकार ने कार्यसूची की विभिन्न मद्दों के संबंध में उपयुक्त अनुदेश जारी किए थे ।

(ख) सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय शिष्टमंडल में ट्रेड यूनियनों के निम्नलिखित प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था :—

(1) श्री कान्ति मेहता, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय खान-श्रमिक फेडरेशन ।

(2) श्री जे० सी० दीक्षित, संसद् सदस्य, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ।

(3) श्री बी० आर० होशिंग, सदस्य, विधान सभा, महासचिव, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, बम्बई ।

(4) श्री टी० ई० कालिदास, अध्यक्ष, एच० एम० टी० वाच फैक्ट्री कर्मचारी यूनियन, बंगलौर ।

चूंकि कर्मकारों के शिष्टमंडल के गठन के बारे में राष्ट्रीय मज़दूर कांग्रेस, हिन्द मज़दूर सभा और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रीय मज़दूर कांग्रेस, जो कि देश में श्रमिकों का सब से अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है, के परामर्श से श्रमिकों के प्रतिनिधि और सलाहकार चुने गए थे ।

(ग) केन्द्रीय श्रम मंत्री, जो भारतीय शिष्टमण्डल के नेता थे, नियोजकों के प्रतिनिधि, श्री आर० पी० बिल्लीमोरिया और कर्मकारों के प्रतिनिधि, श्री कान्ति मेहता ने महा निदेशक की रिपोर्ट के संबंध में विचार-विमर्श में भाग लिया । भारतीय शिष्ट मण्डल के सदस्यों ने कार्य-सूची की विभिन्न मदों पर गौर करने के लिए समझौता सम्मेलन द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न समितियों के कार्य में भी सक्रिय भाग लिया । भारत सरकार की सामान्य नीति के अनुसार, भारतीय सरकार शिष्टमण्डल के सदस्यों ने, जहां कहीं आवश्यक हुआ, सम्मेलन द्वारा अंगीकार की गई लिखतों को बदलवाने का प्रयत्न किया ताकि वे भारत जैसे विकासशील देशों में विद्यमान परिस्थितियों के अनुकूल हो सकें ।

Production of B.C.G. vaccine and tuberculosis Solution

1943. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether the B.C.G. Vaccine and tuberculosis solution are not produced in sufficient quantity in the country to control the T.B; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) & (b) Nearly 30 to 35 million doses of BCG of Vaccine are being produced annually at the B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Madras at present which is sufficient to meet the present needs under the National T.B. Control Programme. However steps are being taken to increase the productions of freeze dried BCG vaccine to nearly 60 million doses per year by the end of the Fifth Plan period to meet the increased demand due to proposed expansion of BCG vaccine activites. Production of tuberculosis solution has been considerably reduced in view of the strategy adopted of doing only direct BCG vaccination upto the age of 20 years without doing tuberculin tests.

Export of Tuberculosis solution and B.C.G. vaccine to neighbouring countries.

1944. Shri Mahadeepak Singh Shakya: Will the Minister of **Helath and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether the tuberculosis solution and B.C.G. vaccine are exported to the neighbouring countries and

(b) if so, the total quantity exported during the year 1973-74 as compared to the quantity exported during the year 1972-73, indicating the names of the countries to which exported?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) Yes.

(b) Export of tuberculosis solution and B.C.G. Vaccine during 1972-73 and 1973-74 by India is as follows :

	1972-73		1973-74	
	BCG Vaccine	PPD dilution	BCG Vaccine	PPD dilution
1. Bhutan	40,000 doses	12,500 doses	20,000 doses	1,000 cc
2. Nepal .	Nil	4,900 doses	Nil	700 cc

वर्ष 1973-74 में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर व्यय

1945. श्री मोहम्मद शरीफ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1973-74 में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर सरकार ने कुल कितनी धनराशि खर्च की ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : स्वास्थ्य क्षेत्र में केन्द्रीय तथा केन्द्र पोषित अयोजनागत योजनाओं को चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय वर्ष 1973–74 के लिए अपने संशोधित प्राक्कलनों में 2962.85 लाख रुपये की व्यवस्था की थी। परिवार नियोजन विभाग ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाने के लिये 1973–74 में अनुमानत: 5377.25 लाख रुपये खर्च किये।

Transfer of Employees of B. H. E. L., Bhopal

1946. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state:

(a) whether five thousand employees of Bharat Heavy Electricals Limited, Bhopal are being transferred from there in the name of gradation; and

(b) if so, the full facts thereof and the reasons for reducing the number of employees by five thousand there?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh):
(a) No Sir.

(b) Does not arise.

बिहार में उपयोग किये गये नकली ग्लुकोज के विश्लेषण का परिणाम

1947. श्री देवेन्द्रसिंह गरचा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार** नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला द्वारा नकली ग्लूकोज, जिससे हाल में बिहार में छः व्यक्ति मरे हैं, के विश्लेषण का परिणाम इस बीच प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अपराधियों का पता लगा लिया गया है और पकड़ लिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) ये नमूने केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता को भेज तो दिये हैं किन्तु ये अभी उनके पास पहुंचे नहीं है।

(ग) परीक्षण रिपोर्ट के मिलने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

समुद्री कानुनों के बारे में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

1948. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री कानूनों के बारे में कराकस में हुये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का रवैया क्या रहा है; और

(ख) हिन्द महासागर के विशेष संदर्भ सहित इस सम्मेलन के मुख्य-मुख्य क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह): (क) कारकस में समुद्र के कानून के विषय में जो सम्मेलन हो रहा है उसमें भारत द्वारा अपनाई गई नीति में दूसरी बातों के अलावा नीचे लिखी बातें भी शामिल हैं :

(1) भारत को 12 मील का प्रादेशिक समुद्र स्वीकार्य है जो किसी समुचित आधार रेखा से नापा जायेगा। इसके अतिरिक्त उसे 18 मील की संलग्न क्षेत्र की पट्टी भी स्वीकार है जिससे कि सीमाशुल्क, वित्तीय और स्वास्थ्य संबंधी हितों की रक्षा हो सके।

(2) तटवर्ती राज्य को तट से 200 मील तक की दूरी में आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का अधिकार होना चाहिए जिसमें उस तटवर्ती राज्य का प्रभुसत्तात्मक अधिकार होगा और मत्स्य पालन जैसे जल संसाधनों परतथा उसके समुद्र तेल अथवा उसके नीचे की जमीन पर पूर्ण एक छत्राधिकार।

(3) हम इस मत का भी समर्थन करते हैं कि किसी राज्य का राष्ट्रीय समुद्र तल का विस्तार भी उस समूचे क्षेत्र में जिससे कि इसके भू-प्रदेश का प्राकृतिक प्रवर्धन होता है, महाद्वीपीय सीमा को बाह्य रेखा तक होना चाहिए।

(ख) यह सम्मेलन अभी चल रहा है और अगस्त के अंत तक समाप्त होगा।

भारतीय प्रधान मंत्री की ईरान की यात्रा

1949. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की हाल की ईरान की यात्रा से भारत और ईरान में और घनिष्ठ संबंध स्थापित किये जाने में महत्वपूर्ण सहायता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इन सुदृढ़ संबंधों के क्या मुख्य परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह): (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने इस वर्ष 28 अप्रैल से 2 मई तक की अपनी ईरान-यात्रा में राजकुलमान्य शाहंशाह से तथा ईरान के अन्य नेताओं के साथ मैत्री एवं सौहार्दपूर्ण वार्ता की। इस वार्ता के फलस्वरूप दोनों पक्षों ने समान हित के महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर एक-दूसरे के विचारों को ज्यादा अच्छी तरह समझा। इस बातचीत से यह भी प्रकट हुआ कि बहुत से प्रश्नों पर दोनों देशों का दृष्टिकोण समान है। आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के बारे में दूरगामी उपायों पर सहमति हुई जिनका ब्यौरा यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में दिया गया है। विज्ञप्ति की एक प्रति संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8145/74]**

बिहार क्षेत्र में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारियों का तबादला

1950. श्री रामवतार शास्त्री : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के सम्मेलन में दो वर्षों के बाद कर्मचारियों के तबादले के संबंध में किए गए निर्णयों का बिहार क्षेत्र में सख्ती से पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसको क्रियान्विति की तिथि से लेकर अब तक कितने कर्मचारियों का तबादला किया गया है;

(ग) ऐसे कौन-कौन से कर्मचारी हैं जिनका अभी तक तबादला नहीं किया गया है हालांकि वे वर्षों से एक ही अनुभाग में लगे हुए हैं और एक ही प्रकार का कार्य कर रहे हैं; और

(घ) दूसरे अनुभाग में उनका तबादला न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचना दी है :—

(क) दो वर्षों से अधिक समय पर मुख्य लिपिकों और कर्मचारी वर्ग के स्थानान्तरण के बारे में गोवा में श्रेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के सम्मेलन में किए गए निर्णय को बिहार क्षेत्र में कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ख) दस लिपिकों में से नौ और 128 में से कर्मचारी वर्ग के 96 अन्य सदस्य अब तक स्थानान्तरित किए जा रहे हैं ।

(ग) और (घ) एक मुख्य लिपिक और स्टाफ के 32 अन्य सदस्यों को कार्यालय की अत्यावश्यकताओं के कारण स्थानान्तरित नहीं किया जा सका ।

बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठान

1951. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार क्षेत्र में उन सभी प्रतिष्ठानों/कारखानों में जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 और इनके अन्तर्गत बनाई गई योजना लागू होनी थी, उक्त अधिनियम और योजना निश्चित तिथियों से लागू कर दिए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे कौन-कौन से प्रतिष्ठान/खानें/कारखाने हैं जिन पर अभी तक इसे लागू नही किया गया और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें उन पर लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी हां, अभिलेखों और प्राधिकारियों की अधिकतम जानकारी के अनुसार, शामिल करने के कार्य या नियत तारीखों से या जहाँ पूरे अभिलेखों की कमी के कारण निर्दिष्ट तारीख निश्चेय नहीं है अनंतिम तारीखों से सम्पन्न किया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

बिहार में ग्रेड-2 के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की नियुक्ति

1952. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का पद ग्रेड 2 का पद है; और

(ख) यदि हाँ, तो बिहार क्षेत्रीय कार्यालय में ग्रेड-3 के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को नियुक्त किए जाने के कारण क्या हैं जब कि इस संगठन में पर्याप्त संख्या में ग्रेड 2 के क्षेत्रीय आयुक्त उपलब्ध है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी, हाँ ।

(ख) प्रशासन की अत्यावश्यकताओं के कारण ग्रेड 3 के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को बिहार में तैनात किया गया है जो कि इस तथ्य से अनिवार्य हुआ है कि बिहार में तैनात किए जाने के लिए कोई ग्रेड–II का विभागीय अधिकारी उपलब्ध नहीं है ।

मैसर्स रामगोपाल पासारी, सिंहभूम से भविष्य निधि की बकाया राशि की वसूली

1953. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंहभूम के मैसर्स रामगोपाल पासारी कोड संख्या बी० आर० 323 से भविष्य निधि की बकाया काफी राशि की वसूली नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि बकाया है और उक्त नियोजक से इन राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस कारण कोई मुकद्दमा चलाया नहीं जा सका कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार के कार्यालय से उक्त एकक की मुख्य कोड फाइल मिल नहीं रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो कैसे और इसके लिए जिम्मेदार कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : भविष्य निधि अधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख) भविष्य निधि की 37,738.72 रु० की बकाया राशि में से प्रतिष्ठान ने 5,658.45 रु० का भुगतान किया जिस से वसूल किए जाने के लिए 32,080.27 रु० शेष रह गए जो कि प्रमाणपत्र कार्यवाहियों के अन्तगत आते हैं ।

(ग) जी, नहीं । अभियोजन मामले चलाए और नियोजक को दंडित किया गया था ।

(घ) उपर्युक्त (ग) के समक्ष उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

कोयला खान प्राधिकरण द्वारा कोयल का अधिक उत्पादन करने के लिए कार्यवाही

1954. श्री महेन्द्र सिंह गिल : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड अपने अस्तित्व के प्रथम वर्ष के दौरान 540 लाख टन कोयले का उत्पादन कर सका जबकि उसका उत्पादन करने का लक्ष्य 585.70 लाख टन था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अधिक उत्पादन करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) कोयला खान प्राधिकरण का 1973–74 में 585.70 लाख टन कोयले का उत्पादन लक्ष्य अनंतिम था जिसे बाद में संशोधित करके 555 लाख टन कर दिया गया। इस संशोधित लक्ष्य की तुलना में प्राधिकरण द्वारा 534.60 लाख टन कोयले का उत्पादन किया गया।

(ख) यह कमी कम्पनी को अपने अस्तित्व के प्रथम वर्ष के दौरान आई प्रारंभिक कठिनाइयों तथा बिजली की कमी, पर्याप्त रेल परिवहन के अभाव, विस्फोटकों संयंत्रों तथा मशीनों आदि की कमी जैसी परिचालनात्मक कठिनाइयों के कारण हुई। इन कठिनाइयों को दूर करने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए : कोयला खानों को बिजली की पूर्ति लाइनों को अलग करना तथा परिवहन प्रबंधों में, विशेष तथा बंगाल-बिहार में सुधार करना, वैगनों की प्राप्ति में सुधार हेतु रेलवे के साथ समुचित तालमेल रखना, पांचवीं योजना के दौरान मौजूदा विस्फोटक कारखानों की क्षमता का विस्तार तथा नए विस्फोटक-कारखानों की स्थापना, संयंत्रों और उपकरणों सहित विभिन्न निदेश कारकों की पूर्ति सुनिश्चित करना, मौजूदा खानों का पुनर्गठन और पुनर्निर्माण तथा बन्द और नई खानों को खोलना आदि।

कपड़ा मशीन उद्योग में क्षमता का पूरा उपयोग न किया जाना

1955. श्री इसहाक सम्मली : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा मशीन उद्योग की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है तथा गत वर्ष कितने मूल्य का उत्पादन हुआ;

(ख) पूरी क्षमता का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) पांचवीं योजना में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कपड़ा मशीन उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता 117 करोड़ रुपये तक होने का अनुमान है। 1973 में 42.73 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ था।

(ख) चूंकि कपड़ा मिल उद्योग का काम विगत समय में ठीक नहीं रहा है इसलिए मशीन निर्माण उद्योग को पर्याप्त संख्या में आर्डर नहीं मिले। इसके परिणामस्वरूप क्षमता का कम उपयोग हुआ है।

(ग) कपड़ा योजना के अनुरूप मशीन उत्पादन का एक समन्वित कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। ऐसी परिकल्पना है कि मांग का इस समय उत्साहवर्धक रुख और उपयुक्त निवेश-आयोजन से वर्तमान उत्पादन स्तर लगभग 90 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष तक बढ़ाना सम्भव होगा। यदि आवश्यक हुआ तो चयनात्मक विस्तार और नई क्षमता उत्पन्न करके वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता में और आगे वृद्धि की जायेगी।

कोयले के भण्डारों का अनुमान

1956. श्री गजाधर माझी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कोयले के भण्डारों का कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) क्या वर्तमान तेल संकट का मुकाबला करने के लिए बहुत से कार्यों के लिए तेल उत्पादों के स्थान पर कोयले का उपयोग किए जाने के लिए यह भण्डार उपयुक्त हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) देश के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में कोयला स्रोतों का भूवैज्ञानिक मानचित्रण तथा भूछेदन आधार पर अनुमान लगाया गया है और इसके परिणामस्वरूप कुल 810,330 लाख टन कोयले के भंडारों का अनुमान लगाया गया है।

(ख) कोयला कई उपयोगों में तेल का स्थान ले सकता है परन्तु वह पूरी तरह तेल का स्थान नहीं ले सकता। वर्तमान तेल संकट के सन्दर्भ में, जहां भी संभव होगा, तेल की जगह कोयले का उपयोग किया जाएगा।

कोयले को तेल में बदलने के लिए बनाई गई योजना

1957. **श्री गजाधर माझी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयले को तेल में बदलने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : कोयले को तेल में बदलने के लिए सरकार ने अभी कोई योजना नहीं बनाई है।

प्रत्येक किस्म के ट्रैक्टर का बिक्री मूल्य

1958. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा** : क्य **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक किस्म और भिन्न-भिन्न अश्व शक्ति के ट्रेक्टरों की भिन्न स्थानों पर नई मूल्य-श्रणियों का ब्यौरा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : विभिन्न मैकों के देशी ट्रैक्टरों के चालू बिक्री मूल्य निम्न प्रकार हैं :—

क्रम सं०	ट्रैक्टर का विवरण	इंजिन की मूल बातें और अ० श०	निर्माता का नाम	बिक्री मूल्य (गंतव्य स्थान तक रेल भाड़ा मुक्त) (रेल हेड)
1	2	3	4	5
				(रुपये)
1.	हिन्दुस्तान ड़ीज़ल इंजिन ड्राईवन ट्रैक्टर माडेल एच० डब्ल्य० डी०—50 जिसमें 6.50 × 20 के फ्रंट टायर और 14 × 28 की रीयर टायर लगे हों।	50 अ० श० 4 सिलेंडर जल-शीतित	मे० हिन्दूस्तान ट्रैक्टर्स लि० विश्वा-मित्री, बड़ौदा	40,670
2.	मेसी फरग्यसन डीज़ल इजिन ड्राइविन ट्रैक्टर माडेल, एम० एफ० 1035, जिसमें 5.50/6.0 × 16 के फ्रंट टायरऔर 10.0/11/11.2/12.4 × 28 की रीयर टायर लगे हों।	35 अ० श० 3 सिलडर जल-शीतित	मे० ट्रैक्टर्स एन्ड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड 202—माउंट रोड, मद्रास—34	31,710
3.	मेक कार्मिक-इंटरनेशनल डीज़ल इंजिन ड्राईवन ट्रैक्टर मोडेल बी० 275/276 जिसमें 5.50/6.0 × 16 के फ्रंट टायर और 10.0/11/11.2/12.4 × 28 की रीयर टायर लगे हों।	35 अ० श० 4 सिलेंडर जलशीतित	मे० इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स कं० आफ इंडिया लि० अकुर्ली रोड, कांदीवली ईस्ट, बम्बई-67 (एच० बी०)	31,710

1	2	3	4	5
4.	इंटरनेशनल डीज़ल इंजिन ड्राईवन ट्रैक्टर माडेल 434, जिसमें 6.0×16,4 के प्लाई फ्रंट कील टायर और 13.6/12.0×28,4 के प्लाई रीयर कील टायर लगे हों।	44 अ० श० 4 सिलेंडर जल शीतित	मे० इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स कं० आफ इंडिया लि०अकुर्ली रोड, कांदिवली ईस्ट, बम्बई-67 (एच०बी०)	40,670
5.	ऐस्कार्टस डीज़ल इंजिन ड्राईवन ट्रैक्टर माडेल ई-335, जिसमें 5.50/6.0 ×16 के फ्रंट टायर और 10.0/11.0/12.2/12.4×28 के रीयर टायर लगे हों।	35 अ० श० 3 सिलेंडर जल शीतित	मे० ऐस्कार्टस लि०, 18/4, मथुरा रोड, फरीदाबाद (हरयाणा)	31,710*
6.	ऐस्कार्टस डीज़ल इंजिन ड्राईवन ट्रैक्टर माडेल 3036 जिसमें 5.50/6.0×16 के फ्रंट टायर और 10.0/11.0/11.2/12.4×28 के रीयर टायर लगे हों।	35 अ० श० 3 सिलेंडर जल शीतित	मे० ऐस्कोर्टस लि०, 18/4, मथुरा रोड, फरीदाबाद (हरयाणा)	31,710*
7.	फोर्ड,-3000 डीज़ल इंजिन ड्राईवन ट्रैक्टर जिसमें 6×16, 4 प्लाई फ्रंट टायर और 13.6/12.0×28, 4 प्लाई टायर लगे हों।	46 अ० श० 4 स्ट्रोक 3 सिलेंडर जल-शीतित	मे० एस्कोर्टस ट्रैक्टर्स लि० ; 18/4 मथुरा रोड, फरीदाबाद (हरयाणा)	40,670*
8.	आईचर डीज़ल इंजिन ड्राईवन ट्रैक्टर माडेल 115/8 जिसमें 5.50/6.0 ×16 के फ्रंट टायर और 10.0/11.0/11.2/12.4×28 के रीयर टायर लगे हों।	26.5 अ० श० 1 सिलेंडर वायूशीतित	मे०आईसर ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड-26, आसफ अली रोड, नई दिल्ली।	30,410
9.	जेटर डीज़ल इंजिन ड्राईवन ट्रैक्टर माडेल 2511, जिसमें 5.50/6.0×16 के फ्रंट टायर और 10.0/11.0/11.2/12.2×28 के रीयर टायर लगे हों।	25 अ० श० 2 सिलेन्डर जल शीतित	मे० हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, पिंजौर (हरयाणा)	30,410
10.	पित्ती–4000, डीज़ल इंजिन ड्राइविन ट्रैक्टर माडेल, जिसमें 6.00×16 के फ्रंट टायर और 12.4×28 के रीयर टायर लगे हों।	37 अ० श० 3 सिलेन्डर जलशीतित	राज बहादुर मोती लाल पूना मिल्स लिमिटेड, 5-आर बी, मोती लाल रोड, पूना 1	31,710
11.	स्वराज–724, डीज़ल इंजिन ड्राईवन ट्रैक्टर जिसमें 5.50×16 (4 लाई) के फ्रंट टायर और 10/11.2×28 (4 प्लाई) के रीयर टायर लगे हों।	23.6 अ०श० 2 सिलेंडर जलशीतित	दि पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड, 10–सेक्टर, 9–ए० चंदीगढ़–11	30,410

*यदि ट्रैक्टर के आटोमेटिक डेप्थ कंट्रोल डिबाइस न लगा हो तो उसका बिक्री मूल्य केवल 30,410 रुपये होगा।

टिप्पणी :—कालम 5 में दिये गये बिक्री मूल्य में बन निम्नलिखित सहायक पुर्जों/संलग्नकों के मूल्य सम्मिलित हैं, जो कि प्रत्येक ट्रैक्टर के साथ दिये जायेंगे ।

(क) हाइड्रोलिक लिफ्ट;

(ख) 3–प्वाइंट, लिकेजिज;

(ग) पावर टेक-आफ;

(घ) औजारों का एक सेट;

(ङ) इलैक्ट्रिक हार्न; और

(च) प्रकाश के आवरण, जिसमें डेड लाइट, टेल लाइट और प्लो लाइट सम्मिलित है ।

कानपुर अस्पताल में प्रयुक्त नकली ग्लूकोज के बारे में की गई जांच का परिणाम

1959. **श्री नुरुल हूडा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1974 में कानपुर अस्पताल (उत्तर प्रदेश) में ग्लूकोज चढ़ाने संबंधी घटना के बारे में कोई जांच के आदेश दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो यह जांच किसने की और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) उत्तर प्रदेश में उन 40 औषध फर्मों के नाम, पते तथा ब्यौरे क्या हैं जिनके उत्पाद रासायनिक परीक्षण करने पर नकली अथवा घटिया पाये गये हैं;

(घ) क्या इन फ़र्मों को काली सूची में दर्ज किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य का अपराध अन्वेषण विभाग इसकी जांच कर रहा है और उनकी रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कोयला खानों के लिए विदेशी जानकारी

1960. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान को छोड़कर कुछ देशों ने भी कोयला खानों का विकास करने हेतु जानकारी तथा सहायता की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) कोयला खानों के विकास हेतु जापान से जानकारी तथा सहायता प्रदान करने की कोई पेशकश नहीं की गई है । परन्तु सोवियत रूस, पोलैण्ड, फ्रांस तथा पश्चिमी जर्मनी ने इस प्रकार की पेशकश की है ।

(ख) रांची के केन्द्रीय खान आयोजन तथा डिजाइन संस्थान के निर्माण में पोलैण्ड की जानकारी का उपयोग किया गया है । गहरी कोयला खानें विकसित करने में भी उनकी सहायता ली गई है ।

रूस की सहायता का उपयोग सिंगरौली, रानीगंज तथा रायगढ़ कोयला क्षेत्रों की बड़ी खानों के विकास में किया जा रहा है ।

फ्रांस की जानकारी का सिंगरेनी क्षेत्र में विशेष भूमिगत खनन विधि आरंभ करने के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव है। कर्णपुरा क्षेत्र में भूमिगत खान में खुदाई के लिए भी फ्रांस की कुछ सहायता ली गई थी। १० जर्मनी से भी एक विशेष भूमिगत खनन पद्धति विकसित करने तथा कोयला प्रक्षालनशालाओं के विकास के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

लद्दाख में अस्पताल की स्थापना

1961. **श्री कुशोक बाकुला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लद्दाख जिले (जम्मू तथा काश्मीर राज्य) में एक बड़ा आधुनिक अस्पताल स्थापित करने में पहल करने और उसका वित्त-पोषण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और इसके उपलब्ध होते ही भेज दी जायेगी।

लद्दाख में अस्पताल, औषधालय, प्रसूति तथा बाल कल्याण केन्द्र

1962. **श्री कुशोक बाकुला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा कश्मीर राज्य के लद्दाख जिले में इस समय कुल कितने अस्पताल, औषधालय, प्रसूति तथा बाल कल्याण केन्द्र हैं; और

(ख) आगामी वर्ष में इस सीमावर्ती जिले में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने के लिये क्या-क्या प्रस्ताव हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही भेज दी जायेगी।

Labour Participation in Management of Public Undertakings

1963. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether the Committee on Public Undertakings (1973-74) Fifth Lok Sabha, recommended that arrangement for the participation of labour at all levels in management and policy making should be made in all the Public Undertakings;

(b) if so, the steps taken by the Labour Department in this regard; and

(c) whether this demand has been reiterated in Para 8·26 of the 17th Report of that Committee and if so, the names of the Public Sector Industries where representation of the labour at all levels has been accepted and the names of the industries where it has not been accepted?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) Yes; this is a reiteration of the recommendations made in their 17th report, referred to in part (c) of the question.

(b) and (c) Workers have been appointed as directors on the Boards of Management of the Hindustan Antibiotics Limited, Pimpri, the Hindustan Organic Chemicals Limited and the fourteen nationlised banks. Steps are being taken to appoint worker-directors

on the Boards of Management of the State Bank of India and its subsidiaries. Provisions for participation at various levels of management are also being considered for incorporation in the comprehensive Industrial Relations Bill which is being processed by the Government.

Expenditure on Conference on "Tomorrows parents" Hyderabad

1964. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the total expenditure incurred on the conference on "Tomorrows Parents" held in Hyderabad in January, 1974;

(b) the decision taken in this conferene and which of the decisions have been implemented so far; and

(c) whether as per the decision taken in this conference sex education will be given to youth in the country and if so, the outlines thereof ?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri Kondajji Basappa): (a) to (c) Neither the Government of India nor the Government of Andhra Pradesh convened such a conference. It is however understood that a conference on "Tomorrows Parents" was organised at Hyderabad by the Family Planning Association of India, Bombay, which is a voluntary organisation.

No information about the expenditure incurred or the recommendations etc. of this conference are available.

देश में औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का स्थापित किया जाना

1965. श्री बनमाली पटनायक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) जी, हां। खाद्य तथा औषधि परीक्षण की संयुक्त प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए राज्यों को आर्थिक सहायता देने सम्बन्धी एक योजना पांचवे प्लान में शामिल कर ली गई है । इस योजना को चलाने के लिये योजना आयोग ने 3.50 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर कर ली है। इस योजना का उद्देश्य उन राज्यों में खाद्य और औषध की संयुक्त प्रयोगशालाएं खोलने का है जहां पर ये प्रयोगशालाएं नहीं हैं । तथा उन राज्यों की प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना है जिन के पास परीक्षण करने की सीमित सुविधाएं हैं ।

(ग) योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

बोकारो इस्पात संयंत्र का विस्तार

1966. श्री समर गुह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के सहयोग से विकसित किये जाने वाले, बोकारो इस्पात संयंत्र और अन्य इस्पात संयंत्रों के विस्तार में विलम्ब के विभिन्न कारणों को भारतीय सेवाओं की विभिन्न

कमियों को बताने वाले, भारत स्थित रुसी विशेषज्ञ के वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वक्तव्य के बारे में तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस्पात संयंत्रों के लिए विभिन्न उपकरणों और फालतू पुर्जों की सप्लाई रूस ने निर्धारित समय सूची के अनुसार कर दी है, यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या बोकारो के विस्तार में विलम्ब के कारणों का अध्ययन करने के लिए भारतीय विशेषज्ञों का एक दल गठित किया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) समाचार पत्रों में प्रकाशित सोवियत आर्थिक सलाहकार के कथित वक्तव्य के समाचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है । यद्यपि बोकारो और भिलाई इस्पात कारखानों के विस्तार की निर्माण अनुसूचियों में कुछ विलम्ब होने की सम्भावना है तथापि इस बात की हर कोशिश की जा रही है कि समस्त अनुसूची में विलम्ब कम से कम होने पाये ।

(ग) सामान्यत: बोकारो और भिलाई इस्पात कारखानों के लिए रूस से प्राप्त किये जाने वाले उपस्करों और फालतू पुर्जों की सप्लाई समय पर की जा रही है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Conversion of Gurdwaras in Pakistan into Military Camps

1967. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Gurdwaras in Pakistan, including Gurdwara Kartar Singh at Dera Baba Nanak, have been converted into military camps;

(b) whether it is an open violation of Nehru-Liaquat Ali agreement which provided for proper maintenance of Sikh and Muslim religious places; and

(c) if so, whether Government have sent any protest note to Pakistan?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government have seen an isolated press report to the effect that Gurdwara Kartarpur Sahib has been converted into a military camp but no confirmation is available of this report.

(b) & (c) This subject falls under the purview of the Indo-Pak Agreement of 4th August, 1953, relating to the protection, preservation and maintenance of places of religious worship. This Agreement has been repeatedly violated by Pakistan, and is likely to be reviewed when a suitable opportunity affords itself.

शत्रु सम्पत्ति अधिनियम के बारे में बंगला देश सरकार द्वारा अध्यादेश जारी किया जाना

1968. श्री समर गुह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शत्रु सम्पत्ति अधिनियम के बारे में बंगला देश सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इन प्रश्नों की जांच की है कि इस अध्यादेश से बंगला देश स्थित भारतीय नागरिकों की सम्पत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या समस्या के आपसी मित्रतापूर्ण समाधान के लिए सरकार ने बंगला देश सरकार के साथ शत्रु सम्पत्तियों की समस्याओं के बारे में बातचीत की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसी बातचीत कब होने की सम्भावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) से (ग) जी हां, शत्रु सम्पत्ति अधिनियम के बारे में बंगला देश सरकार द्वारा लागू अध्यादेश का अध्ययन करने पर स्थिति इस प्रकार नालूम होती है : (i) वास्तव में अध्यादेश में यह व्यवस्था है कि शत्रु सम्पत्ति के रूप में पहले ली गई भारतीय सम्पत्तियां अब बंगला देश के अधिकार में हो गई है। इसके अलावा, चूंकि शत्रु सम्पत्ति (आपाती व्यवस्थाओं की निरंतरता) अधिनियम, 1969 रद्द हो गया है, इसलिए, और कोई संपत्ति शत्रु सम्पत्ति के रूप में नहीं ली जा सकती। इस प्रकार वर्तमान अध्यादेश पुराने नियमों से अच्छा है क्यों कि जब यह स्पष्ट है कि किसी नई संपत्ति को शत्रु संपत्ति के रूप में नहीं लिया जा सकता। (ii) निहित एवं गैर-रिहायशी सम्पत्ति (प्रबंधक) अधिनियम, 1974 में अन्य बातों के साथ साथ भारतीय नागरिकों समेत गैर-रिहायशी लोगों को यह अधिकार देता है कि वे निहित एवं गैर-रिहायशी सम्पत्ति प्रबंधक समिति की अनुमति से अपनी संपत्ति बेच सकता है, विनिमय कर सकता है अथवा दान में दे सकता है। उन्हें अपनी संपत्ति से आमदनी पाने का भी अधिकार दिया गया है। गैर-रिहायशी आदमी को संपत्ति मालिक की लिखित अनुमति के बगैर हस्तांतरित नही की जा सकती।

(घ) और (ङ) सरकार आपसी और मैत्रीपूर्ण निश्चय को ध्यान में रख कर कई द्विपक्षीय प्रश्नों को क्रमिक रूप से बंगला देश की सरकार के साथ उठा रही है, इस प्रश्न पर भी किसी समुचित समय पर विचार-विमर्श हो सकता है।

नेवेली में लिग्नाइट कोयले से चलने वाले बायलरों को तेल से चलने वाले बायलरों में बदलने पर हुआ व्यय

1969. डा० के० एल० राव: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेवेली में लिग्नाइट कोयले से चालू होने वाले बायलरों के स्थान पर तेल बायलर लगाने पर रुपयों और विदेशी मुद्रा में कुल कितनी राशि खर्च हुई;

(ख) इन बदले गए तेल चालित बायलरों के लिए प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने तेल की आवश्यकता होगी और इस पर कितनी देशी मुद्रा खर्च होगी; और

(ग) लिग्नाइट चालित बायलरों के स्थान पर तेल चालित बायलरों को बदलने का निर्णय किन कारणों से ऐसे समय पर लिया गया जबकि सरकार तेल की बचत के लिए हर संभव प्रयास कर रही है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) नेवेली बिजली संयंत्र के 50-50 मेगावट के दो बायलरों को लिग्नाइट की बजाए तेल चालित बायलरों के रूप में बदलने का अनुमानित व्यय 120 लाख रुपये है जिसमें 50 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा भी सम्मिलित है। इस अनुमानित राशि में से 104.40 लाख रुपये जिसमें 27.60 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा सम्मिलित है, पहले ही खर्च किए जा चुके हैं।

(ख) दोनों परिवर्तित बायलरों की तेल की वार्षिक आवश्यकता 1,80,000 किलो लिटर है । इसकी पूर्ति मैसर्स इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा अपने कुल देशी तथा आयातित भट्टी तेल स्टाक से की जा रही है। परिवर्तित बायलरों के लिए अपेक्षित भट्टी तेल की इतनी मात्रा के आयात का खर्च विदेशी मुद्रा में लगभग 8.74 करोड़ रुपये प्रति वर्ष बैठता है ।

(ग) नेवेली बिजली संयंत्र की उत्पादन क्षमता 600 मेगावेट है परन्तु लिग्नाइट की सीमित उपलब्धि के कारण लगभग 50 प्रतिशत क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है । लिग्नाइट की अपर्याप्त उपलब्धि तथा दक्षिणी क्षेत्र में बिजली की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए एक तकनीकी समिति गठित की गई जिसने समस्या के सभी प्रौद्योक आर्थिक पहलुओं पर विचार किया । इस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर जनवरी, 1973 में सरकार ने नेवेली लिग्नाईट खान से पर्याप्त मात्रा में लिग्नाईट उपलब्ध होने तक, नेवेली बिजली संयंत्र के 50–50 मेगावेट के दो बायलरों को तेल चालित बॉयलरों के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय किया था। नेवेली लिग्नाइट खान से पर्याप्त मात्रा में लिग्नाइट निकालने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

कोयले की चोरी

1970. श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की खदानों में सहायक प्रबन्धकों तथा 'लोडिंग सुपरवाइजरों' की सांठ गांठ से भारी मात्रा में कोयले की चोरी की जाती है और कोयले के स्थान पर सिंडर कोयला सप्लाई करके हानि को पूरा किया जाता है;

(ख) क्या बिहार में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की दक्षिण झरिया खदान में 'लोडिंग सुपरवाईजर' ने कोयले के स्थान पर सिंडर के पांच बाक्स वैगन लादे और बाद में 12 जून, 1974 को उप क्षेत्र प्रबन्धकी को शिकायत किये जाने पर खाली किये गए; और

(ग) यदि हां, तो कोयला खदान के सहायक प्रबन्धक और 'लोडिंग सुपरवाइजर' के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा भविष्य में ऐसी चोरियों को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) चोरी के कुछ मामले पकड़े गये हैं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

(ख) और (ग) दक्षिण झरिया कोयला खान में 5 बाक्स वैगनों में घटिया किस्म का कोयला लदा हुआ पाया गया। जैसे ही इस बात का पता चला डिब्बों को खाली करवा दिया गया। इसकी जांच का कार्य चल रहा है ।

लोहे और इस्पात की जाली फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही

1971. श्री स्वर्ग सिंह सोखी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपूर तथा दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में इस्पात की अनेक जाली फर्मों का पता लगाया गया है;

(ख) क्या इन बोगस फर्मो को लोहा तथा इस्पात का आबंटन करने में कुछ वरिष्ट सरकारी अधिकारी अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) यदि हां, तो इन बोगस फर्मों तथा सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) क्षेत्रीय लोहा और इस्पात नियंत्रक दिल्ली द्वारा की गई जांच से जयपुर और दिल्ली में कुछ नकली इकाइयों का पता चला है। दूसरे क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सरकार को इस बार में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) क्षत्रीय लोहा और इस्पात नियंत्रक दिल्ली द्वारा इन नकली इकाइयों को इस्पात सामग्री की सप्लाई निलम्बित कर दी गई है। उद्योग निदेशकों को इस मामले में आगे जांच करने तथा उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

गैर-सरकारी क्षेत्र की लौह अयस्क खानों का राष्ट्रीयकरण

1972. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी व्यक्तियों तथा कम्पनियों द्वारा चलाई जा रही बहुत सी लौह अयस्क खाने हैं;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र द्वारा भी लौह अयस्क खाने चलाई जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोयला खानों के समान सभी निजी लौह अयस्क खानों का राष्ट्रीयकरण करने का है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) निजी क्षेत्र में लौह अयस्क की सभी खानों का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची में श्रमिकों और संसद सदस्यों तथा विधायकों में संघर्ष

1973. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची में भारी इंजीनियरिंग निगम के श्रमिकों तथा संसद सदस्यों और विधायकों के बीच हाल में संघर्ष हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा भारी इंजीनियरिंग निगम के प्रबन्धकों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) छोटा नागपुर के आदिवासियों के विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठनों ने रोजगार विस्थापितों के पुनर्वास

और अन्य सुविधाओं के विषय में अपनी शिकायतों को सामने रखने के उद्देश्य से 2-7-74 को भारी इंजीनियरी निगम के प्रशासनिक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था। एक संसद सदस्य, बिहार विधान सभा के एक सदस्य और अन्य नेताओं ने प्रदर्शन में भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने सहुक को अवरुद्ध किया और श्रमिकों को काम पर जाने से रोका, भारी इंजीनियरी निगम के 5 श्रमिकों तथा 2 अधिकारियों के साथ मारपीट की गई थी। भारी इंजीनियरी निगम के श्रमिकों और संसद सदस्यों तथा विधायकों के बीच कोई संघर्ष नहीं हुआ।

(ख) चूंकि भारी इंजीनियरी निगम के प्रबन्धक इस संघर्ष के लिए उत्तरदायी नहीं थे इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र का उत्पादन

1974. श्री समर गुह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र में हाल में सराहनीय उत्पादन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी, हां। मई, 1974 के मध्य से दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात कारखाने में उत्पादन बढ़ना आरम्भ हो गया है। सभी इकाइयों में उत्पादन निर्धारित लक्ष्यों से काफी अधिक था और अधिक मूल्य की मदों के, जिनसे अधिक आय होती है, उत्पादन को अधिकाधिक करने के लिए निरन्तर प्रयत्न किए जा रहे हैं। काफी समय के बाद, जून, 1974 में कारखाने को लाभ हुआ है। जून को उत्पादन दर में जुलाई में और भी सुधार हुआ है। अप्रैल-जुलाई, 1974 का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(टन)

	इस्पात पिण्ड	विक्रेय इस्पात
अप्रैल, 1974 . . .	1940	1947
मई, 1974 . . .	5383	2376
जून, 1974 . . .	5911	3308
जुलाई 1974 . . .	6802	3506

सेवा-निवृत्त सैनिकों और रिजर्व सैनिकों की पेंशन में वृद्धि

1975. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 में सेवा निवृत्त सैनिकों की पेंशन में श्रेणीवार कितनी वृद्धि की घोषणा की गई;

(ख) उक्त वृद्धि को मंजूरी किस तारीख को की गई ;

(ग) क्या रिजर्व सैनिक भी उक्त वृद्धि के अन्तर्गत आते हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) उक्त वृद्धि के बाद एक सैनिक को न्यूनतम कितनी पेंशन दी जायेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) सशस्त्र सेनाओं के जो कार्मिक पहली जनवरी 1973 से पूर्व सेवानिवृत्त हो गये थे उन्हें वर्ष 1974 के दौरान निम्नांकित दरों पर पेंशन में तदर्थ राहत स्वीकृत की गई है।

पेंशन श्रेणी के अनुसार कार्मिकों के वर्ग	प्रति मास तदर्थ राहत
85 रु० से नीचे . . .	15.00 रु०
85 रु० से 209.00 रु० . .	21.00 रु०
210 रु० से 499.00 रु० .	25.00 रु०
500 रु० से और उससे उपर .	35.00 रु०

यह राहत पहली जनवरी 1973 अर्थात जनवरी, 1973 से प्रारम्भ और फरवरी 1973 में देय पेंशन के बारे में ग्राह्य है।

2. ऐसे कार्मिकों को पेंशन के 5 प्रतिशत की दर पर पहली अगस्त 1973 से राहत भी मंजूर की गई है जो न्यूनतम 5 रु० प्रतिमास और अधिकतम 25 रु० प्रतिमास है और पहली जनवरी 1974 से इसकी दर पेंशन का 10 प्रतिशत कर दी गई है जो न्यूनतम 10 रु० प्रति मास और अधिकतम 50 रु० प्रति मास है।

3. उपर्युक्त पैरा 2 में दी गई राहत सशस्त्र सेनाओं के उन कार्मिकों को भी स्वीकृत की गई है जो पहली जनवरी, 1973 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर जब कभी उनकी पेंशन को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा तो उनका पुनरीक्षण और समायोजन किया जा सकता है।

4. उपर्युक्त पैरा 1, 2 और 3 में बताई गई राहत रिजर्विस्टों को भी ग्राह्य है।

5. पहली जनवरी 1973 से पूर्व जो नियमित सैनिक सेवानिवृत्त हुआ है उसको अब न्यूनतम 65 रु० पेंशन ग्राह्य है। जो कार्मिक 1-1-73 को अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं उनके मामले में उन्हें मिलने वाली पेंशन की ठीक राशि का तृतीय वेतन आयोग की उसके बारे में की गई सिफारिशों को मान लिए जाने पर पता लगेगा।

गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा अलौह धातुओं का खनन

1977. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार गैर-सरकारी कम्पनियों को अलौह धातुओं का खनन करने की अनुमति देने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) आधार धातुओं के विभिन्न राज्यों में अनेक छोटे निक्षेप हैं जिनका अभी समुपयोजन नहीं हुआ है, क्योंकि केन्द्र और राज्यों के सरकारी प्रतिष्ठान इस कार्य को शुरू करना उपयुक्त

और आर्थिक दृष्टि से उपादेय नहीं समझते । अतः यह आवश्यक समझा गया है कि राष्ट्रीय हित की दृष्टि से जहां वांछनीय हो, ऐसे छोटे और बिखरे हुए निक्षेपों के खनन के लिए निजी उद्यमियों का सहयोग प्राप्त करने की संभावना का पता लगाया जाए।

(ग) अभी तक कोई मार्गदर्शक सिद्धान्त नहीं बनाए गए हैं।

औद्योगिक संबंध व्यवस्था और यूनियन को मान्यता देने के संबंध में परिवर्तन का सुझाव

1978. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्तमान औद्योगिक संबंध व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने और साथ ही बिना राजनीतिक प्रभाव के सुदृढ़ प्रतिनिधि यूनियन को मान्यता देने के संबंध में कुछ मार्ग दर्शी सिद्धान्त प्रतिपादित करने के लिए कोई सुझाव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय श्रम आयोग ने इस विषय पर अनेक सिफारिशें की थीं। इन पर संबंधित पक्षों से विचार विमर्श किया गया है। विचार विमर्शों के प्रकाश में सरकार एक व्यापक औद्योगिक संबंध विधेयक तैयार कर रही है जो औद्योगिक विवादों के निपटारे, संघों को मान्यता देने और अन्य संबंधित मामलों हेतु व्यवस्था करेगा।

प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण

1979. **श्री वयालर रवि :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत मध्यवर्ती दूरी के प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण करने में पहले ही सक्षम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इसका परीक्षण कब तक किया जायेगा और हम अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र का निर्माण करन में कब तक सक्षम हो जायेंगे?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं श्रीमन्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आदर्श ग्रामों का विकास

1980. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **रक्षा** मंत्री आदर्श ग्रामों के विकास के बारे में 14 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3101 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विक्टोरिया क्रास विजेताओं और परमवीर चक्र विजेताओं के जन्मस्थानों को आदर्श ग्राम घोषित करने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों से आगे और अंतरिम उत्तर प्राप्त हुए हैं। सभी राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो जाने पर इस मामले पर विचार किया जाएगा।

फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा भारत यात्रा का स्थगित किया जाना

1981. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस के राष्ट्रपति ने, जिन्हें गैर सरकारी तौर पर इस वर्ष भारत आना था, इस देश की अपनी यात्रा स्थगित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार को क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत सरकार को ऐसी किसी यात्री को योजना के बारे में जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Death of Children due to spurious glucose in Bihar

1982. Shri Chandu Lal Chandrakar : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in a daily (Hindi) dated the 13th July, 1974 about 8 children having died as a result of administering adulterated Glucose to them in the hospital situated at Navala in District Gaya ;

(b) if so, the facts in this regard; and

(c) the reasons why the efforts to check adulteration in drugs have failed?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): (a) and (b) The attention of the Government has been drawn to the press report about the death of 6 children in Bihar due to administration of spurious glucose saline. There is, however, no truth in this report. Bihar Drugs Control authorities have already issued a press report contradicting the earlier report. The batches of the specific transfusion solutions were used in other hospitals also without any deleterious effect. Samples of thees batches have, however, been sent for test to Central Drugs Laboratory, Calcutta. Reports are awaited.

(c) Available evidence indicates that no adulterated drugs were involved and question of checking drug adulteration in this case does not arise.

रूरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा डोलोमाइट की खरीद

1983. श्री चन्दुलाल चन्द्राकर : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात संयंत्र ने मध्य प्रदेश के राज्य खनन निगम से आई० एम० एस० डोलोमाइट की खरीद बन्द कर दो है और इसके परिणामस्वरूप निगम को खानें बन्द होने को स्थिति में आ गई है;

(ख) क्या रूरकेला इस्पात संयंत्र ने मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक खान पट्टे पर ली है और डोलोमाइट को प्राप्ति ठेकेदारों के माध्यम से को जा रही है जिससे इस्पात संयंत्रों को अपेक्षाकृति अधिक धन व्यय करना पड रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस नयो व्यवस्था के क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) राउरकेला इस्पात कारखाना 1 जनवरो, 1974 से मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम से स्टील मेल्टिंग शाप में इस्तमाल होनेवाला डोलोमाईट नही खरीद रहा है । निगम को खानों के बन्द होने को आशंका के बारे में जानकारो उपलब्ध नही है ।

(ख) राउरकेला इस्पात कारखाने में मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में बडा द्वार के स्थान पर इस्पात डोलोमाइट खदान के नाम से एक खान खोली है । आजकल इस खान से ठेका प्रथा के अधीन श्रमिकों द्वारा डोलोमाईट निकलवाया जा रहा है । इस खान से निकाले गये डोलोमाईट की लागत राज्य खनन निगम की खानों के डोलोमाइट की लागत से कम बैठती है ।

(ग) इस बात को देखते हुए कि बाह्य स्त्रोतों से स्टील मेल्टिंग शाप ग्रेड के डोलोमाइट की सप्लाई कम है। कारखाने ने उनको पट्टे पर दिए गये क्षेत्र में बडा द्वार के स्थान पर अपनी खानें खोल दी है ।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा छर्रे बनाने के संयंत्र (पेलेटाइजेशन प्लोट) की स्थापना

1984. श्री चन्दुलाल चन्द्राकर : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने महीन लोह-अयस्क पर आधारित छर्रे बनाने के संयंत्र की स्थापना करने के बारे में दस्तूर एण्ड कम्पनी द्वारा प्रतिवेदन तैयार कराया है;

(ख) क्या बेलाडिला में उक्त संयंत्र स्थापित करने के बारे में दस्तू एण्ड कम्पनी द्वारा प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है;

(ग) क्या पांचवी योजना के मसौदें में इस प्रयोजन के लिये एक करोड रुपये की व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि हां, तो कार्य आरम्भ करने के लिये सरकार ने क्या कार्यक्रम तैयार किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां। दस्तूर एण्ड कम्पनी ने बेलाडिला में पेलेट बनाने का एक कारखाना लगाने के लिए एक शक्यता प्रतिवेदन तैयार किया था ।

(ख) और (घ) दस्तूर एण्ड कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के विचाराधीन रही है । राष्ट्रीय खनिज निगम द्वारा स्थल के रूप में विशाखापत्तनम पर विचार किया गया है । अभी सरकार को अन्तिम रूप से सिफारिश नहीं भेजी गई है।

(ग) बेलाडिला ने अयस्क के चूरे का उपयोग करने के लिए पेलेट बनाने के लिए एक कारखाने के लिए पांचवी योजना के मसौदें में 1 करोड रुपये की टोकन व्यवस्था की गई है परन्तु योजना के मसौदें में इस प्रायोजना को सम्मिलित नहीं किया गया है।

कोयला अनुसंधान के संबंध में भारत-अमरीकी संयुक्त सहयोग

1985. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कोयला संसाधनों के संसाधन स्थल पर अध्ययन करने के लिए कु समय पूर्व एक अमरीकी प्रतिनिधि मण्डल भारत आया था;

(ख) क्या भारत सरकार तथा अमरीका सरकार कोयला अनसंधान के बारे में संयुक्त सहयोग की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

एक उद्योग में एक 'यूनियन'

1986. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक उद्योग में एक यूनियन के विचार को सिद्धान्तत: स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को इसेक्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) औद्योगिक संबंधों पर प्रस्तावित व्यापक विधेयक क सन्दर्भ में एक उद्योग के लिए एक संघ के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(क) इस विधेयक को यथाशीघ्र संसद में प्रस्तुत करने के प्रयास किये जा रहे है।

विभिन्न स्थानों पर जमा इस्पात

1987. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे हड़ताल की अवधि में ढोया गया इस्पात खरीददारों की कमी के कारण विभिन्न स्थानों पर जमा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) रेल हड़ताल के दौरान इस्पात सामग्री की ढुलाई पूरी गाडियों और आधी गाडियों से की जाती थी जिससे रेल के डिब्बों की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके। इससे स्टाक यार्ड में अधिक माल जमा हो गया। स्टाकयार्डों में माल रखने और निकालने की सुविधाओं में वृद्धि करने तथा माल उतारने/लादने के लिए अतिरिक्त स्थानों चुनने के लिए पहले ही कदम उठाये गए जा चुके हैं ।

मेघालय इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राईज को स्टेनलेस इस्पात का आबंटन

1988. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय कुटीर उद्योग विभाग की सिफारिश पर, वर्ष 1973 में मेघालय इंडस्ट्रियल एन्टरप्राइज, बड़ापानी, खासी हिल्ज को 4 मीटरी टन 'स्टेनलेस' इस्पात आबंटित किया गया था; और

(ख) क्या यह कम्पनी अस्तित्व में नहीं है जिसने कोई संयंत्र नहीं लगाया है, कि यह कागजी एकाधिकारी कम्पनी है और कि आबंटित 'स्टेनलेस' इस्पात की सारी मात्रा खासी हिल्स कभी भी नहीं भेजी गयी और उसे चोर बाजारी में बेचा गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) 1973 में हिन्दुस्तान स्टील लि० ने मेघालय इन्डस्ट्रीज एन्टरप्राइज, बड़ापानी, को कोई बेदाग इस्पात सप्लाई नहीं की थी। जहाँ तक आयात की गई बेदाग इस्पात की चादरों का सम्बन्ध है, आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फर्मों और कम्पनियों द्वारा 8.33 प्रतिशत बोनस का भुगतान न करना

1989. श्री वयालार रवि : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों तथा कम्पनियों की संख्या तथा नाम क्या है, जो सरकारी विनियमनों का पालन करते हुए वर्ष 1973-74 में अपने कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत बोनस का भुगतान करने में असफल रही है; और

(ख) सरकार ने उक्त मालिकों के विरुद्ध तथा इस बारे में सख्ती से नियम लागू करने के संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 1973 में किसी भी दिन से शुरू होने वाले लेखा वर्ष के बारे में 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस के भुगतान के बारे में अभी तक कोई कानूनी उपबन्ध नहीं बनाया गया है। तथापि, बिल्कुल हाल में केन्द्रीय नियोजक संगठनों को 8.33 प्रतिशत बोनस के भुगतान करने की अनौपचारिक सलाह दी गई है जैसा कि पिछले दो लेखा वर्षों में किया गया था। इस प्रयोजन के लिए बोनस भुगतान अधिनियम में संशोधन करने, यदि आवश्यक हो, का प्रश्न भी विचाराधीन है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व जनसंख्या वर्ष का घोषित किया जाना

1990. श्री वयालार रवि : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1974 को विश्व जनसंख्या वर्ष के रूप में घोषित किया है; और

(ख) यदि हां, तो जनसंख्या समस्या के महत्व तथा अपने देश की विशेष स्थितियों में आर्थिक विकास में इसके महत्व पर प्रकाश डालने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार विश्व जनसंख्या सम्मेलन में भाग लेगी।

जनसंख्या सम्बन्धी समस्या के बारे में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि दिसम्बर, 1974 में नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय जनसंख्या सम्मेलन आयोजित किया जाए। हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की एक गोष्ठी

का आयोजन कर रहा है । अगले चार महीनों में विभिन्न स्थानों पर निम्नलिखित अनेक संगठनों द्वारा भी इसी प्रकार की गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं :—

1. बम्बई स्थित परिवार नियोजन स्वैच्छिक संगठन ।
2. अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान, बम्बई ।
3. अखिल भारतीय पंचायत परिषद, इलाहाबाद ।
4. कलकत्ता स्थित निरोध का वितरण करने वाली निजी क्षेत्र की कम्पनियां ।
5. भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ, नई दिल्ली ।

विभिन्न सम्मेलनों के अलावा 14 अगस्त, 1974 को एक संस्मारक टिकट जारी किया जा रहा है, और अलग अलग मूल्य के तीन संस्मारक सिक्के भी जारी करने का प्रस्ताव है ।

राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे राज्य जिला और खण्ड स्तरों पर इस उत्सव के लिए एक उचित कार्यक्रम तैयार करें ।

त्रिवेन्द्रम स्थित कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय के लिए कार्यालय भवन तथा कर्मचारियों के क्वार्टर

1991. **श्री वयालार रवि** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय के लिए पृथक कार्यालय भवन तथा इसके कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण के संबंध में और क्या प्रगति हुई है;

(ख) अब तक किए गए कार्यों की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) क्या निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्माण कार्यों में प्रगति नहीं हो रही है और यदि हां, तो उसके कारण क्या है और निर्माण कार्यों को शीघ्र कराने के लिए क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) से (ग) खुली निविदाएं आमंत्रित करने के बाद कार्यालय की इमारत और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का कार्य मई, 1974 में चुने हुए ठेकेदारों को दिया गया था । प्लाट के भूप्रदेश को ध्यान में रखते हुए अब तक स्थल पर इमारतों के विभिन्न ब्लाक बनाए गये है । स्थल पर पर्याप्त मात्रा में इमारती सामान एकत्र किया गया है । नीवों के लिए जमीन की खुदाई भी शुरू हो गई है । समय सूची के अनुसार काम प्रगति कर रहा है ।

सिंगरौली में ओपन-कास्ट खानें

1992. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों के बारे में रूस के प्रयोगात्मक निष्कर्षों से पता चला है कि सिंगरौली की तीनों 'ओपन कास्ट' खानों से प्रतिवर्ष 3 करोड टन कोयला उत्पन्न हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त खानों से पूरी तरह कोयला निकालने के लिए सरकार द्वारा कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की आशा है;

(ग) क्या देश में अन्य स्थानों पर भी ऐसी खानें खोलने का प्रस्ताव है यदि हां, तो तत्संम्बन्धी मुख्य बातें क्या है;

(घ) इस से देश की ईंधन संबंधी मांग को किस सीमा तक पूरा किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) कोयला खान-प्राधिकरण लि० के केन्द्रीय खान आयोजन तथा डिजाईन संस्थान में भारतीय विशेषज्ञों के साथ काम कर रहे सोवियत विशेषज्ञ सिंगरौली कोयला क्षेत्र के विकास की एक बृहद योजना तैयार कर रहे है और उन्होंने इस क्षेत्र में ओपन कास्ट खनन के माध्यम से छः खण्डों में खनन कार्य आरम्भ करने का सुझाव दिया है जिनमें से प्रत्येक का उत्पादन लक्ष्य 60 से 100 लाख टन तक का है । बृहद योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ख) एक साध्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है । इस बारे में अन्तिम निर्णय रिपोर्ट मिलने के बाद किया जायेगा ।

(ग) देश में अन्य स्थानों पर कई ओपन कास्ट यंत्रीकृत खाने खोली जा रही है परन्तु उनमें से किसी का आकार सिंगरौली में प्रस्तावित खानों के बराबर नहीं है । सिंगरौली में भूगर्भीय दशाएं बड़े पैमाने के ओपन कास्ट खनन कार्य के लिए विशेष रूप से अनुकूल हैं ।

(घ) सिंगरौली क्षेत्र से देश की ईंधन सम्बन्धी मांग विशेषतया पांचवीं योजना के बाद बिजली घरों की मांग की अधिकांश मात्रा में पूर्ति होने की आशा है।

स्वास्थ्य सेवा के मामले में फिजी द्वीप की सहायता

1994. श्री नवलकिशोर शर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य तथा इससे सम्बद्ध सेवाओं के मामलों में सहायता प्रदान करने के लिये फिजी द्वीप सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा सभी मामलों में किस प्रकार की सहायता प्रदान की जायेगी; और

(ग) इन दोनों देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के बीच हुए विचार विमर्श का सार क्या है और वहां पर अनुमानतः कौन कौन सी औषधियां भेजी जायेंगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) फिजी सरकार से इस द्वीप के स्वास्थ्य तथा सम्बन्ध चिकित्सीय सेवाओं के मामले में सहायता देने के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है । वैसे फिजी सरकार समय समय पर कुछ डाक्टरों की सेवाएं मांगते आ रही है । ये उन्हें उपलब्ध की जा रही है ।

(ग) फिजी के स्वास्थ्य मंत्री हाल में निजी तौर पर भारत आये थे । दोनों स्वास्थ्य मंत्रियों की बातचीत बडी मैत्रीपूर्ण रही, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फिजी सरकार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्रकार की भी सहायता की आवश्यकता होगी वह भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कर दी जायेगी ।

जनवरी 1974 से फिजी से एक सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल नई दिल्ली आया था और उसने उस द्वीप में नियुक्ति के लिए 22 डाक्टरों का चयन किया और प्रतीक्षा सूची के लिए पांच अन्य डाक्टरों का भी चयन किया। 17 डाक्टरों को फिजी सरकार से नियुक्ति की पेशकशो मिली है जिनमें से 11 डाक्टरों ने अबतक इस पेशकश कर को स्वीकार लिया है। वे इस समय फिजी जाने के लिए अपेक्षित और औपचारिकताओं को पूरा कर रह हे। दो डाक्टरों ने पहले ही फिजी में अपना कार्यभार संभाल लिया है ।

अभ्रक खान मजदूरों को क्षय रोग

1995. श्री धामनकर : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुडूर (आंध्र प्रदेश) की अभ्रक खानों के 40 प्रतिशत मजदूरों को क्षय रोग है;

(ख) यदि हां, तो अभ्रक खानों में खनिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है;

(ग) क्या देश के अन्य भागों में भी खान श्रमिकों में क्षय रोग की घटनाओं का कोई अनुमान लगाया है/लगाये जाने का विचार है; और

(घ) अभ्रक खानों में खनिकों के लिए उत्तम चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां। आंध्र प्रदेश की अभ्रक खानों के 40 प्रतिशत कामगारों में क्षय रोग तथा इससे मिलती जुलती फेफडे की बीमारियां होने की सूचना मिली है ।

(ख), (ग) और (घ) अभ्रक श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1946 के अधीन गठित अभ्रक खान श्रमिक कल्याण संघठन क्षय रोग से पीडित कामगारों और उनके आश्रितों के इलाज के लिए अधिक से अधिक सुविधायें जुटाने का प्रयास कर रहा है ।

कर्मा (बिहार) में टी० बी० अस्पताल तथा निदानगृह (क्लिनिक) खोले गए है और आंध्र प्रदेश में कालीचेदु के केन्द्रीय अस्पताल में एक टी० बी० वार्ड खोला गया है । राजस्थान में गंगापुर के केन्द्रीय अस्पताल में भी ऐसे रोगियों के लिए 10 पलंगों का एक टी० बी० वार्ड खोलने का कार्यक्रम है । अभ्रक कामगारों और उनके आश्रितों के लिए सेनेटोरिया जैसे इलाज की सुविधा की दृष्टि से विभिन्न टी० बी० सेनेटोरियों मे पलंगों के आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है । रोगियों के लिए उनके निवास स्थानों के पास ही इलाज-सुविधाओं की व्यवस्था करने और श्रम कल्याण निधि के टी० बी० क्लिनिकों/अस्पतालों में भरती न हो पाने वाले अथवा विभिन्न सेनेटोरियों में आरक्षित पलंगे न पा सकने वाले रोगियों को इलाज के लिए एक आवासीय उपचार योजना भी चालू है ।

जहां तक देश के अन्य भागों के खान कामगारों में क्षय रोग का पता लगाने का सवाल है, इस संबंध में राजस्थान में एक सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की नई शृन्खला का संकलन

1996. श्री वसंत साठे : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोग ढांचे पर आधारित उपभोक्ता मल्य सूचकांकों की नई श्रृन्खला संकलित करने हेतु कार्यवाही आरंभ की है; और

(ख) यदि हां, तो की गई कार्यवाही की मुख्य बातें क्या है और मूल्य सूचकांकों की नई शृंखला की सुधारात्मक मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) जी, हां। उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों 1971—100 आधार पर नई सीरीज संकलित करने के लिए कार्यवाही आरंभ की गई है ।

(ख) परिवार आय और व्यय सर्वेक्षणों से संबंधित क्षेत्रीय कार्य पूर्ण कर दिया गया है और आंकड़े तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है । नई सीरीज और वर्तमान सीरीज में यह भिन्नता है कि नई सीरीज का क्षत्र अन्तर्गत लाए गये केन्द्रों की संख्या (50 केन्द्रों की जगह 60 केन्द्र) तथा सूचकांक बास्केट में मदों की संख्या दोनों ही बातों में व्यापक है ।

Assistance to Bangladesh

1997. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the total assistance India has provided to Bangladesh from March to May, 1974 in the form of foodgrains, cloth and military hardware; and

(b) Whether Bangladesh would be repaying this amount to India in some form or the other and if so, the facts thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) During the period March to May, 1974 no assistance was provided by India in the form of foodgrains. In regard to cloth, full information as to the exact quantities of textiles exported to Bangladesh from March to May, 1974 are not available since retruns in respect of exports take considerable time to be compiled. Bangaldesh had secured a temporary bank accommodation of Rs. 15 crores in May, 1973 for the purchase of textiles. In May, 1974 and other credit of Rs. 5 crores for the purchase of textiles was extended.

Regarding military hardware, it is not in the public interest to disclose the information.

(b) Both the above credits relating to the supply of textiles carry commercial rates of interest and are repayable by Bangladesh in one year.

पश्चिमी क्षेत्र में सीमा पार करके भारत आये पाकिस्तानी राष्ट्रिक

1998. श्री शंकर राव सावन्त : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले भारत पाक युद्ध के दौरान और उस के पश्चात पश्चिमी क्षेत्र में सीमा पार कर के भारत आये पाकिस्तानी राष्ट्र कों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उन में से कितने लोग अब तक पाकिस्तान वापस चले गये है और कितने लोगों को पाकिस्तान जाने की मंजूरी नहीं दी गई; और

(ग) भारत में लोगों का पुनर्वास करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारत पाक संघर्ष के फलस्वरूप 74,753 पाकिस्तानी राष्ट्रिक पश्चिमी क्षेत्र में सीमा पार कर के राजस्थान और गुजरात में आए हैं ।

(ख) उनमें से 14,637 व्यक्ति पाकिस्तान वापस चले गए है (30–4–74 तक)। शेष में से कुछ व्यक्तियों ने पाकिस्तान वापस जाने की इच्छा व्यक्त की है लेकिन यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाए तो अन्य व्यक्ति अभी वापस जाने के लिए तैयार नहीं है।

(ग) सरकार वास्तव में इसे एक मानवीय समस्या समझती है और तदनुसार इन–व्यक्तियों को शिबिरों में अस्थायी राहत सहायता प्रदान कर रही है।

सरकार पाकिस्तान सरकार पर निरन्तर दबाव डाल रही है कि वह इन व्यक्तियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करे जो पाकिस्तानी राष्ट्रिक है और इसलिए अपने देश जाने के हकदार हैं।

अल्यूनियम संयंत्र, रत्नागिरि का चालू होना

1999. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्ता रत्नागिरि में अल्युमिनीयम संयंत्र चालू करने के लिए कोई समय निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) संयंत्र में अल्युमिनीयम और अल्युमिनियम का उत्पादन कब तक होने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में यदि कोई कठिनाइयां हों तो वे क्या है और उन की किस प्रकार दूर करने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (घ) सरकार ने 78.825 करोड रुपये की अनुमानित लागत वाली रत्नागिरी परियोजना को अप्रैल, 1974 में स्वीकृति प्रदान की। व्यापक परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना को सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति की तारीख से 60 महीने के अन्दर पूरा किये जाने का कार्यक्रम है। इस परियोजना के लिए पांचवी योजना में 50 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना के छटी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में, विभिन्न चरणों में, पूरा होने की संभावना है।

रक्षा सेवाओं के कमीशन प्राप्त अधिकारियों का वेतन निर्धारित किया जाना

2000. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेना के तीनो अंगों में कमीशन प्राप्त अधिकारियों के वेतनमान पुनः निर्धारित कर दिये गये है;

(ख) उक्त अधिकारियों को क्या भत्ते मिलेंगे और किन नियमों के अन्तर्गत मिलेंगे;

(ग) क्या तीनों अंगों में तकनीकी अधिकारियो को यही भत्ते दिये जाते है; और

(घ) यदि नहीं, तो भत्तों के अन्तर में क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी नहीं श्रीमन, कमीशन प्राप्त अफसरों के वेतनमानों पर तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रकाश में विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही निर्णय ले लिए जाने की आशा है ;

(ख) कमीशन प्राप्त अफसरो को सरकारी विनियमों और आदेशो के अधीन ग्राह्य भत्तों का ब्यौरा 'सेवा शर्तें 1973' नामक पुस्तक में दिया गया है जिसे 1972–73 के लिए रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के साथ परिचालित किया गया था ।

(ग) और (घ) भत्ते तकनीकी तथा अन्य अफसरों को ग्राह्य है बशर्ते वे संबंधित नियमों के अधीन निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

कैन्सर और ल्यूकेमिया के इलाज के लिए विशेष इन्जेक्शनों और दवाओं की कमी

2001. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सरकार द्वारा कैन्सर और ल्यूकेमिया जैसे रोगों इलाज के लिये विशेष इन्जेक्शनों और दवाओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण इनकी की अत्यन्त कमी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने मांग की पूर्ति के लिये क्या प्रयास किये है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) एसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है । सरकार ने कैंसर की दवाइयों के आयात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है । कैंसर की दवाइयों के समेत जीवन रक्षक दवाइयों के संबंध में आयात नीति को उदार कर दिया गया है ताकि सभी व्यक्ति और अस्पताल अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार इनका आयात कर सकें । इस प्रकार आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अधीन बिना आयात लाइसेंस के किसी भी व्यक्ति और अस्पताल को क्रमशः 200 और 1000 रुपये तक की दवाइयां आयात कर सकने की अनुमति है। जिन जीवन रक्षक दवाइयों की सप्लाई कम है उनके आयात के लिए औषधि नियंत्रक (भारत) भी तदर्थ लाइसेंस देते है।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की ऊष्मसह ईटों की मांग

2002. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की उष्मसह इटों की कुल वार्षिक आवश्यकता क्या है, और

(ख) स्वदेशी सूत्रों तथा आयातो के द्वारा प्राप्त की गई [ऊष्मसह ईटों का अलग अलग ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) 1974–75 के लिए सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानो की ताप-सह ईटों की कुल वार्षिक आवश्यकता लगभग 3 लाख टन होगी । अनुमान है कि लगभग 90 % आवश्यकता की पूर्ति देशीय स्त्रोतों से हो सकेगी और शेष 10% आवश्यकता की पूर्ति आयात द्वारा की जायेगी ।

उष्मसह ईटों का आयात

2003. **श्री नरेन्द्र कुमार सालवे** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72 से आज तक प्रति वर्ष कुल कितनी उष्मसह ईट का आयात किया गया था; और

(ख) किन किन देशो से कितनी कितनी ईटों का आयात किया गया तथा प्रत्येक मामले में कितना विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) वर्ष 1971–72 से दिसम्बर, 1973 तक ऊश्मसह ईटों के वार्षिक आयात के बारे में एक विवरण संलग्न है [**ग्रंथालय में रखा गया । दखिए संख्या एल० टी० 8146/74**]

दिल्ली के अस्पतालों में डाक्टरों की हड़ताल के दौरान वरिष्ठ डाक्टरों के साथ मारपीट किया जाना

2004. श्री वीरेंद्र सिंह राव : क्या **स्वास्थ्य** और **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल में डाक्टरों की हड़ताल के दौरान दिल्ली के प्रत्येक अस्पताल में कितने मामलों मे वरिष्ठ डाक्टरों के साथ मारपीट की गई; और

(ख) प्रत्येक ज्यूनियर डाक्टर के मामले मे क्या कार्यवाही की गई और कितने मामलों में दण्ड दिया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) कोई नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय वायु सेना की नं० 25, विंग यूनिट को बाढ़ से हुई हानि

2005. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 से भारतीय वायु सेना की नं० 25 विंग यूनिट को बाढ के कारण हर साल कितनी क्षति हुई;

(ख) क्या किसी भी वर्ष भारी क्षति रोकने के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) इस प्रकार की क्षति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) बाढ़ के कारण नम्बर 25 विंग को निम्न लिखित क्षति हुई :—

वर्ष	निर्माण सेवाएं	वायुसेना उपस्कर
1971 . .	शून्य	शून्य
1972 .	लगभग एक लाख रुपये	52210.65 रुपये
1973 . .	शून्य	शून्य
1974 जुलाई तक	शून्य	शून्य

(ख) जी हां, श्रीमन् ।

(ग) भविष्य में इस प्रकार की क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र के जल निकास में सुधार करने के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है ।

दण्डकारण्य परियोजना में कार्यप्रभारित कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त किया जाना

2006. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पूर्ति** और **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के 149 कार्यप्रभारित कर्मचारियों की सवाओं को 30 जून, 1974 से समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सेवा समाप्ति का कारण 1963 से दरों की अनुसूची तथा निर्माण कार्य के लिए रखरखाव अनुदान की प्रतिशतता को पुनरीक्षित न किये जाने से उत्पन्न धनराशि की कथित कमी है;

(ग) वर्ष 1963 की दरों की बजाय वर्तमान बाजार दरों के आधार पर निर्माण कार्यों का मूल्यांकन न किये जाने के क्या कारण है;

(घ) क्या प्रभावग्रस्त 149 कार्यप्रभारित कर्मचारियों के स्थान पर दैनिक मजूरी पर श्रमिकों को रखा जाएगा; और

(ङ) क्या कार्यप्रभारित कर्मचारियों को 'गैर-औद्योगिक' कर्मचारियों अर्थात नियमित कर्मचारी की श्रेणी में रखा गया था किन्तु उन्हें इस श्रेणी के अन्तर्गत मिलने वाल लाभों से वंचित रखा गया था ?

पुर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में असंगठित मजदूरों का सर्वेक्षण

2007. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के शहरों में काम करने वाले असंगठित मजदूरों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में शहरों में काम कर रहे असंगठित दैनिक मजदूरों जिनका इन शहरों में कोई स्थायी निवास स्थान नहीं है, को सस्ते और उचित मूल्यों पर अनाज सप्लाई करने के लिए कोई प्रबंध किया गया है; और

(ग) यदि नहीं तो उन्हें अर्द्ध भुखमरी का जीवन बिताने से बचाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा असंगठित दैनिक मजदूरों को उचित दर की दुकानों से सस्ते अनाज का संभरण के लिए कोई विशिष्ट प्रबंध नहीं किए गए है। उस सरकार द्वारा चावल, गेहूं के आटे और चीनी जसी कुछ आवश्यक चीजे बरेली, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी और सहारनपूर में सार्वजनिक वितरण पद्धति के भाग के रूप में असंगठित मजदूरों सहित आम जनता को उचित दर की दुकानों के माध्यम से नियंत्रित दरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

भविष्य निधि के बकाया की वसूली

2008. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **श्रम** मंत्री भविष्य निधि के बकाया, की वसूली के बारे में 1 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1290 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों की और अब तक की कितनी-कितनी राशि बकाया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : सूचना तुरंत उपलब्ध नहीं है। यह भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

कोरबा अल्युमिनियम संयंत्र

2009. **श्री पी० के० देव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सहमत दर पर बिजली की सप्लाई करने से अनिच्छा प्रकट करने के कारण भारत एल्यूमिनियम कम्पनी का कोरबा स्थित प्रस्तावित अल्यूमिनियम संयंत्र संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त संयंत्र को उडीसा के इन्द्रावती पन बिजली परियोजना जैसे स्थान के निकट स्थानान्तरित करने का विचार है, जहां सस्ती पन बिजली उपलब्ध है और जहां अभी हाल में बाक्साइट के विशालतम भंडारों का पता लगा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

भारत की समुद्री सीमा का विस्तार

2010. **श्री पी० के० देव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अपनी समुद्री सीमा का विस्तार देश की महाद्वीपीय मग्नता भूमि तक करने के लिये कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो इस बारें में क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या "बम्बई हाई" जहां तेल के भारी निक्षेपो का पता लगा है भारत की समुद्री सीमा के अन्तर्गत आता है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) "बम्बई हाई" जहां पर तेल के भण्डार का पता लगा है, भारत के प्रादेशिक समुद्र में नहीं आता परन्तु यह भारत के महाद्वीपीय शेल्फ के अंतर्गत आता है।

उड़ीसा में अल्यूमिनियम संयंत्र

2011. **श्री पी० के० देव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उडीसा में एक अल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है। जहां देश में सब से बडे बाक्साइट निक्षेप विद्यमान है;

(ख) क्या अल्यूमिनियम की अत्यधिक कमी को देखते हुए जिसके फलस्वरूप बिजली प्रेषण के लिए तारों को उत्पादन में बाधा पडी है, सरकार का विचार पांचवीं योजना में उडीसा में इस उद्योग को स्थापित करने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता देने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संयंत्र के लिए कितनी बिजली की आवश्यकता है; और

(घ) अपर इन्द्रावती परियोजना द्वारा 600 मेगावाट बिजली की जलविद्युत उत्पादन क्षमता को देखते हुए क्या सरकार का विचार उस संयंत्र को इन्द्रावती बिजली घर के निकट स्थापित करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) राज्य के बाक्साइट धारी क्षेत्रों में भंडारों की पुष्टि सहित भूवैज्ञानिक खोज कार्य अभी भी जारी है और व्यावसायिक आधार पर उनके समुपयोजन की संभावना के बारे में पूरी स्थिति साफ हो जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

डी० जी० ओ० एफ०, डी० जी० आई०, और आर० एण्ड डी० संस्थानों के तकनीकी श्रेणियों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

2012. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) डी० जी० ओ० एफ०, डी० जी० आई०, और आर० एण्ड डी० संस्थानों में नियुक्त फोरमन, असिसटेंट फोरमेन, चार्जमेन और सुपरवाइजर टेकनिकल ग्रेड II जैसे तकनीकी तथा वैज्ञानिक कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के सम्बन्ध में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण है; और

(ख) इस बारे में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० वी० पटनायक) : (क) डी० जी० ओ० एफ०, डी० जी० आई० और आर० एण्ड डी० संगठनों में नियक्त फोरमन, असिसटेंट फोरमैन, चार्जमेन जैसे तकनीकी और वैज्ञानिक कार्मिकों के कतिपय वर्गों के बारे में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन रक्षा वर्कशापो में तकनीकी सुपरवाइजरों से निःशुल्क आवास की सुविधाएं वापिस लेने के लिए आयोग के सुझाव पर निर्णय होने तक रुका है । इन संगठनों में कार्य कर रहे सुपरवाइजर तकनीकी ग्रेड II के लिए वेतन आयोग द्वारा जिन संशोधित वेतनमानों की सिफारिशों की गई हैं उनका अन्यत्र कार्य कर रहे ऐसे ही कार्मिकों के लिए सिफारिश किये गये संशोधित वेतनमानों के संदर्भ में अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) इन बातों पर शीघ्र ही निर्णय ले लिए जाने की आशा है ।

उत्तर प्रदेश में संविद श्रमिकों का असुरक्षित होना

2013. श्री एम० एम० जोजफ : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविद श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के केन्द्र द्वारा अधिनियमन के वर्षो पश्चात भी उत्तर प्रदेश में संविद श्रमिक असुरक्षित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इसके विभिन्न उपबन्ध अभी लागू किये जाने हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इसे लागू करने हेतु इस अधिनियम के अन्तर्गत कानून बनाने में असफल रही है क्योंकि सरकार स्वयं ही संविद श्रमिको की सबसे बडी नियोजक है;

(ग) क्या सरकारी सार्वजनिक निर्माणकार्यों, जल विद्युत बन, सिंचाई विभागों तथा विभिन्न परियोजनाओं में काम कर रहे लाखों कर्मचारी अभी भी इस अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न हितकारी तथा लाभकारी सुविधाओं से वंचित है और वे अभी भी दयनीय स्थितियों में काम कर रहे है; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिए क्या कार्यवाई करना चाहती है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश की सरकार ने 13 जनवरी, 1973 को मसौदा उत्तर प्रदश ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) नियम, 1972 राजपत्र में अधिसूचित किए परन्तु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स गेम्मन इंडिया लि० की भारत संघ और 15 अन्य राज्य सरकारो के खिलाफ दायर की गई रिट याचिका में रोकने के आदेश जारी करने के कारण उनको अन्तिम रूप देने में विलम्ब हो गया है ।

(ग) और (घ) सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करते हुए अब तक निर्णय दे दिया है । उत्तर प्रदेश की सरकार अब नियमों को अन्तिम रूप देने के लिए कार्यवाही कर रही है। अधिनियम और नियमों को लागू करने के लिए सरकार सुगठित है ।

दिल्ली नगर निगम द्वारा कूड़ा हटाया जाना

2014. श्री वरके जार्ज : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 जुलाई, 1974 के एक अंग्रेजी समाचारपत्र के अनुसार यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के लगभग 75 प्रतिशत कूडा हटाने वाले ट्रक नगर परिषद के अनुसार डीजल की अनुपलब्धता के कारण नहीं चल रहे हैं ;

(ख) क्या परकोटेदार शहर में कूड़ादानों से दुर्गन्ध आती है जिससे हैजे की महामारी फैलने का खतरा बढ़ रहा है ;

(ग) क्या चावड़ी बाजार में छत्ता शाहजी में कूड़ा-दानों से आधी सड़क रुक गई है और नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद उस स्थान को साफ करने के लिये कुछ नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार का तुरन्त कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) यह सही नहीं है कि दिल्ली नगर निगम के 75 प्रतिशत कुड़ा हटाने वाले ट्रक डीजल की अनुपलब्धता के कारण नहीं चल रहे है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

रेल हड़ताल के समय में मजूरी भुगतान अधिनियम के दायित्वों से रेलवे को छूट

2015. श्री मधु दंडवते : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के केन्द्रीय मजदूर संगठनों ने मई, 1974 की रेल हड़ताल के समय में मजूरी भुगतान अधिनियम के दायित्वों से रेलवे को छूट देने की श्रम मंत्रालय की कार्यवाही की भर्त्सना की थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में ऐसे कदम न उठाने का आश्वासन देगी?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) सरकार इस बात से अवगत है कि मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 5 के परिचालन से रेलवे को छूट देने का उनका आदेश दिनांक 4 मई, 1974 कुछ आलोचना का विषय बना हुआ है।

(ख) छूट की शक्तियों का प्रयोग प्रत्येक मामले के गुण-दोष द्वारा नियंत्रित होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किराये पर लिए कार्यालय स्थान के किराये का भुगतान

2016. श्री आर० पी० यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निजी मकान मालिकों क कार्यालय स्थान के किराये के रूप में बहुत अधिक भुगतान कर रहा है और यदि हां, तो गत तीन वर्षो में प्रत्यक ऐस क्षेत्र में जहां विभागीय इमारती का निर्माण नहीं हुआ है, कितने किराय का भुगतान किया गया; और

(ख) किन-किन स्थानों पर विभागीय इमारतों का निर्माण किया गया है और कितने लागत पर किया गया है तथा कितनी अवधि में किया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न-प्रकार सूचित किया है :—

(क) मार्च, 1974 को समाप्त हुए गत तीन वर्षो के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के सम्बन्ध में, जहां विभागीय भवन निर्मित नहीं किए गए हैं, किराए के रूप में दी गई राशि संलग्न विवरण–I में दिए ब्यौरों के अनुसार 39.36 लाख रु० आती है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० .8147/74]**

(ख) कानपुर, बंगलोर, मद्रास, बम्बई और चंडीगढ़ में क्षेत्रिय कार्यालय के भवन निर्मित किए गए हैं। लागत और भवनों के पूर्ण होने का वर्ष संलग्न विवरण–II में दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8147/74]**

खानों का कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाया जाना

2017. श्री आर० पी० यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत बड़ी संख्या में खानों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत नहीं लाया गया है ;

(ख) क्या इस बारे में खनिज सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद से कोई सूची प्राप्त की गई है और यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) उक्त अधिनियम के अन्तगत निकट भविष्य म किस प्रकार के उद्योगों तथा खान को लाया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी हां।

7—25 LSS(ND)/74

(ख) और (ग) खान सुरक्षा महानिदेशक से ऐसी कोई सूची प्राप्त नहीं की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम/कर्मचारी भविष्य निधि योजना के उपबन्धों को खान पर विस्तारित करते समस्या खान विभाग से परामर्श किया जाता है। ऐसे उद्योगों/खानों सहित ऐसे प्रतिष्ठानों के वर्गों की एक सूची संलग्न है जिनका सर्वेक्षण किया गया है, या जिनका सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम/कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत लाया जा सके।

विवरण

क्रमांक उद्योग/प्रतिष्ठानों के वर्गों का नाम

1. मछली "प्रोसेसिंग" और मांसयुक्त आहार परिरक्षण उद्योग।
2. पोशाकें बनाने वाले करखाने ।
3. बैंक को छोड़ कर अन्य वित्तीय प्रतिष्ठान।
4. ऐसी सोसाइटियां, यूनियनें और ऐसोसियशनें जो चन्दे के अतिरिक्त कुछ और न लेकर अपने सदस्यों को विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करती हैं।
5. बीड़ी उद्योग।
6. रुई के कचरे की छंटाई, सफाई और उसे धुनकना।
7. कृषि फार्म / फलों के बाग / बनस्पति बाग / पशु–उद्यान।
8. शैक्षणिक संस्थाओं का शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारी।
9. धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाएं।
10. भवन और निर्माण उद्योग में लगे इंजिनियर और इंजीनियरी ठेकेदार।
11. पत्थर की चिपियां, पत्थर सेट और पत्थर की गिट्टियां और शिलाखण्ड पैदा करने वाली पत्थर खदाने।
12. एपाटा इट खानें।
13. ऐसबेस्टस खानें ।
14. केल्साइट खाने।
15. बाल क्लें और फायर क्ले खानें।
16. कुरुविन्द खानें।
17. मरकत खानें।
18. स्फटीय खानें।
19. सिलिका (रेत) खान।
20. क्वार्टज़ खानें।
21. ओकरे खानें।
22. क्रोमाइट खाने।
23. काले सीसे की खानें।
24. फ्लोराइट खानें।
25. ऐस्बेस्टस उद्योग और ऐस्बेस्टस खानें।
26. संगमरमर खानें और संगमरमर काटने के कारखानें ।
27. मुर्गी पालन फार्म।

28. फेरों क्रोम उद्योग ।

29. "श्लेष और जिलेटिन" तैयार करने वाले कारखाने/प्रतिष्ठान ।

30. पत्थर पीसने में लगे प्रतिष्ठान (बज़री एकक) ।

Quantum of alumina produced by Korba

2018. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state the quantity of alumina produced by B.A.L. Co. in Korba in 1972-73 and 1973-74?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : 1972-73—Nil.

1973-74—11,548 tonnes.

भारतीय तथा विदेशी वाणिज्यक फर्मों द्वारा किए जाने वाले मानव रक्त के निर्यात पर रोक

2019. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय तथा विदेशी वाणिज्यिक फर्मों की सूची, अलग-अलग क्या है जो देश से रक्त का निर्यात कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार अब भी गैर-सरकारी वाणिज्यिक फर्मों को बड़े पैमाने पर ए० बी० ओ० तथा अन्य नैदानिक प्रतिकारक और मानव सीरम तथा प्लास्मा का निर्यात करन दे रही है और यदि हां, तो किन आधारों पर;

(ग) क्या समूचे देश में सरकारी चिकित्सा संस्थानों ने केन्द्रीय सरकार को कहा है कि देश से रक्त के निर्यात पर पूर्ण रोक लगा कर मानवसंसाधनों के शोषण पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायें; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्याँ है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) ऐसी कोई भारतीय या विदेशी व्यापारिक फर्म नहीं है जो मानव रक्त का देश से बाहर निर्यात कर रही हो ।

(ख) एन्टी-ए०, एन्टी-बी० ओर एन्टी-ए० बी० जैसा मानव रक्त-व्युत्पन्नों का निर्यात करने की अनुमति है । फिर भी, मानव रक्त या प्लाज्मा अपरा रक्त और एन्टी डी० सीरम के निर्यात पर निर्यात नियंत्रण आदेशों के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगा हुआ हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सभी प्रकार के मानव रक्त व्युत्पन्नों के निर्यात पर पूर्णत: प्रतिबन्ध लगाया जाए या नहीं इस प्रश्न पर सरकार पहले ही विचार कर रही है ।

देश में गैर-सरकारी रक्त बैंकों की गतिविधियां

2020. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैर-सरकारी वाणिज्यिक रक्त बैंकों की गतिविधियां किस प्रकार की हैं ;

(ख) इस समय कितने गैर-सरकारी रक्त बैंक है; और

(ग) गैर-सरकारी रक्त बैंकों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है या की जा रही है तो वह क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) गैर-सरकारी वाणिज्यिक-रक्त बैंक देश में आम तौर पर व्यावसायिक रक्त दाताओं से मानव-रक्त खरीदते हैं और उसे जिन रोगियों को रक्ताधान के लिए रक्त की जरूरत होती है बेच देते हैं।

(ख) इस समय चल रहे गैर-सरकारी रक्त बैंकों की निश्चित संख्या तुरन्त उपलब्ध नहीं है। फिर भी, जिन गैर-सरकारी रक्त बैकों के बारे में इस समय सूचना उपलब्ध है उनकी एक सूची संलग्न है।

(ग) सरकारी और गैर सरकारी रक्त बैंक दोनों पर औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली लागू होती है। विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के औषधि नियंत्रण कर्मचारी गुण-किस्म को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी हैं।

विवरण

1. बिहार

1. सेवन्थडे एडवेंचर अस्पताल, ननियात, रांची।
2. जमसेदपुर रक्त बैंक, पहली मंजिल, जमसेदपुर नेत्र अस्पताल, साकची, जमसेदपुर।
3. साहा प्रयोगशाला तथा रक्त बैंक, विज्ञान कालिज के सामने, पटना-6.
4. रक्ताधान सेवा, पाटलीपुत्र रोड, राजेन्द्र नगर, पटना।
5. मुरादपुर, पटना में स्थित श्री विश्वनाथ खेमका के घर पर डा० सिंह क्लिनिक तथा रक्ताधान सेवा।
6. डा० सेन प्रयोगशाला, बुद्ध मार्ग, पटना।

2. पंजाब

1. डा० के० एल० आनन्द, शिव नगर मार्केट, लारेंस रोड, अमृतसर।
2. मेसर्ज राम सरन दास किशोरी लाल धमार्थ अस्पताल, अमृतसर।

3. दिल्ली

1. रक्त बैंक संगठन, पूसा रोड, नई दिल्ली।
2. रक्ताधान केन्द्र, हनुमान रोड, नई दिल्ली।
3. होली फेमिली अस्पताल, नई दिल्ली।

4. महाराष्ट्र

1. मातृ सेवा संघ, नागपुर।

5. मध्य प्रदेश

1. दीवान स्मारक रक्त बैंक, कस्तूरबा मार्केट, ग्वालियर।
2. डा० वर्मा रक्त बैंक, अस्पताल रोड, ग्वालियर।
3. इन्दोर में सात जिनके नाम अभी प्राप्त नहीं हुये।

6. हरियाणा

1. रोहतक में एक

7. उड़ीसा
8. मनीपुर
9. हिमाचल प्रदेश
10. नागालैंड
11. जम्मु और कश्मीर
12. चंडीगढ़
13. अरुणाचल प्रदेश
14. अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह

शून्य

तेहरान में हुए 'वालंटरी ब्लड डोनेशन' सम्बन्धी रेडक्रास के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशें

2021. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या स्वास्थ् और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1973 में तेहरान में हुए 'वालंटरी ब्लड डोनेशन' पर रेडक्रास के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने क्या सिफारिशें की थीं; और

(ख) उन सिफारिशों को कार्यरुप देने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) नवम्बर, 1973 में (अक्तूबर, 1973 में नहीं) तेहरान में हुए "वालण्टरी ब्लड डोनेशन" पर रेडक्रास के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों की एक प्रतिलिपि संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०–8148/74**]

(ख) विभिन्न संकल्पों का मुख्य विषय यह है कि रक्ताधान सेवाओं के लिए अपेक्षित रक्त स्वैच्छिक रक्त दाताओं से ही लिया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, हाल के वर्षो में रक्त अनुसंधान, टेकनालाजी और कार्यक्रम तैयार करने के क्षेत्र में हुई चिकित्सीय तथा वैज्ञानिक प्रगति का लाभ प्रत्येक राष्ट्र को उठाना चाहिए । ये बातें पहले से ही सरकार के ध्यान में हैं और निम्नलिखित योजनाओं पर विचार किया जा रहा है :–

(1) फिल्म जैसे प्रचार माध्यम से और रेडियो, पोस्टर और संगोष्ठियों आदि के माध्यम से प्रचार करना, हाल में फरवरी, 1974 में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म डिविजन ने "द बैंक दैट सेव्स लाइफ" शीर्षक से एक फिल्म तैयार की है ।

(2) स्वैच्छिक रक्त दाताओं को रक्त दान देने के लिए आकर्षित करने के मामले मे विभिन्न प्रोत्साहनों का दिया जाना है ।

(3) विभिन्न राज्यों के स्वैच्छिक संगठनों को स्वैच्छिक रक्त दान कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रिय सहायता ।

जहां तक हाल के वर्षो मे चिकित्सा और वैज्ञानिक क्षेत्र में हुई प्रगति से लाभ उठाने का संबंध है, सेठ जी०एस० मेडिकल कालेज, परेल, बम्बई में एक ब्लड ग्रुप रेफेरेन्स सेण्टर है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी मान्यता प्राप्त है, और यह रक्ताधान–तकनीशियनों को रक्ताधान प्रशिक्षण देता है तथा इस विषय पर अनुसंधान कार्य भी करता है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 1972-73 के अनुपरक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 1972-73 के अनुपूरक प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8140/74]**

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Hindi version of the Report has not been placed on this table. The law is very clear in this report. Both these versions should be placed on this table simultaneously.

अध्यक्ष महोदय : मैंने अगले दिन कहा था कि यदि हिन्दी संस्करण तैयार न हो तो अंग्रेजी संस्करण के साथ स्पष्टीकरण सम्बन्धी को कोई नोट होना चाहिए।

श्री के० आर० गणेश : संविधान के अन्तर्गत इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखना ही पड़ता है। इसके अनुवाद में कुछ नियम लगता है।

अध्यक्ष महोदय : आपको इस बारे में जानकारी देनी चाहिए कि प्रतिवेदन का अनुवाद अभीतक क्यों नहीं हुआ।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दक्षिणी राज्य (चावल निर्यात नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक, 10 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 219(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) गेहूं (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 5 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 261(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) खाद्यान्न लाने-ले-जाने पर प्रतिबन्ध (बीजों पर छूट) संशोधन आदेश, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 10 जून 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 262(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(4) दिल्ली बेलन मिल्स गेहूं उत्पाद (मिल द्वार तथा खुदरा) मूल्य नियंत्रण आदेश, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 308(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(5) बेलन मिल्स गेहूं उत्पाद (मिल-द्वार) मूल्य नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या 319(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8141/74]

Shri Madhu Limaye (Banka) : These orders relate to the prices which have beeu fixed for wheat, etc. These orders should have been placed on the Table much earlie. One cannot get the commodities on the price fixed in these notifications so, I will sar this order is bogus.

अध्यक्ष महोदय : ये बातें कहने के लिए यह उचित अवस्था नहीं है ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 30-क के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) दूसरा संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 751 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रंथालय म रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 8142/74 ।]**

(2) (एक) कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेन्शन तथा बोनस स्कीम अधिनियम 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत कोयला खान कुटुम्ब पेन्शन (दूसरा संशोधन) स्कीम 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 अप्रैल 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 400 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय मे रखी गई । देखिए संख्या एल०टी०8143/74 ।]

(3) मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में कोयला खान प्राधिकरण की बुरहड़ संख्या 1 खान में 11 मार्च, 1974 को हुई घातक दुर्घटना सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 8144/74 ।]**

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महासचिव मैं राज्य सभा के प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देता हूं तथा इस सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) कि राज्य सभा ने 5 अगस्त, 1974 की अपनी बैठक में उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, 1974 पास कर दिया है ।

(दो) कि राज्य सभा 7 अगस्त, 1974 की अपनी बैठक में चलचित्र (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1973 में 30 जुलाई, 1974 को लोक सभा द्वारा किए गए संशोधनों से सहमत हो गई है ।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक

INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

महासचिव : मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) विधेयक 1974, राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप में, सभा पटल पर रखता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं ने आज सुबह एक नोटिस दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने उसको स्वीकार नहीं किया है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : यदि किसी भी सदस्य के विशेषाधिकार पर कोई आंच आती है तो सभा का कोई भी सदस्य उस मामले को उठा सकता है । यह मामला तो समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है ।

अध्यक्ष महोदय : किसी दल विशेष की बैठक में हुए किसी मामले को यहां नहीं उठाया जा सकता । प्रत्येक दल को अपने सदस्यों को निर्देश देने का अधिकार है । इसमें विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अध्यक्षपीठ का कर्तव्य सभा के हितों को देखना है । आपका कर्तव्य दलगत हितों को देखना नहीं है । आपने अभी चण्डीगढ़ में अपने भाषण में कहा था कि आपका पंजाब विधान सभा से इस सभा में आना एसा ही है जैसे किसी का फियाट कार से ट्रक में चले जाना । आप इस सभा का ऐसा सम्मान करते है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को मदत नही कर सकता । कभी कोई बात हंसी में भी कहीं जातीं है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सभा का किसी दल विशेष के नियमों को देखना है अथवा संविधान को जिससे समूचे देश का कार्य चलता है । संविधान में हमें इस सभा में कार्य करने तथा अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतन्त्रता दी है । अब मामला यह है कि दो सदस्य प्रधान मंत्री के पास गये और उन्हों ने शिकायत की कि कुछ सदस्य ऐसी बातें कह रहे हैं जिनसे दल के हितों को हानि होती है । अत: वे चाहते थे कि प्रधान मंत्री ऐसे कुछ सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करें । यह बात समाचार पत्रों में छपी है और ऐसा प्रभाव बनता है कि संसद् सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में अपना विनिर्णय पहले ही दे चूका हूं ।

Shri Madhu Limaye (Banka): I rise as a point of order. May I know whether it is not contempt of the house that a Member is intimated for supplementary question asked by him?

Mr. Speaker: The hon. Member who has been intimidated can come to me.

देश की समुद्रीय सीमा में समुद्र के नीचे की भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में सदस्य द्वारा वक्तव्य

STATEMENT BY MEMBER RE. OWNERSHIP OF LAND BELOW THE SEA WITHIN TERRITORIAL WATERS

Shri Madhu Limaye (Banka): The hon. Minister in his statement on the 2nd May, 1974 has deliberately laid to mislead the House.

Mr. Speaker : You can lay it on the Table.

श्री मधु लिमये : आपने मेरा नोटीस स्विकार किया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा सुझाव था और सदा इसे स्वीकार कर लिया जाता है ।

श्री मधु लिमये : मैं इसे पढ़ना चाहता हूं । ऐसा करना मेरा अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : यह वक्तव्य बहुत लम्बा है । आप इसे सभा पटल पर ही रख दीजिए ।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister has furnished wrong information in his statement of 2nd May. In this way he has mislead the House also.

The hon. Member has stated that the state Government has full right on foreshore under Sec. 294, 295 of Maharashtra Land and Revenue Code 1966. This law came into being after amending the old law of 1876. The word foreshore means the land lying between the High water mark and Low water mark under entry 27 of the Central List the ownership right of the foreshore land comes under the purview of Port Trust Act. But under sec. 4(3) and (4) of the Indian Ports Act governing the big parts the territorial jurisdiction has been defined as high water mark *i. e.* the highest point reached by ordinary spring tides at any season of the year. The Government is empowered under the above Act to extend its provision to any port by notification.

The port of Bombay comes under the purview of special Act. Under Sec. 3 (2) of the Act the limits of the port has been defined and it has been stated therein that sea bed below the water mark also comes under its purview. The Port Trust has been given full powers under this Act to reclaim the land or construct embankments. The Backbay Reclamation project within the limits of the Bombay Port. In the 96th report of the Estimate Committee (Third Lok Sabha) that Bombay Port Trust has now vast estate and that this has been made possible by reclaiming the foreshore land from time to time. The report have made no distinction between High water mark land and low water mark land. If there is any conflict between these Acts may I know which will prevail in regard to the ownership of this land.

The hon. Minister has himself stated that the State Government has no ownership right on the land beyond the low watermark. But the above said project has extended its jurisdiction beyond the low watermark. The State Government has sold this land after giving wrong certificates. Shri Gokhale has given wrong information by saying that the Backbay Reclamation Project is confined only to the land lying between High watermark and low watermark. But this project has actually gone beyond that.

Shri Gokhale should not only apologise before the House for giving inaccurate information but make arrangement to take back the land after imposing proper fine which is beyond low water mark and is under the possession of the State Government.

(2) In view of the provisions of the Indian Ports Act and Bombay Port Trust Act, the provisions of the Maharashtra Land Revenue Code are void unless the law to protect the coastal land is enacted, the whole coastal area will be destroyed and the posterity will condemn this Parliament.

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): संसद सदस्य श्री मधू लिमये ने अपनी सूचना, तारीख 8 मई, 1974 में यह आरोप लगाया है कि नियम 377 के अधीन प्राप्त उनकी पिछली सूचना, तारीख 7 मार्च, 1974 के अनुसरण में, मैंने 2 मई, 1974 को सदन में अपने वक्तव्य में निम्नलिखित गलत कथन किया :

"कि महाराष्ट्र सरकार की बैकबे सुधार परियोजना (बैकबे रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट) केवल उच्च जल-सीमा और निम्न जल सीमा के बीच के क्षेत्र तक ही सीमित है जब कि तथ्य यह है कि सुधार, निम्न जल-सीमा के बाहर अधोजल भूमि पर भी अतिक्रमण करता है।"

2. तारीख 7 मार्च, 1974 की सूचना में, सदस्य महोदय ने, तटाग्र क्षेत्र और राज्य क्षेत्रीय समुद्र के नीचे की भूमि के बीच कोई विभेद निश्चित किए बिना संविधान के अनुच्छेद 297 के उपबन्धों के सन्दर्भ में, बैकबे सुधार स्कीम के अधीन, भूमि में सुधार करने के महाराष्ट्र सरकार के संविधानिक प्राधिकार का प्रश्न उठाया था। मेरे पिछले वक्तव्य में, महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार की गई सुधार स्कीम के अधीन उस सरकार द्वारा तटाग्र भूमि के सुधार के बारे में विधिक स्थिति स्पष्ट की गई थी और यह दर्शाया गया था कि इस प्रकार का सुधार संविधान के अनुच्छेद 297 का उल्लंघन नहीं करता है। इस प्रकार का कोई वक्तव्य, कि महाराष्ट्र सरकार की बैकबे सुधार स्कीम केवल उच्च जल-सीमा और निम्न जल-सीमा के बीच के क्षेत्र तक ही सीमित है, जैसा कि सदस्य महोदय ने आरोप लगाया है, मेरे द्वारा नहीं दिया गया था। तदनुसार, सदस्य महोदय का यह आरोप, कि मैंने उक्त गलत कथन किया था, निराधार है।

3. श्री मधु लिमये ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके द्वारा उठाए गए सांविधानिक मुद्दों पर मैंने सदन को गुमराह करना चाहा था और उनका कहना है कि भारतीय पत्तन अधिनियम और मुम्बई पत्तन न्यास अधिनियम के उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए, मेरे पिछले वक्तव्य में निर्दिष्ट महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता के उपबन्ध और कोचीन, मद्रास और कलकत्ता के पत्तनों से सम्बन्धित अन्य राज्य विधियां शून्य है।

4. सदन को गुमराह करने का न तो कोई प्रयास किया गया था और न कोई ऐसा आशय था, जैसा कि सदस्य महोदय ने आरोप लगाया है। सांविधानिक स्थिति को जैसा मैं समझता था, वह सदन में बता दी गई थी। किन्तु, एक रिट याचिका श्री पीलू मोदी और अन्य द्वारा मुम्बई उच्च न्यायालय में फाइल की गई है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार की सुधार स्कीम को कोई आधारों पर चुनौती दी गई है। इन आधारों में से एक यह है कि महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता की धारा 294 और धारा 295 शक्ति-बाह्य हैं और मुम्बई पत्तन न्यास अधिनियम, 1879 के उपबन्धों के विरुद्ध हैं। अर्जीदारों द्वारा यह भी प्रकथन किया गया है कि सुधार स्कीम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग निम्न जल-सीमा पर भी डूब गया है और संघ में निहित हो गया है, इसलिए महाराष्ट्र राज्य को उसकी बाबत कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। चुंकि बैकबे सुधार-स्कीम के तात्विक, सांविधानिक तथा विधिक पहलू न्यायाधीन है, अतः यह उचित नहीं होगा कि उसके बारे में सदन में विचार-विमर्श किया जाए।

5. श्री मधु लिमये ने यह भी कहा है कि मुम्बई में सुधार परियोजना के अलावा, अन्य महापत्तनों अर्थात कलकत्ता, कोचीन और मद्रास के भीतर की भूमियों पर भी अधिक्रमण अवश्य हुआ होगा। यह विषय, नौवहन और पोत परिवहन मंत्रालय से सम्बन्धित है, जिसका सभी महापत्तनों पर प्रशासनिक नियंत्रण है।

नियम 377 के अधीन मामला

MATTER UNDER RULE 377

छात्र-संघ निर्वाचनों के अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ कालेजों में कथित घटनायें

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (कलकत्ता दक्षिण) : मैं आपको सूचना देता हूं और आपके माध्यम से गृह मंत्री से वक्तव्य चाहता हूं । सभी सदस्यों को पता है कि युवक कांग्रेस संगठन और राष्ट्रीय छात्र संघ 9 अगस्त को रैली अयोजित करने वाले है । दिल्ली विश्व विद्यालय छात्र संघ के चुनाव भी होने वाले है। दुर्भाग्यवश आज प्रातः एक घटना घटी है । दिल्ली छात्र-संघ के एक प्रत्याशी श्री बृज मोहन भैया, जिन्हें राष्ट्रीय छात्र संघ तथा इण्डियन यूथ कांग्रेस ने चुनाव के लिए खड़ा किया है तथा स्वर्गीय श्री मोहन कुमार मंगलम के पुत्र रंगाराजन कुमार मंगलम 4.30 बजे प्रातः डी०ए०वी० कालेज गए । जब वे वहां गए तो विद्यार्थी परिषद और आर० एस० एस० के अपराधियों ने उन पर हमला किया . . . (व्यवधान) किसी विभाग द्वारा इसकी जांच कराई जा सकती है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Can any charge be levelled against any organisation in this House? The Vidyarthi Parishad is contesting election there. (*Interruptions*) Why did they go there at 4·30 in the morning?

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : वहां लाठियों सहित दस सशस्त्र व्यक्ति थे . . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव में "दिल्ली विश्व विद्यालयमें घटना" का उल्लेख किया है ।

उन्होंने इन घटनाओं का उल्लेख किया है । यदि शांति भंग होने का मामला होता तो वह वक्तव्य दे सकते हैं परन्तु इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मैं उन्हें अस्पताल ले गया और मैं जानता हूं । प्रत्याशी को छुरा मारा गया संगठन के अध्यक्ष को छुरा मारा गया।* छात्रों ने किसी के छुरा नही मारा । बाहर के अपराधियों* ने ऐसा किया । उस्मानिया विश्वविद्यालय में भी ऐसा हुआ है (**व्यवधान**)

Shri Atal Bihari Vajpayee : I rise on a point of order. Will you allow such matters to be raised in the ~~House~~? The hon. Member is saying* (*Interruptions*) It is politically motivated to level charges without inquiry.

अध्यक्ष महोदय : मैं अब इस मामले पर और अधिक बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री दास मुंशी, जब तक इस मामले की जांच हो रही है, किसी दल या व्यक्ति के बारे में किए गए उल्लेख को हटाया जाना चाहिए । श्री वयालार रवि का नाम है । केवल पहले सदस्य ही बोले, बाद के नहीं ।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : मैं किसी* पर आरोप नहीं लगा रहा हूं । (**व्यवधान**) दिल्ली में चुनाव हो रहें हैं, मेरा अनुरोध है कि गृह मंत्री को कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया जाये क्योंकि *

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : *

---

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

*Expunged as ordered by the Chair.

वित्त (संख्या 2) विधेयक—जारी

FINANCE (NO. 2) BILL—*Contd.*

श्री सेझियान (कुम्बकोनम) : कल मैं निवेदन कर रहा था . . .

अध्यक्ष महोदय : सभा को मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित करने का समय हो गया है। इसे अभी ही क्यों न खत्म कर लें ?

श्री श्यामानन्दन मिश्र (बेगुसराय) : हमारे विचार से इसमें समय लगेगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य समझते हैं कि इसमें अधिक समय लगेगा तो हम इस पर दोपहर में विचार कर लेंगे।

तत्पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बज कर तीस मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Thirty Minutes past Fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक-सभा दो बजकर चौंतीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sahha re-assembled after lunch at Thirty Four Minutes past Fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

श्री सेझियान : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वित्त (संख्या 2) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव इस अवस्था में पेश करना अनुचित और संवैधानिक औचित्य के विरुद्ध है।

इस विधेयक को कुछ अन्य आवश्यकताएं पूरी किए बिना पारित करवाने, जिन पर वित्त विधेयक लाने से पूर्व विचार किया जाना चाहिए था, की सरकार का यह प्रस्ताव संसद में निहित वित्तीय नियंत्रण के अधिकार पर गंभीर प्रहार है।

जिस दिन वित्त (संख्या 2) विधेयक पुरःस्थापित किया जाना था उससे पहले वित्त मंत्री को एक वक्तव्य देना था। उस समय इस पक्ष की ओर से सभा में व्यवस्था के प्रश्न उठाये गए। विधि मंत्री ने प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि इसे 'बजट' या 'अनुपूरक बजट' नहीं कहा जा सकता क्योंकि संविधान में कहीं भी "बजट" शब्द नहीं आया है परन्तु वित्त मंत्री ने अपना लिखित वक्तव्य पढ़ा तो उन्होंने 1974–75 के वार्षिक बजट का उल्लेख किया। हमारे प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में नियम 204 और 205 में बजट के बारे में कहा गया है। 'कार्य सूची' में भी बजट का उल्लेख किया जाता है। सरकार "बजट" शब्द से डर क्यों रही है ? क्या वह इसे "बजट" कहने से बाद में होने वाली प्रतिक्रिया से डरती है ?

पहले के वर्षों में एक ही वर्ष में दो बजट प्रस्तुत किए गए। अतः इसे बजट नाम दे दिया जाता है तो मुझे उसकी चिंता नहीं है।

संसदीय लोकतंत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि लोक वित्त पर नियंत्रण है जिसे संसद के अधिकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। संसदीय इतिहास से पता चलेगा कि यह परम्परा कैसे निभाई गई है।

जो अतिरिक्त व्यय होगा उसका अस्पष्ट उल्लेख करके श्री चव्हाण और श्री गोखले यह कह कर यह तर्क देने का प्रयास कर रहे है कि वे अतिरिक्त कर बढ़ा रहे हैं।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : वे अस्पष्ट नहीं हैं ।

श्री सेझियान : कराधान के उपाय तो ठीक ठीक व्यक्त किए गए है परन्तु व्यय की राशि ठीक ठीक नहीं बताई गई है ।

'हाउस आफ कामन्स' की प्रक्रिया में कहा गया है कि वित्तीय प्रक्रिया और वित्तीय नीति का नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है। ये प्रक्रम होते है अर्थात, "सप्लाई समिति को बजट प्राक्कलन प्रस्तुत करना, अर्थोपाय समिति, संचित नीती, विनियोग और वित्त विधेयक ।" सप्लाई समिति जब अपनी अनुमति दे चुकि होती है उसके बाद वित्त विधेयक आता है। पूरे वर्ष का इस प्रकार का अनुमानित व्यय वित्त विधेयक पर विचार आरम्भ करने से पहले बताया जाता है। "मेज पार्लियामेन्टरी प्रक्टिस" में भी इसका उल्लेख है ।

इसके पश्चात मैं कौल और शकधर की पुस्तक के द्वितीय संस्करण का उल्लेख करता हूं जिसमें पृष्ठ 620 पर कहा गया है कि "अनुदानों की मांगों पर मतदान किये जाने और कुल व्यय की जानकारी दिए जाने के बाद ही वित्त विधेयक, जिसमें वार्षिक कराधान का उल्लेख हो, लोक-सभा द्वारा विचार और पारित किया जाता है।" यदि सरकार वर्तमान स्थिति अपनाती है तो मैं कहूंगा कि स्टुअर्ट, चार्ल्स प्रथम और जेम्स प्रथम के युग की ओर जा रही है जहां यह बताये बिना कर लगाये जाते हैं कि उन्हें किस प्रकार खर्च किया जाएगा ।

संसाधनों के लिए वित्त विधेयक पुरःस्थापित करने के सरकार के अधिकार को मैं चुनौती नहीं देता परन्तु इसे पारित करने से पूर्व संसद की परम्परागत प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए ।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह वित्त विधेयक को पारित करने में अनुचित शीघ्रता न करें क्योंकि ऐसा करना संसदीय कार्यप्रणाली तथा लम्बे समय से चली आ रही प्रथाओं का अपमान करना है। ऐसा करना संसद की सर्वोच्चता को नकारना होगा और वित्तीय मामलों में संसद के अधिकार और नियंत्रण से पीछे हटना होगा। अतः मैं मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वह इस विधेयक पर विचार स्थगित करें ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मुझे इस पर कोई संदेह नहीं है कि यह एक अत्यधिक अनियमित प्रक्रिया है कि हमें यह बताये बिना कि देश की वित्तीय स्थिति क्या है अथवा यह संकेत दिये बिना कि जो संसाधन जुटायें जा रहे वे किन सेवाओं के लिये काम में लाये जायेंगे, वित्त विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है ।

एक बात यह कही जा सकती है कि पहले भी इस तरह के विधेयक पेश किये गए है परन्तु पहले यदि ऐसा हुआ है तो क्या किसी अनियमितता को उसी तरह चलने दिया जाना चाहिए। ब्रिटेन में इस प्रकार की कोई बात कभी नहीं हुई हैं ।

इस सभा में दूसरी अनियमित बात जो हो रही है वह यह है कि न केवल वित्त विधेयक ही प्रस्तुत किया जा रहा है अपितु हम ऐसे कराधान उपायों को पारित कर रहे हैं जो अगले वर्ष लागू होंगे, ब्रिटेन में ऐसा कभी नहीं हुआ है ।

जिस दूसरी बात पर हमें विचार करना है वह यह है कि क्या ऐसा करना प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अनुसार स्वीकार्य है ? नियम में केवल अनुपूरक वित्तिय प्रस्तावों का उल्लेख है; इसमें दूसरे या तीसरे वित्त विधेयक का कोई उल्लेख नहीं है। यद्यपि एक दूसरा वित्त विधेयक पूर्णतया अलग बात हो सकती है तथापि एक अनुपूरक वित्त विधेयक पहले वित्त विधेयक का सहायक होना चाहिये। अतः कोई यह नहीं कह सकता कि नियमों के अन्तर्गत यह स्वीकार्य है ।

[श्री शामनंदन मिश्र]

एक वर्ष के दौरान सामान्यतया केवल एक ही वित्त विधेयक हो सकता है । केवल असाधारण परिस्थिति में ही दूसरा वित्त विधेयक या अनुपूरक वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किय जा सकते है । वित्त मंत्री का कहना है कि विधेयक के उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हैं । वित्त विधेयक के उद्देश्य और कारण आयकर अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम में संशोधन करने के लिये हैं । यह बात मेरे मन में खटकती है कि इसे उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कैसे रखा जा सकता है ? कुछ उद्देशों के बारे में वित्त मंत्री ने कहा है कि कुल मांग और कुल पूर्ति में निरन्तर असंतुलन बना हुआ है तथा वह इस असंतुलन तथा घाटे की अर्थव्यवस्था को कम करना चाहते हैं ।

मेरा कहना है कि यह उद्देश्य पर्याप्त उद्देश्य नहीं हैं । कराधान उपायों के लिये हमारे लिये अनुमान जानना आवश्यक है अन्यथा संसद से यह आशा कैसे की जा सकती है वह करों की पुष्टि के लिये मतदान करे ?

चूंकि वित्त मंत्री ने अनुमानित आय और व्यय का ब्योरा नहीं दिया है अतः मैं यह कहूंगा कि उन्होंने सदन अथवा देश के प्रति] अपने दायित्व को नहीं निभाया है।

विधि मंत्री का यह कहना कितना असंगत-सा प्रतीत होता है कि चूंकि इसके साथ आय और व्यय के प्राक्कलन का विवरण संलग्न नहीं है अतः इसे बजट नहीं कहा जाना चाहिये । उनका कहना है कि यह तो पहले वित्तीय विधेयक में लगाये गये कर से अधिक कर लगानें का एक सरल उपाय है । अतः इसे बजट नहीं कहा जा सकता । लेकिन सभा बिना वस्तु-स्थिति समझें कोई मंजूरी नहीं दे सकती ।

वित्त मंत्री ने इस विधेयक को लाने का औचित्य यह दिया है कि इसे असाधारण और बहुत कठिन परिस्थितियों में लाया गया है । लेकिन हमारी ऐसी स्थिति अर्थव्यवस्था में व्याप्त कुव्यवस्था के कारण हुई है ।

वित्त मंत्री ने कहा है कि यदि वह उक्त उपाय नहीं अपनाते तो वे अपने आर्थिक दायित्व से परे हट जाते । यदि वह ऐसा समझते है कि ऐसा न कर वह अपना आर्थिक दायित्व न निभाते तो क्या बिना यह जाने की किन प्रयोजनों के लिए उक्त प्रस्ताव रखें गये हैं, उन्हें स्वीकार कर हम अपने आर्थिक दायित्वों से परे हटने जैसा गम्भीर अपराध नहीं करेंगे ?

Shri Madhu Limaye (Banka) : The present discussion is not based on some procedure, but on some basic principles attached to it. The first principle is whether the elected representative have any control on public expenditure and whether there will be any co-ordination between taxation proposals and public expenditure. The House Cannot take any decision regarding the justification of the taxation proposals unless it knows the details about the proposed additional expenditure of the Government. The main purpose of the supplementary budget is to stop inflation and price rise so that the public expenditure may be reduced. The House cannot give its decision in this matter till it is satisfied that those proposals have been brought to fulfil those objectives.

There is a definite procedure of financial business of the House. That procedure has not been followed. The new proposals can be accepted only when constitutional procedure has been followed in regard thereto.

In my opinion it was a wrong decision to allow Shri Krishnamachari in 1965 to speak at the introductory stage of the Financial Bill. The discussion on Financial Bill cannot be made till the demands are discussed in the House. The Government should bring supplementary demands and we should be given an opportunity to discuss the demands and then a discussion on taxation proposals should take place and not before that. There is no justification in adopting irregular procedure in this matter.

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior) : It is a very important discussion we will have to sit late. I also want to say something in the matter.

श्री पिलू मोदी (गोधरा) : मैं अपनी बात कहने के लिये केवल आधे मिनट का समय चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अपनी बात आधे मिनट में समाप्त करने को तैयार हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : यदि ऐसी बात है तो हमे इस विषय पर चर्चा स्थगित कर देनी चाहिये क्योंकि इस विषय पर चर्चा के समय में कमी नहीं की जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अतः हम इस विषय पर चर्चा अगली बैठक में करेंगे ।

परमाणु उर्जा आयोग द्वारा हाल में किये गये परमाणु विस्फोट पर चर्चा

DISCUSSION ON RECENT ATOMIC EXPLOSION CONDUCTED BY THE ATOMIC ENERGY COMMISSION

श्री समर गुह (कन्टाई) : 18 मई, 1974 का दिन हमारे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास के इतिहास में बहुत महत्व का दिन माना जाना चाहिये ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पोकरण का परमाणु परीक्षण देश की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी उपलब्धि है ।

परमाणु ऊर्जा आयोग ने एक पुस्तिका प्रकाशित की है । मैं चाहता हूं कि ऐसी पुस्तिका अधिक सरल, लोकप्रिय होनी चाहिये और इसे इस प्रकार बनाया जाना चाहिये कि हमारे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी छात्र इसको आसानी के समझ सकें ।

परमाणु परीक्षण से हमारे कुछ पड़ौसी देशों में असन्तोष की भावना फैल गई है । अतः सरकार को परमाणु संस्थाओं की सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था करनी चाहिये । हमें प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम का भंडार बनाए रखना चाहिये । कम से कम भविष्य में परमाणु ऊर्जा केन्द्रों का निर्माण सुभेद्य क्षेत्रों से हटा कर दक्षिण और दक्षिण पूर्व तटवर्ती क्षेत्रों में किया जाना चाहिये ।

केवल परमाणु विस्फोट ही पर्याप्त नहीं है । हमें इस विज्ञान का सभी तकनीकी पहलुओं से गहन अध्ययन करना चाहिये । अभी और परमाणु विस्फोट किये जाने की आवश्यकता है ।

हमें विखण्डन अथवा विस्फोट से ताप पैदा करने, दबाव पैदा करने और रेडियो-किरण उत्पाद सम्बन्धी समस्या के बारे में अध्ययन करना चाहिये । पोकरण के परिणामों के अध्ययन में अधिक समय नहीं लगना चाहिये ।

[श्री समर गुह]

हमारा परमाणु परीक्षण का उद्देश्य परमाणु शक्ति का शान्ति के लिये प्रयोग करना है। इसका प्रयोग पहाड़ी को हटाने, नदी का मार्ग बदलने, मरुस्थल में झील बनाने, भूमिगत खनिज पदार्थों का पता लगाने, तेल और खनिज पदार्थों की खोज आदि करने के लिये किया जायेगा। इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। परमाणु विस्फोट तापीय-परमाणु विस्फोट की तुलना में कुछ भी नहीं है। वह इससे करोड़ो गुना अधिक शक्तिशाली होता है।

तापीय-परमाणु परीक्षण के लिये आवश्यक तत्व हमारे देश में ही उपलब्ध हो सकते हैं। अत: अधिक विस्फोटक शक्ति के लिये अधिक शक्तिशाली परमाणु तकनीकी के विकास के लिये तापीय परमाणु प्रयोग न करने का कोई कारण नहीं है।

भारत द्वारा परमाणु शास्त्रों के विकास किये जाने की विदेशों में आलोचना की गई है। विश्व के सामने क्षमा मांगने और यह कहने का कोई कारण नहीं है कि हमारा परमाणु शस्त्रों का विकास करने का कोई उद्देश्य नहीं है। यह विश्व को विदित ही है कि हमारी आर्थिक स्थिति बडे पैमाने पर परमाणु शस्त्रों का भंडार बनाने की अनुमति नहीं देती।

मैं सामरिक परमाणु शस्त्रों के पक्ष में नहीं हूं। हमें इस बात पर अटल रहना चाहिये कि हमारी सामरिक अणु शस्त्रों का विकास करने की कोई इच्छा नहीं है। आणविक तोप, आणविक गोले और इसी प्रकार के अन्य आणविक शस्त्र 'नाटो" शक्तियों और रूस और सम्भवतया चीन की परम्परागत सेनाओं में भी शामिल किये जा रहे हैं। हमारे रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग को इस बारे में अनेक बार विचार करना चाहिये कि क्या हमारी सेना के परम्परागत शस्त्रों मे परमाणु तोप, परमाणु गोले, आदि जैसे सामरिक शस्त्र भी शामिल किय जाने चाहिये।

आज एक मेगाटन का हाइड्रोजन बम ही रूस सहित समस्त यूरोप को समाप्त कर सकता है। अब प्रक्षेपणास्त्र और परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां विश्व में कहीं भी विनाश कर सकती है।

अब समय आ गया है जब भारत को पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिये परमाणु कूटनीति का विकास करना चाहिये। भूमीगत परीक्षण अथवा वायु में परीक्षण पर केवल रोक लगाने से कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। भारत ही मानवता की रक्षा कर सकता है। पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के लिये हमें परमाणु कूटनीति का विकास करना होगा। हमारी परमाणु कूटनीती का यही लक्ष्य होना चाहिये।

विश्वनाथ प्रताप सिंह (फूलपुर) : परमाणु विस्फोट की प्रौद्यागिकी पर केवल कुछ देशों का एकाधिकर नहीं रह सकता। हमारे परमाणु विस्फोट से कुछ देशों मे घबराहट उत्पन्न हुई है।

हीरोशिमा पर किये गये विस्फोट और पोकरण के विस्फोट में भारी अन्तर है। एक विस्फोट मानव की स्थिति में सुधार करने के लिये तथा दुसरा विस्फोट नरसहार के लिये था। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हीरोशिमा की विचारधारा समाप्त होनी चाहिये और पोकरण की विचारधारा का प्रसार किया जाना चाहिये।

यह कहा जाता है कि परमाणु परीक्षण हमारी अर्थव्यवस्था के लिये बहुत मंहगा है। यह हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देगा। लेकीन इस पर आने वाली लागत का अनुमान 165 करोड़ रुपये लगाया गया है।

उक्त विस्फोट हमारे शान्ति कार्यक्रम का उपोत्पाद है। अब यह सर्वविदित है कि अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु प्रौद्योगिकी का हमारी अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जिन लोगो ने हमारे विस्फोट की आलोचना की है मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उन्होंने अन्य परमाणु शक्तियों द्वारा पोकरण विस्फोट के बाद किये गये विस्फोटों की आलोचना क्यों नहीं की। यह कहां तक उचित है कि कुछ देश तो इच्छानुसार यथा सम्भव परमाणु हथियार एकत्र करे जबकि कुछ छोटे देशों को केवल अपने विकास के लिये परमाणु तकनीकी की जानकारी प्राप्त करने की अनुमति ली न दी जाये।

हमारे परमाणु संस्थानों की सुरक्षा पर और अधिक जोर दिया जाना चाहिये। परमाणु संस्थानों को स्थानान्तरित करना सम्भव नहीं होता फिर भी इनके सुरक्षा सम्बधी पहलुओ पर विचार किया जाना चाहिये। उदाहरणार्थ सुरक्षा की दृष्टि से प्लोतोनियम संयंत्र को भूमिगत बनाया जाना चाहिये।

अगले 10 वर्षों मे प्लूटोनियम की हमारी मांगे सप्लाई से अधिक हो जायेगी अतः उसकी पूर्ति के लिए हमे अभी से ठोस प्रयास करने चाहिये। इस महवपूर्ण पदार्थ की मांग का सही निर्धारण किया जाये और उसके लिये व्यापक कार्यक्रम बनाया जाये जिससे कि इस दिशा मे प्रगति की गति को बनाए रखा जा सके।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : परमाणु विस्फोट के लिये हमारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं क्योकि यह विस्फोट किसी अन्य देश के सहयोग के बिना किया गया है। परमाणु क्लब शक्तियां अवश्य ही इसे पसन्द नहीं करती क्योंकि वे नहीं चाहती कि यह ज्ञान अन्य देशो के हाथ लगे। वे तो इसका उपयोग लोगों के विनाश के लिये करना चाहते है परंतु हमारा उद्देश्य उसका शांतिपूर्ण उपयोग है। हमे इस दिशा में अपने प्रयास मांगे बढ़ाते रहना चाहिये जिससे कि देश के लाभ के विचार से इसका उपयोग किया जा सके। हमारे वैज्ञानिकों का मत है कि इसके उपयोग से हम विशाल जल भण्डार बना सकते है जिनमे नदियों का फालतु पानी इकठ्ठा किया जा सकता है तथा बाढ़ से भी बचा जा सकता है। यदि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले ड्रेजर बनाये जा सके तो नदियो की बाड़ की सफाई भी की जा सकेगी। इससे बन्दरगाहों की भी सफाई हो सकेगी।

निकट भविष्य मे हमारे वैज्ञानिक उत्तेजन से बिजली बना सकेंगे और उसके उपयोग द्वारा हम तटवर्ती इलाकों के पानी को मीठा बना सकेगे। सिंचाई के लिए उसका उपयोग करके देश की उससे उन्नति होगी। हमें इन परिक्षणो को अपने लोगों की भलाई के लिये उपयोग में लाना है उससे हमारा देश भी रूस व चीन से अधीक शक्तिशाली बन सकेगा।

Shri M. C. Daga (Pali) : 18th May would be considered a historical day in the history of our country because on that day the country achieved a great success by exploding an Atomic device in Rajasthan at Pokran.

Pt. Nehru had said in 1954 that use of Atomic Enrgy for peaceful purposes is far more important for a country like India whose power resources are limited. He had also said that this energy will never be used for evil purposes by this country. This was said at that time and it continues to be the policy of the present Government as well. I hope it would lead to economic as well as technical development of the country.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : हमारा देश आज परमाणु औद्योगिकी के नए मोड़ पर पहुचा है जहां पहुंच कर हमने विश्व को स्पष्ट रुप से बता दिया है कि इस बारे में हमारा उद्देश्य शान्तिपूण है। हमारा दृष्टिकोण किसी भी प्रकार से सैनिक नहीं है।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

हमें अपने वैज्ञानिक की इस उपलब्धि के सार के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिये । सबसे यह प्रमुख पहलू यह है कि हमने जले हुए युरेनियम इंधन से प्लुटोनियम को अलग करने की प्रक्रिया में निपुणता प्राप्त की है । इस दिशा में हमारी उपलब्धि का दूसरा पहलू यह है कि हमने भूमिगत अण्विक विस्फोट से उत्पन्न होने वाली रेडियो धर्मिता पर भी नियंत्रण पा लिया है । पोकरान के 18 मई के विस्फोटसे यह दोनों बातें स्पष्ट रुप से सामने आई हैं । परमाणु उर्जा वैज्ञानिकोंका हमारा दल इसके लिए बधाई का पात्र है । जिसने अपनी निपुणता, जानकारी और देश के संसाधनों के आधार पर यह सब सफलता प्राप्त की है और देश को इस उंचे दर्जे पर बिठाया है ।

फिर भी मुझे लगता है कि हमें भूमिगत विस्फोट के लाभ उठाने, तेल व गैस विषेशों एवं निम्न-ग्रेड की अलौह धातुओं के निक्षेपों का पता लगानेमें बहुत अधिक समय लगेगा । यहां पर हमें इस बात पर भी विचार करना है कि विश्व के अन्य देश, जिन्होंने अब तक अनेक विस्फोट कर लिये हैं, उपरोक्त दिशाओं में अग्रेसर क्यों नहीं हुए । शायद कहा जाय कि व देश इसके सैनिक उपयोग की ओर ध्यान देते रहे इसी कारण उन्होंने इस प्रकारके उपयोगों की ओर ध्यान नहीं दिया । परन्तु यह कोई तर्कपूर्ण विचार नहीं है वास्तवमें ऐसा लगता है कि केवल मात्र प्रायोगिक विस्फोट से उस विकास को शांतिपूर्ण उपायों के लिये प्रयोग में लाना एक बहुत बडी बात है । यदि हमारे वज्ञानिक इस बारे में सफलता प्राप्त कर सके तो यह इतिहास मे एक बहुत बड़ी सफलता होगी । सरकार को इस चूनौती को स्विकार करना चाहिये और इस क्षेत्र में लगे अपने वैज्ञानिकों की सभी प्रकार से संभव सह यता और प्रोत्साहन देना चाहिये ।

मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे देश में सुरक्षा के उपाय पर्याप्त नहीं है । हाल ही में बिहारमें जाद गूज संयंत्र से युरेनियम की चोरी की खबरें फैली थीं । अब हमने ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है जबकि हमें परमाणू उर्जा प्रतिष्ठानों में कठोर रक्षा प्रबंधो की ओर भी ध्यान देनी चाहिये । जिससे उन संस्थानों में चोरी की तथा तोडफोड की संभाबनाओं को रोका जा सके ।

इस विस्फोट के कारण आज विश्वके अनेक देशोंमें शोरसा मचा हुआ है । इसका कारण यह नहीं कि हमारे देश में परमाणु संशोधन हैं अथवा हमने परमाणु बिजली घरों की स्थापना करनी है । इसमें कोई नई बात नहीं है । हां नई बात यह है कि हम ऐसे देशों के समूह में पहली बार मिले हैं जिन्होंने परमाणु विस्फोट की शक्ति प्राप्त कर रखी है । यह सभी जानते हैं कि यह ज्ञान बम बनाने के तकनीकि से किसी प्रकार भिन्न नहीं । इसी बात की प्रतिक्रिया के रुपमे यहा शोर उत्पन्न हो रहा है । यह देश स्वंय आज तक सब प्रकार के परमाणू विस्फोट करा रहे अतः उन्हें इस बारे में भारतके विरुद्ध कुछ भी कहनेका कोई अधिकार नहीं है । इस विस्फोट की प्रतिक्रिया के स्वरुप आज यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या परमाणु विस्फोट करनेवाले किसी देश को विकास शील देश मानकर उसे आर्थिक सहायता दी जाय । यह भी कहा जा रहा है कि इस विस्फोट से हिन्द महासागर क्षेत्रमें सन्तुलन बिगड गया है । यह तो इस प्रकार है जैसे कि हमने परमाणु शस्त्रे बनाना प्रारंभ कर दिया हो । चीन की प्रतिक्रिया यह है कि यह सब सोवियत संघ प्रोत्साहन से हुआ है । इस प्रकार की सब प्रतिक्रिया को देखते सरकार को इस उपलब्धि के तकनीकी पहलू विचार करते समय इसके राजनैतिक पहलू पर भी विचार करना चाहिये । विश्व में ऐसे बहुत से देश हैं जो अच्छी नजर से नहीं देखते । ऐसे देशों द्वारा हमेशा यह प्रचार किया जाता है कि भारत का रवैया विस्तार वादी है । इस अवसर का लाभ उठा कर हमारे विरूद्ध अधिक प्रचार किया जायेगा । सरकार 1972 के शिमला समझौते के पश्चात से पाकिस्तान के साथ अपने संबंध सामान्य बनाने और बंगलादेश तथा पाकिस्तान के बीच सामान्य संबंधो की स्थापना का प्रयास कर रही है, जससे कि इस उपमहाद्वीप से युद्ध की विभिजिका को समाप्त किया जा सके । अवसर पर पाकिस्तान के भारत विरोधी तत्वों तथा उनके विदेशी समर्थकों द्वारा यह बात कही जायेगी कि इस स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान व उसके अन्य सहयोगी को परमाणु होने के अन्तर्गत किया जाये । समाचार-पत्रों से पता चलता है कि पकिस्तान इस बारे में चीन में एवं अमरीका से अनुरोध भी कर चुका है । इसका परिणाम यह होगा कि इस उप-महाद्वीप पर हमारी सिमाओं के निकट परमाणु अड्डे बन सकते हैं ।

हमारी प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रीयों ने सभी को और विषेशकर पाकिस्तान सरकार और जनता को यह आश्वासन दिया है कि हमारा रवैया आक्रमक नहीं है और हम इस नयोजन के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग शांतिपूर्ण विकासके अतिरिक्त अन्य किसी ढंग से नही करेंगे । फिर भी सरकारको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि परमाणू शस्त्रों की होड हमारे लिए विनाश का कारण होगी । हम पहले ही आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं । इस प्रयोजन के लिए यदि व्यय किया गया तो अन्य प्रयोजन के लिये होने वाले व्यय को घटाना पड़ेगा । यह कहना निरर्थक है कि परमाणू शस्त्र बनाकर हम अपनी परम्परागत सेना पर अपना व्यय घटा सकेंगे । हाल ही के युद्धों के दौरान स्पष्ट हुआ है कि स्थानिय युद्धों में हमें परम्परागत शस्त्रों पर ही निर्भर करना पडेगा । हम पहले ही सेना पर प्रतिवर्ष 2000 करोड रुपये व्यय कर रहे हैं । परमाणू शस्त्रों की हाड़ में आकर हम इस खर्चे को और अधिक नहीं बढ़ा सकते और फिर अन्त में विश्व-व्यापि स्तर पर परमाणू निरस्त्रीकरण द्वारा ही विश्व के अस्तित्व; शांति और सुरक्षा की गारंटी हो सकती है ।

हम इस बारे में अपने मित्रों अथवा पड़ोसी देशों से पारस्परिक सुरक्षा अथवा सामूहीक सुरक्षा संबंधी समझौता कर सकते हैं । यह ठिक है कि अब हम शक्ति से बोल सकते है क्योंकि हमने परमाणू क्षमता प्राप्त कर ली है । हमे अपनी इस नई शक्ति की स्थिति का उपयोग करके विश्व में परमाणू नि:शस्त्रीकरण और सभी बडी परमाणू शक्तियों द्वारा परमाणू शस्त्रों के उत्पादन एंव जमा करने पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग का समर्थन करना चाहिये ।

परमाणू शस्त्रों का निर्माण प्रारंभ करने के बारे में सरकार पर विदेश अथवा स्वदेश से कितना भी दबाव पड़े किंतु सरकार को परमाणू शस्त्रों का निर्माण न करने के अपने निर्णय पर दृढ रहना चाहिये । यदि हमने उनके निर्माण का मार्ग अपना लिया हो वह देश के आर्थिक विनाश का मार्ग होगा । ऐसा करने से जो हमारी प्रगती आज तक बनी है वह भी नष्ट हो जायेगी ।

श्री पी० वी० जी० राजू (विशाखापतनम) : ब्रह्मपुत्र नदी भारत में तिब्बत से प्रवेश करके घाटी में बहती है । घाटी के दाएं एवं बायीं दोनों ओर 5000 से 7000 फुट ऊंची पहाडियां हैं । ब्रह्मपुत्र नदी इन के बीच में से होकर बहती है ।

आन्ध्र विश्व विद्यालय में परमाणू भौतिकी के प्रोफेसर स्वामी ज्ञानानन्द के मतानूसार इन पहाड़ों गुफाओं में विस्फोट करके पानी को प्रवाह वही लाकर उससे बिजली पैदा की जा सकती है । उनकें अनुसार वहां पर इतनी बिजली पैदा की जा सकती है जितनी बिजली सारे युरोप में पैदा की जाती है । सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिये ।

राष्ट्रीय एकता और राज्यों में समन्वय के विचार से हमें आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के बीच बेलामेला और अपर अथवा लोअर सिलेरू के मध्य किसी स्थान पर एक संयुक्त परमाणु बिजली घर की स्थापना करनी चाहिये । परमाणू ऊर्जा उपकरणों के ठंडे करने व बिजली पैदा करने के लिय पर्याप्त पानी की आवश्यकता पड़ती है । उड़ीसा ने बेलामेला परियोजना का विकास किया है और आन्ध्र प्रदेश ने अपर सिलेरू तथा लोअर सिलेरू परियोजनाओं का विकास किया है । इस क्षेत्र में पर्याप्त पानी है अत: इस क्षेत्र में एक संयुक्त परियोजना की स्थापना की जा सकती है । राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टिसे भी यह लाभदायक होगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwallior) : 18 May would always be remembered in our history. On that day India entered atomic era. Our Scientists deserve congratulations for that. On this occassion we should express our regards to the memory of Dr. Bhabha. We have broken the monoply of big Nuclear Powers.

[श्री वसन्त साठे पिठासीन हुये
SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

[Shri Atal Bihari Vajpayee]

This achievement is not only India's achievement alone. In fact African, Asia and South American countries have also felt it as their own achievement. General public of foreign countries is happy with our achievement.

Reactions expressed by certain countries in this regard are not un-expected. Taking advantage of this opportunity Pakistan has again created a wide gap between the normalization of relation between the two countries. It is not unexpected. If this explosion would not have taken place they would have raised some other objection.

The Prime Minister has given assurances to Pakistan though there was no need to do so. In this regard we should not forget that our another neighbour, China is equipped with nuclear arms. It believes in wars and proclaims to change the structure of the world through war. I am of the opinion that we should not commit that we will not use atomic energy for defence purposes in future. The Government has declared that atomic energy will be used for peaceful purposes only. Self defence is also a part of maintenance of peace. It is foresightedness of national leaders that have not signed non-proliferation Treaty. But now some countries including U.S.A. and U.S.S.R. are pressurising India to stop underground nuclear tests. Communist Chaina has not signed any traety and therefore carrying on its tests in the atmosphere, underground and is the sea as well. We should not be pressurized and rather try to become self-sufficient in nuclear technology. We should use nuclear energy for constructions purposes but we should not hesitate to use the same for defence purposes if needed. We should also see that the work of Atomic Energy establishments goes on efficiently. I have come to know that progress of Rana Pratap Sagar is being hampered due to some trouble on the part of contractors. More and more countries are concentrating on nuclear know how and we should not lag behingd. Discontentment among the staff, if any should be removed, besides me should try to solve our basic problems to ameliorate the plight of common people. The scientists have achieved the success and now political leaders should try to do their part of duty towards the nation.

श्री हरी किशोर सिंह (प्रपरी) : हमे इस बात की प्रसन्नता है कि समस्त राष्ट्र सरकार की परमाणु नीति का समर्थन कर रहा है । हम इस सफलता पर वैज्ञानिको को धन्यवाद कर है और यह निर्णय लेने के लिये अपने नेताओ को बधाई देते है । कुछ राष्ट्रो तथा व्यक्तियों ने हमारे परमाणु परीक्षणपर आपत्ति की है, परन्तु हमारा परमाणु आदी कार्यक्रम आर्थिक आधार पर बनाया गया है और उन्हे इस तथ्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । यह कहना अनुचित है कि कुछ राष्ट्र इस प्रकार की शक्ति रख सकते, परन्तु भारत के लिये ऐसा करना ठीक नहीं है, यदि इस शक्ति का प्रयोग भारत उत्पादक प्रयोग के लिये तथा अपनी क्षमता की स्थिति सुधारने के लिये करता है तो फिर उसे इस औद्योगिकी उपयोग करने की अनुमति क्यों नही होनी चाहिए? कुछ देशों ने बडे पैमाने पर परमाणु प्रौद्योगिकी प्राप्त की है और उनको इस बात का खतरा है कि कहीं भारत भी उसी मार्ग पर न चलने लगे । उनके मन में यह संदेह हो सकता है कि प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन भविष्य में बदल न जाय परन्तु इस आशंका के कारण भारत द्वारा एक उचित स्तर तक परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर कोई आपत्ति नही होनी चाहिये, विशेषकर जब हमारी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम युद्ध सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये उसका उपयोग नहीं करेंगे । अब हम परमाणु और सामान्य निःशस्त्रीकरण के बारे में प्रभावशाली ढंग से अपने विचार प्रकट कर सकेंगे । अब कोई देश या व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि भारत के पास परमाणु शक्ति न होने के कारण ही वह शक्ति का प्रचार करता है. अब हमारी राय सन्मानपुर्वक सुनी जायेगी । हमें राष्ट्रीय अथवा अंतराष्ट्रीय आलोचना या दबाव में आकर इस कार्यक्रम को रोकना नहीं चाहिये बल्कि इसकी प्रभावशाली ढंग से आगे बढाना चाहिये ।

श्री मोहनराज कलिंगादायर (पोलाची) : हम अपने देश के वैज्ञानिकों की इस महान सेवा को सराहना करते है और उनको इस अवसर पर बधाई देते हैं । हमारा यह परीक्षण शांतीपूर्ण प्रयोजनों के लिये किया

गया है, आक्रमण के लिये नहीं। अनेक पडोसी देशों ने 18 मई को किये गये विस्फोट के बारे में चिंता प्रकट की है पाकिस्तान ने विशेषरूप से आलोचना की है कि भारत नुक्लियर क्लब में शामिल हो गया है। इससे पता चलता है कि उसका इरादा नेक नहीं है।

हमें अपने उन युवकों को सब प्रकार की सुविधाएं और प्रोत्साहन देने चाहिये जो विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं में काम कर रहे है ताकि वे अपने काम को अधिक जोरदार ढंग से कर सके। मैं इस अवसर पर सर्वोच्च वैज्ञानिकी डा० सेठीना और डा० रामन को इस शानदार सफलता पर बधाई देता हूं। प्रधान मंत्री ने भारत की परमाणु नीति को स्पष्ट कर दिया है कि इसका प्रयोग शान्ति पूर्ण कार्यों के लिये किया जायेगा। यह अच्छी बात है परन्तु यदि आवश्यकता पड़े तो हमें परमाणु हथियार बनाने में संकोच नही करना चाहिये। अन्त में मैं कहना चाहता हू कि हमें परमाणु ऊर्जा का विद्युत प्रजनन के लिये प्रयोग करना चाहिये।

Shri Shankar Dayal Sing (Chatra): Sir 18th May was historic day and this achievement of our scientists will be incorporated in History of India in golden words. It is a matter of great satisfaction that all the hon'ble Members have this anguest house have expressed their gratitude irrespective of party affiliations. All of them have expressed their sens of appreciation for this historic achievement of our scientists which has enhenced our prestige in the world. After China's entry into nuclear race there was a demand from about all walks of life that we should also develop nuclear energy for our self defence. Though this test has been done for peaceful purpose, we should take care of our defence as well. There are some countries which are happy about our achivement but there are some which feel jealous and there are still others which have accepted it in usual manner. It has been observed that the countries which have opposed our nuclear device volunterly are those which have been using nuclear weapons for ammibilation and have piled up huge stock of such weapons we should not care for such countries and continue to develop our nuclear technology.

The smuggling of Uranium should be checked and strict watch should be kept. The scientists should be provided with necessary facilities to develop nuclear energy. Young talented scientists should be provided opportunities to work in this field. India should also seek place of prestige away the contains in U.NO which are called powers of the world.

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

सभापति महोदय : इस मद के लिये तीन घण्टे का समय निर्धारित किया गया था परन्तु अभी अनेक सदस्य इसपर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। आप पांच मिनट की सीमा देखें और सहयोग दें।

परमाणू ऊर्जा आयोग द्वारा हाल में किये गये आण्विक विस्कोट पर चर्चा—जारी
DISCUSSION ON RECENT ATOMIC EXPLOSION CONDUCTED BY THE ATMOIC ENERGY COMMISSION—*Contd.*

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : 18 मई, 1974 को शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये किये गये प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण से भारत के इरादे के बारे में संदेह पदा हो गया है। यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि इस परीक्षण से परमाणु औद्योगिकी के ज्ञान भंडार में बहुमुल्य वृद्धि हुई है। हमारे वैज्ञानिकों ने एक एसा आविष्कार किया है जिससे परमाणु परीक्षण का वातावरण मे कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ा। हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। इस परीक्षण से इस देश की परमाणु नीति में पुनः विश्वास पक्का करने का हमें अवसर मिला है। 20 जनवरी, 1957 को पंडित नेहरू ने कहा था कि हम किसी बुरे प्रयोजन के लिये परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। बाद के नेताओं ने भी इसी नीति को दोहराया है। भारत पहला विकासशील देश है जिसकी प्रतिव्यक्ति आय बहुत कम है और जिसने ऐसा भूमिगत परीक्षण किया

[श्री पी० एम० मेहता]

है। इस समय परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य तबाही है परन्तु भारत इस लक्ष्य को दिशा को बदलेगा और हमने इसका विकल्प यही रखा है कि भारत शान्तिपूर्ण प्रयोजनों और मानवता के विकास के लिय परमाणु ऊर्जा का विकास करेगा ।

कुछ देशों ने उपरोक्त परीक्षण की आलोचना करते हुए कहा है कि भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिको देश को अन्न तथा जनसंख्या सम्बन्धी आधार भूत समास्याओं का समाधान करने में असफल रहे हैं। परन्तु यह असफलता हमारे वैज्ञानिकों की नहीं बल्कि सरकार की है जिसने हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के अनुसन्धान कार्य को खतों और कारखानों में कार्यरूप नहीं किया सरकार को परमाणु ऊर्जा का विकास किया जाना चाहिय कि देश की कठिनाइयां शीघ्र दूर हों और इस देश की अर्थव्यवस्था पुनःसक्रिय बनाया जा सके और यह सरकार के सामने यह बडी भारी चुनौती है। अतः सरकार को सिंचाई, विद्युत परियोजनाओं तथा अन्य आवश्यक कामों के लिये परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रमों को तुरन्त क्रियान्वित करना चाहिए ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : हमारे देश की जनता शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये किय गये परमाणु विस्फोट के कारण प्रसन्न है और अपने वैज्ञानिकों पर गर्व करती है।हम इस अवसर पर अपने वैज्ञानिकी, प्रधान मंत्री और श्री पंत को बधाई देते हैं। कुछ देश इस परीक्षण की आलोचना कर रह हैं। हमारे-वैज्ञानिकों ने सिध्द कर दिया है कि परमाणु विस्फोट भूमिगत किया जा सकता है और इसका प्रयोग शान्ति-पूर्ण, रचनात्मक तथा देश के विकास के लिये किया जा सकता है । आज हमें विद्युत सम्भरण और महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों की खोज के बारे में अनेक कठिनायियों का सामना करना पड़ रहा है । इस विस्फोट से इन कठिनाइयों पर काबू पाने और समस्याएं हल करने में काफी सहायता मिलेगी। पाकिस्तान और चीनके सिवाय अन्य सभी विकासशील देशों ने इस विस्फोट का स्वागत किया है । परन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कुछ विकसित देश यह नहीं चाहते कि भारत जैसा देश, जो सब से बड़ासंसदीय लोकतंत्र है, परमाणु शस्त्रों की होड़ में शामिल हों। हमारे **प्रधान मंत्री** और **विदेश** मंत्री ने अनेकबार स्पष्ट किया है कि हमारे शस्त्रागर में कोई वृद्धि नहीं हुई बल्कि यह परीक्षण शान्तिपूर्ण प्रयोजन के लिये किया गया है। अब विश्व में अन्य देश हमसे घृणा न करके हमारा सन्मान करेंगे ।

श्री इराज्मुद सेकैरा (मारमागोआ) : इस परमाणु परीक्षण से हमें पुनः आत्मविश्वास हो गया है। हम अपने वैज्ञानिकों को इस अवसर पर बधाई देते हैं। हमें इस प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में सतर्कता बरतनी चाहिये। इसका प्रयोग वही होना चाहिये जहां इसकी आवश्यकता हो। हमें इसका प्रयोग ऐसे ढंग से नहीं करना चाहिये कि व्यक्तियों का स्थान मशीन लेले और बेरोजगारो की समस्या और जटिल बन जाये ।

[डा० हेनरी आस्टिन पीठासीन हुए
DR. HENRY AUSTIN *in the Chair*]

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं उन वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई देता हूं जिन्होंने भूमिगत परमाणु विस्फोट किया है अमरिकि, रुस और ब्रिटन के वैज्ञानिकों को अपने पहले प्रयत्न में इतनी सफलता नहीं मिलती थी जो सफलता हमारे युवा वेज्ञानिको ने प्राप्त की है इस पर हमें गर्व है ।

कुछ देशों ने इस सफलता की आलोचना की है। इससे हमारी विदेश निति का खोखलापन स्पष्ट होता है कैनेडा जैसे राष्ट्रमंडलीय देशों ने हमारी अलोचना की है, हम चाहे अफ्रीको एशियाई एकता की बातें करें परन्तु केनिया, चीन और नाइजेरिया जैसे देशों ने विस्फोट पर चिंता व्यक्त को है, रुस ने भूमिगत विस्फोट की प्रशंसा की है ।

विश्व को यह बताने में कि यह विस्फोट और परमाणू प्रौद्योगिकी शांतिमयी कार्यों के लिये प्रयोग में लायी जायगी विदेश मंत्रालय असफल रहा है। पाकिस्तान ने हमारे विरूद्ध प्रचार आरम्भ कर दिया है। और हमारे बारे में भ्रम फलाये हैं। हमारे बार बार कहने पर कि यह सफलता खनन कार्यों तेल खोजने और नदियों की धारा का रुख बदलने के लिए इस्तेमाल की जायगी, की भारत के बारें में शंकाएं व्यक्त की जा रही है सरकार को इस गलतफहमी को दूर करने के लिये प्रयत्न करने चाहिये ।

यह जानकारी हमारे देश पर परमाणु आक्रमण के विरुद्ध बचाव का काम करेगी । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि परमाणु बम बनाना चाहिये । हमें आर्थिक क्षेत्र में अभी और बहुत कुछ करना है । हमें देश के आर्थिक विकास को प्राथमिकता देनी चाहिये । अब हम विश्व के देशों में से दृढता से अपनी बात कह सकेंगे । हमें कूटनीतिक माध्यम से अन्य दशों को विश्वास दिलाना होगा कि हमारी जानकारी शांतीमय कार्यों के लिए होगी ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : डा० सेठना की अध्यक्षता में किये गये आण्विक विस्फोट सराहनीय है, कहा गया है कि विस्फोट का समय राजनीतिक हितों को दृष्टि से रखा गया था । रेलवे हड़ताल 8 मई को हुई थी । विस्फोट 18 मई को किया गया । एक बम के विस्फोट की तैयारी के लिए अधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती और नही उसमें 6 महीने लगते हैं । विस्फोट रेलवे हड़ताल के 10 दिन बाद किया गया था । अत: यह कहना गलत होगा कि इसका सम्बन्ध रेलवे हड़ताल अथवा अन्य किसी स्थानीय समस्या से है ।

इस समय सुरक्षा परिषद के 6 या 7 सदस्य हैं । दो या तीन के अतिरिक्त शेष बड़ी शक्तियां नहीं हैं । इस संसद को यह मांग जोरदार शब्दों में करनी चाहिए कि जनसंख्या के आधार पर भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए ।

श्री मधु दंडवते (रत्नागिरी) : मैं इस सदन के उन सभी माननीय सदस्यों के साथ हूं जिन्होंने भारत के वैज्ञानिकों द्वारा एक सफल आण्विक विस्फोट की प्रशंसा की है । यह विस्फोट अल्बर्ट, आइस्टाइन, जर्मनी के ट्रासमैन और अंत में भारतीय वैज्ञानिकों के स्वप्न की पूर्ति हैं । हमारे वैज्ञानिक इस लिये और भी अधिक बधाई के पात्र हैं कि जो उपलब्धि उन्होंने की है वह अत्यन्त आधुनिक प्रौद्योगिकी है । यदि उनके पास ही परमाणु शक्ति होती है तो वह विश्व के लिए खतरा है । परन्तु यदि विकासशील देश परमाणु प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं तो वह संसार के लिए खतरा हैं । अगर अमरीकी, रुसी, चीनी और फ्रान्सीसी अणु-शक्ति प्रौद्योगिकी को जानकारी रख सकते हैं तो भारत जैसे एशियाई देश को यह जानकारी रखने में कोई हानि नहीं है ।

कहा गया है कि हमें परमाण शक्ति की जानकारी नही रखनी चाहिए । उनका कहना है कि हमें इसका उपयोग परमाणु बम या उद्जन बम बनाने मे नहीं करना चाहिये । उनका तर्क है कि हमारा देश गरीब है और हम इन शस्त्रों के बनाने का खर्च वहन नहीं कर सकते । दूसरे लोगों का कहना है कि हम आण्विक अस्त्र भले ही न बनाए पर हमें अन्य देशो के आण्विक शस्त्रों से अपनी सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए उन्हें पता होना चाहिए कि यह सुरक्षा भी आसानी से उपलब्ध नहीं होती । अत: हमें आण्विकशक्ति की जानकारी विकसित करनी चाहिये । मुझे प्रसन्नता है कि रक्षा मंत्री ने इस सम्बन्ध में अपने आप को स्वतंत्र रखा है ।

जो देश परमाणू शक्ति का उपयोग शांतीमय कार्यो के लिए करना चाहते हैं उन्हें पताहोना चाहिए कि ऐसा करना भी सस्ता काम नहीं है । उसके लियेभी पर्याप्त धन चाहिए और इसलिये हमने इसे प्रयोगात्मक स्थिति में रखा है । जब भी यह सस्ता होगा इसका उपयोग शांति कार्यों के लिए किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो हम इसका उपयोग रक्षा कार्यों मे भी करेंगे ।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : We feel proud for doveloping nuclear technology and the credit for it goes to our Prime Minister and the scientists engaged in this field. This development has greatly added to our strength and we can be rest assured that if now we are forced to go to war with Pakistan or China those countries will never care to use atom bomb aganist us. To commemorate this happy event the Minister incharge of Atomic Energy. Shri K. C. Pant should be made a fulfledged Minister and Dr. Sethna and Dr. Ramanna should be awarded Padma Vibhushan.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं उन सभी वैज्ञानिको को बधाई देता हूं जिन्होंने यह महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। मैं प्रधानमंत्री और सरकार को भी बधाई देता हूं।

यह सत्य है कि इस परीक्षण के फलस्वरूप भारत परमाणु शक्ति क्लब मे शामिल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य पांच मुख्य परमाणु शक्तियों के अतिरिक्त भारत विश्व मे छटी परमाणु शक्ति बन गया है। अब हमने यह शक्ति प्राप्त कर ली है यद्यपि हमे ऐसा प्रतीत होता है कि हम इस समय निर्धन है किन्तु हम वस्तुत: सदा शक्तिशाली राष्ट्र के रूप मे रहे है। हम सदा शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु-शक्ति के उपयोग के पक्ष मे रहे हैं। और इस सम्बन्ध मे क्षमा याचना या हिचकिचाहट करने की कोई आवश्यकता नही है। विश्व अन्तत: शक्ति की ही भाषा समझता है।

प्रगतिशील देशों से अधिक इस विकासशील देश को परमाणु क्षमता और परमाणु शक्ति की अत्यन्त आवश्यकता है। आत्मविश्वास से ही आत्म-निर्भरता होती है। आत्म-निर्भरता से लोगों को शक्ति प्राप्त होती है जिससे प्रगति के पथ पर आगे अग्रसर होने मे सहायता मिलती है।

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक) : पं० नेहरु के दूरदर्शिता-पूर्णप्रयासों के फलस्वरुप ही हम आण्विक विस्फोट करने में सफल हो सके है।

अक्तूबर 1961 को पं० नेहरू ने कहा था कि हम आण्विकशक्ति का उपयोग विनाशकारी कार्यो के लिये नहीं करेंगे। 1963 में भी उन्होंने अमरीका मे ऐसा ही कहा था। हमारे देश के लोगों ने परमाणु विस्फोट का स्वागत किया है। परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण कार्यों के लिये प्रयोग करना ही उसका उद्देश्य है। उदाहरणार्थ, आइसोटोपो का कृषि क्षेत्रों, उद्योगों में और स्वास्थ्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

मैं प्रधानमंत्री और अपने देश के वैज्ञानिको को बधाई देता हूं कि उन्होंने सफल परमाणु विस्फोट किया है जिससे हमारे देश का आर्थिक विकास होगा। 18 मई को किए गए परमाणु विस्फोट से रेडिओ थे धुल पैदा नहीं हुई यह सब से बड़ी उपलब्धि है।

Shri Shankar Dev (Bidar) : We must watch the international re-action on much propagated claim to use automic power for peaceful purposes only by us. Many countries think that India will make use of her nucler technology for purposes of defence. It is really good that our Prime Minister has tried to dispose such fears by making a declaration that India will make use of her nuclear technology for peaceful purpose only. She has even offered to share that technology with others. We should have no object on in case any U.N. agency wants to inspect our nuclear technology because our intention is to use it for peaceful purposes only. Also we should try for creating an agency for international control of atomic energy in the U.N.O. The countries who want to conduct atomic tests should do so under the supervision of that agency and all ttests should use for making use of atomic energy for peaceful purposes.

Dr. Kailas (Bombay–South) : The atomic explosion conducted by our scientists has raised the stature of our country in the international field. The country will always be indebted to our atomic scientist for the successful underground atomic explosion. The country is beholden to our Prime Minister who provided boldy world leadership which made this achievement possible. Use of atomic energy for peaceful purposes should be defined by Government. More and more funds should be sanctioned for peaceful uses of atomic energy.

I once again congratulate our scientists on their success.

Shri Ganeshwar Mishra (Allahabad) : I congratulate the Scientists of A.E.C. who conducted this experiment successfully. Was this device not ready many years ago ? Why was this done on that particular day ? Is there no political motive behind it ? The

people of this country are dying of starvation. There is scarcity of soaps. In these conditions at present prevaing in the country, these nuclear explosions looked rather meaningless. I am sorry that we have entered this race. After attaining freedom, Gandhiji used to say that there was no necessity of army. Then it was said that if another country attacked, army was necessary to guard our frontiers. This achievement is due to those scientists of the Atomic Energy Commission who deserve to be congratulated, and not the Government.

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं भारत के प्रथम शान्तिपूर्ण भूमिगत परमाणु विस्फोट का स्वागत करता हूं। श्री मिश्र जी ने एक ओर तो इस विस्फोट के समय को राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताया है और दूसरी ओर उन्होंने वैज्ञानिकों को इसके लिये बधाई दी है। उन्होंने भारत के इस विस्फोट की निन्दा भी की है तथा उन वैज्ञानिकों की प्रशंसा भी की है जिन्होंने इसे सम्भव बनाया। जैसे तर्क उन्होंने दिये है वैसे तो मुझे हाल की जापान यात्रा के दौरान भी सुनने को नहीं मिले थे। मैं जापान के संसद-सदस्यों एवं सरकार के नेताओं से मिला था वे लोग भारत के शान्ति के लिए प्रयत्नों की सराहना करते हैं। उन्हें यह समझाना पड़ा कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम अप्रैल, 1948 में पारित हुआ था और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त, 1948 को की गई थी और उसके फल 25 वर्ष पश्चात् उपलब्ध हुए हैं।

दूसरी बात यह है कि जब देश के लोग सूखे और आकाल से पिस रहें हैं और उन्हें राहत देने के लिये भारत सरकार के पास पर्याप्त स्रोत नहीं हैं तब सरकार अणु विस्फोट पर इतना व्यय क्यों कर रही हैं ? परन्तु ऐसे लोग साम्राज्यवादी अमरीका की निन्दा क्यों नहीं करते है जिन्होंने हिरोशिमा में लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा था। भारत तो संसार का पहला देश है जिसने घोषणा की है कि अणुशक्ति का उपयोग शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही किया जायेगा।

दूरस्थ देशों के परमाणु वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये परमाणु शक्ति का उपयोग कर रहा है। किन्तु हमारे अपने ही मित्रों को इसमें कुछ अहित की भावना का आभास हो रहा है।

जापान के साधारण नागरिक के दिल में यह स्पष्ट धारणा है कि भारत शान्तिप्रिय देश है। जब मैंने यह प्रश्न किया कि जापान की संसद ने भारत के विरुद्ध संकल्प क्यों पारित किया तो मुझे बताया गया कि ऐसा भारत के विरुद्ध ही नहीं किया गया है, अपितु प्रत्येक परमाणु विस्फोट के विरुद्ध किया जाता है। वहां भारत की नीति की प्रशंसा की गई है। उनका विश्वास है कि भारत सदा शान्ति का समर्थन करता रहेगा और परमाणु ऊर्जा का उपयोग शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये ही करेगा—विनाश के लिये नहीं।

इन शब्दों के साथ मैं प्रधान मंत्री को, श्री कृष्ण चन्द्र पंत को तथा भारत के महान वैज्ञानिकों को इस कार्य के लिये बधाई देता हूं।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : कुछ राष्ट्रीय उपलब्धियां ऐसी होती हैं जिस पर सभी दल मिलकर इस सभा में तथा देश भर में हर्षोल्लास प्रकट करते हैं। यह वाद-विवाद प्रायः इसी कोटि का है। एक आध अपवाद है परन्तु उसमें भी वैज्ञानिकों को बधाई दी गई है। वाद-विवाद में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य ने वैज्ञानिकों की इस महान उपलब्धि की प्रशंसा की है। देश के वैज्ञानिकों को बधाई देने में तथा सभा को धन्यवाद देने में मैं भान्य सदस्य का साथ देता हूं।

इस उपलब्धि के पीछे कई वर्षों के निष्ठापूर्ण प्रयत्न हैं। पंडित नेहरू ने इस क्षेत्र में नीति-निर्धारण कर के पहल की तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी उसी नीति का अनुसरण किया। तत्पश्चात् हमारी प्रधान मंत्री द्वारा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को दिये गये मार्ग-दर्शन, प्रेरणा तथा निर्णय के फलस्वरूप आज हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाये हैं। हमने देखा है कि निर्णय लेने की घड़ियों में प्रधान मंत्री ने सदा उत्साह तथा दृढ़ता का परिचय दिया है। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है इस उपलब्धि में सर्वाधिक भाग प्रधान मंत्री का है।

[श्री कृष्ण चन्द्र पंत]

इस अवसर पर हमें डा० भाभा द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्य को भी स्मरण करना चाहिए । वह भारत के महान वैज्ञानिक ही नहीं थे वरन् एक महान प्रशासक तथा दूरदर्शी व्यक्ति भी थे । डा० साराभाई का योगदान भी महत्वपूर्ण था । आज डा० सेठना, डा० रमन्ना तथा उनके सहयोगी कार्यरत हैं जिन्होंने वास्तविक रूप में यह परीक्षण किया है । आज हमें जो महान सफलता प्राप्त हुई है उसका श्रेय इन्हीं लोगों को दिया जाता है ।

यह पूरी तरह भारतीय वैज्ञानिकों का प्रयास था । हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों ने कठिन परिश्रम किया तथा सफल परीक्षण किया जो हम सबके लिये संतोष और हर्ष का महान स्रोत है । इस परीक्षण का सबके महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि हम अपने लोगों के लाभार्थ शक्ति के अपने देशी संसाधनों का विकास कर सकते हैं ।

कुछ मान्य सदस्यों ने आणविक विस्फोट के वैज्ञानिक पहलुओं का उल्लेख किया है । विस्फोट के बाद हमने वास्तविक स्थान से लगभग 200 मीटर दूर खुदाई की है परन्तु हमें परमाणु विस्फोट से रेडियोधर्मी लक्षण नहीं मिले । यह हमारा सफल भूमिगत आणविक विस्फोट था और इसके लिये मैं अपने वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई देता हूं ।

हमने रेडियो सक्रियता की परवाह किये बिना तथा वातावरण की परवाह किये बिना वह परमाणु विस्फोट किये हैं । मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि ऐसे विस्फोट शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिये ही किये जायेंगे । प्रधान मंत्री ने भी वर्ष 1968 में तत्सम्बन्धी नीति का उल्लेख करते समय कहा था कि भारत कभी अणु बम नहीं बनाएगा । परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का केवल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिये ही विकास किया जायेगा। 18 मई का हमारा परीक्षण प्रधान मंत्री के कथन की पुष्टि करता है ।

जबतक खुदाई पूर्ण नहीं हो जाती तबतक हम नहीं बता सकते कि इस विस्फोट से चट्टानों पर कितना प्रभाव पड़ा और रेडियो सक्रियता का अंश कितना था । हमारे वैज्ञानिक सोच-समझ कर निष्कर्ष निकालेंगे । अनावश्यक शीघ्रता करने से गलत परिणाम निकल सकते हैं । निष्कर्ष मिलते ही हम उन्हें प्रकाशित कर देंगे । यह नहीं माना जा सकता कि हमने यह विस्फोट अन्य देशों को अणु विस्फोट करने के लिये उकसाने हेतु किया है हमारी नीति शान्तिप्रिय देशों के साथ मिलकर रहने की है तथा हम निरस्त्रीकरण की नीति में विश्वास करते हैं । मुझे आशा है कि संसार हमारी सफलता की प्रशंसा करेगा क्योंकि यह विस्फोट हमारे प्रौद्योगिक विकास में सहायक होगा ।

हमारा देश एक बृहत देश है और हमें खाद्य और ईंधन की पर्याप्त मात्रा में वृद्धि करने के लिये वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करना है । मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अणु शक्ति विनाश के लिये नहीं बल्कि विकास के लिये उपयोग में लाई जाती रहेगी । हमें विकसित देशों से भी अधिक इस टेक्नोलौजी की आवश्यकता है ।

विदेशों में इस परीक्षण के प्रति जो रुचि जागृत हुई है उसमें इस घटना की महत्ता का पता चलता है । जैसे विकासशील देशों ने इसकी सराहना की है वहाँ कुछ उन्नत पश्चिमी राष्ट्रों ने इसका समर्थन नहीं किया है । आलोचना की गई है कि हमारे इस परीक्षण से परमाणु हथियारों के प्रसार में मदद मिलेगी, ऐसा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि परमाणु अस्त्र परीक्षण संबंधी विस्फोट और शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के बीच कोई अंतर नहीं है, मैं आपका ध्यान आंशिक परमाणु परीक्षण रोक संधि के अनुच्छेद 1 के उपपैरा 2 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि किसी भी प्रकार का परमाणु विस्फोट अंतरिक्षा वायुमंडल तथा जल के नीचे नहीं किया जा सकता है तो इसका तात्पर्य यह है कि केवल भूमिगत विस्फोटों की ही छूट है ।. . . (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : परमाणु अस्त्र परीक्षण से पूर्व इस प्रकार का सामान्य परीक्षण किया जाता है। यह दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : आंशिक परमाणु परीक्षण रोक संधि पर हस्ताक्षर करने वालों को वायुमंडल में विस्फोट करने की मनाही है। आप अभी मेरी बात समझ जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारी इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को सही परिप्रेक्ष्य में लिया जाये।

हमारे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में परीक्षण के उद्देश्यों को समझाया है। इस संबंध में प्रधान मंत्री ने सदन में कहा था कि शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करने की हमारी नीति में कोई परिवर्त्तन नहीं है हमने विदेशों को भी अपनी इस नीति से अवगत कराया है। हमारे प्रतिनिधियों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, जहां इस परीक्षण की आलोचना की गई थी, सरकार की नीति को स्पष्ट किया है। विदेशों में अब हमारी नीति को बेहतर समझा जाने लगा है। भारत ने यह परीक्षण करके किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन नहीं किया है। इस परीक्षण को नितांत स्वदेशी उपकरणों तथा तकनीकी जानकारी से किया गया है। इस संयन्त्र की सुरक्षा व्यवस्था तथा इस के स्थापना स्थल के संबंध में दिए गए सुझावों पर सरकार विचार करेगी। यह बात समझ में नहीं आती कि जब अन्य देश टैक्नोलौजी के क्षेत्र में इस क्षमता का उपयोग कर रहे हैं तब भारत क्यों पीछे रहे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने 1970, 1971 और 1972 में शान्तिपूर्ण परमाणु विस्फोटों पर जो पैनल चर्चा की आयोजना की थी उसमें भी उपयोगी कार्यों के लिए इस प्रकार के विस्फोटों का समर्थन किया था। लुसाका में हुए तीसरे गुट निरपेक्ष सम्मेलन में शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु विस्फोटों के प्रभाव का समर्थन किया गया था

अनेक माननीय सदस्यों ने पूछा है कि शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट टैक्नोलोजी से क्या व्यावहारिक उपयोगिता प्राप्त होगी ? अमेरिका और रूस ने परमाणु विस्फोट के शान्तिपूर्ण प्रयोग के संबंध में काफी काम किया है। रूस को इस संबंध में अमेरिका से अधिक सफलता प्राप्त हुई है। रूस ने इसके प्रयोग का उपयोग अरटाब्रुलक में गैस के कुएं में गैस को नियंत्रण करने में किया है। इसी प्रकार एक अन्य कुएं में गैस को नियंत्रण में किया गया। रूस ने तेल क्षेत्र से तेल की मात्रा अधिक निकालने के लिए परमाणु विस्फोट का प्रयोग भी किया था।

अमेरिका ने गैस निकालने के क्षेत्र में इस प्रयोग का लाभ उठाया। 'गैस बगी' नामक एक परियोजना द्वारा परमाणु विस्फोट के प्रयोग से गैस की सप्लाई में काफी वृद्धि की गई। रूस ने तेल अथवा गैस के लिए भूमिगत भंडारण का निर्माण किया। वे अब जल संसाधनों का विकास करने के तरीकों को खोज रहे हैं। उन्होंने परमाणु विस्फोटों द्वारा जलाशय हेतु बड़े गड्ढों का निर्माण किया और एक कृत्रिम झील भी बनाई। रूस इस समय प्रस्तावित पचोराकामा नहर पर कार्य कर रहा है। इसी प्रकार वह खनन क्षेत्र में इन विस्फोटों का प्रयोग कर रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी भांति अमरीका और रूस की भी इस प्रकार के कार्यों में भारी दिलचस्पी है।

डा० कैलाश ने इस सिलसिले में कनाडा की प्रतिक्रिया का उल्लेख किया है। परमाणु और अन्य क्षेत्रों में कनाडा के सहयोग और समझौते का हम आदर करते हैं। उनके साथ उच्च स्तरीय बातचीत हुई है और उन्होंने हमारे विचारों को समझा है। कनाडा यह स्वीकार करता है कि हमने उनके साथ किए गए समझौते का उल्लंघन नहीं किया है।

सरकार ने भूमिगत परमाणु विस्फोट की संभावना का पता लगाने के लिए अपने इरादे को कभी नहीं छिपाया है। इस मामले में कोई गोपनीयता नहीं रखी गयी है। यह कि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी परीक्षण था जिसका प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया जाना है। इस संबंध में सरकार ने सदन में अपने

[श्री कृष्ण चन्द्र पंत]

विचारों को अनेक बार व्यक्त किया है। हम परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान की उन्मादी प्रतिक्रिया को समझना कठिन है। श्री भुट्टो समझते हैं कि भारत ने यह परीक्षण केवल उन्हें डराने के लिए किया है। हमने पहले ही घोषित किया है कि यह परीक्षण केवल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हैं और इसीलिए पाकिस्तान को इसका भय अपने मन में नहीं रखना चाहिए।

श्री मल्लीकार्जुन (मेडक) : प्रधान मंत्री भुट्टो ने कहा है कि रेडियोफार्मिला के कारण उनका वायुमंडल दूषित हो गया है। क्या आप बताएंगे कि 18 मई को हवा की दिशा किस ओर थी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हवा की दिशा पाकिस्तान की ओर नहीं थी। इस बारे में मैंने विस्तार से बता दिया है अतः आगे कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। पहली औद्योगिक क्रांति ने पिछली शताब्दी में हमें पीछे छोड़ दिया था। अब हम इस शताब्दी में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली क्रांति में पीछे नहीं रहना चाहते। आलोचनाएं तथा दबाव हम पर प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। हम विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक तथा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धियों का लाभ उठाना चाहते हैं। हमारे पास प्रतिभावान वैज्ञानिक हैं। हम इस नए औद्योगिक क्रांति में पीछे नहीं रहना चाहते हैं।

यह विस्फोट हमारे प्रण का प्रतीक है कि हम कठिनाइयों के बावजूद भी राष्ट्र निर्माण के कार्य में आगे बढ़ेंगे। इस परीक्षण के पीछे वैज्ञानिकों का अथक परिश्रम है। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी यह परीक्षण देश के लिए विश्वास और आशा का प्रतीक है। हम इस मामले में किसी के आगे नहीं झुकेंगे और अपना स्वतंत्र निर्णय रखेंगे।

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 9 अगस्त, 1974/18 श्रावण, 1896 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, August 9, 1974/ Sravana 18. 1896 (Saka).

भा०स०मु०ना०—वि० 5—25 लोक सभा/74—19-10-74—490.